Volume I , Issue I
Jan. - March 2013

Reg. No.- MPHIN/28519/12/1/2012- TC

Naveen Shodh Sansar

(International Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Sharma

Physics, Chemistry, Biology, Botany, Geology, Maths, Management, Commerce, Computer Science, Engineering, English Literature, Sanskrit Literature, Hindi Literature, Sociology, Political Science, History, Law, Mass Communication, Psychology, Economics, Home Science & Multi Disciplinary Research Journal

सम्पादक की अभिव्यक्ति...

प्रिय शोधार्थियों एवं मित्रों,

जैसा कि आप सभी जानते है कि विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्यों के माध्यम से ही मानव विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। यह शोध कार्यों का ही सुपरिणाम है कि आज हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग कर हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे है। मिलों का सफर कुछ घण्टों या मिनटों में तय कर रहे है, लाईलाज बीमारियों का उपचार संभव हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक दूसरे के संपर्क में रहते है, आदि ऐसे बहुत से कार्य है जिन पर हुए शोध ने हमारे जीवन को सरल व सुगम बनाया है।

ऐसे समय में जहाँ तकनीकि रूप से नित नये आविष्कार हो रहे है, आमजन को इनकी सुव्यवस्थित जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, इसी भावना से प्रभावित होकर, जगत्गुरू शंकराचार्य स्वामी दिव्यानन्दजी तीर्थ महाराज के शुभाशीर्वाद एवं अपने पिता प्रो. डॉ. एल.एन. शर्मा एवं माता श्रीमती तारा शर्मा की प्रेरणा से मैंने 'नवीन शोध संसार' का प्रकाशन मालवा की इस भूमि से आरम्भ किया है। इस शोध पत्रिका के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि शोध कार्यों को नये आयाम प्रदान करते हुए समाज व राष्ट्र के हित में अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो एवं शोधार्थियों को नये शोध के लिये प्रोत्साहन मिल सके।

मेरा विश्वास है कि मेरा यह प्रयास आप सभी प्रबुद्ध पाठकों को नये शोध कार्यों से परिचित कराएगा। इसमें आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस शोध पत्रिका में आप क्या नवीनता चाहते हैं, आपकी शोधार्थियों से क्या अपेक्षा हैं, इस प्रकार की अपनी भावनाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं जिससे शोध पत्रिका को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सके।

मैं सभी शोधार्थियों, प्रियजनों एवं मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इस छोटे से प्रयास में अपना योगदान देकर मुझे प्रोत्साहित किया।

-आपका

Ashish Sharma

आशीष शर्मा

'नवीन शोध संसार' का छोटा-सा अनुरोध-

- पेड़-पानी, ऊर्जा और बेटी बचाएँ
- गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एवं शराब को ना कहें, इनसे कैंसर होता है।

इस शोध पत्रिका को प्रकाशित करते हुए पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटी के लिये सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक जिम्मेदार नहीं होंगे। समस्त विचारों का न्यायक्षेत्र नीमच होगा।

'श्री गणेशाय नमः'

नवीन शोध संसार

Reg. No.- MPHIN/28519/12/1/2012- TC

Volume I , Issue I, Jan. - March 2013

संरक्षक-

डॉ. एल.एन. शर्मा 9425974314

प्राध्यापक वाणिज्य

शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच

सम्पादक

आशीष शर्मा

मो. 9617239102

प्रबंध सम्पादक

अपूर्व शर्मा

मो. 8989670811

क्षेत्रीय सम्पादक (अवैतनिक)

- डॉ. ज्ञानचन्द खिमेसरा
  प्राचार्य -शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर
- डॉ. अनूप व्यास
  प्राध्यापक- वाणिज्य
  शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल

- डॉ. पद्मसिंह पटेल
  शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर

कार्यालय- 'नवीन शोध संसार'
'श्री श्याम भवन' 795, विकास नगर 14/2 विस्तार
नीमच (म.प्र.) 458 441 ☎ 07423-222662
Email: nssresearchjournal@gmail.com
Website: www.nssresearchjournal.com

सदस्यता शुल्क विवरण

- संस्थागत वार्षिक- 1000 रू.
- शोधार्थी वार्षिक - 600 रू.
- आजीवन - 11000 रू

शोधपत्र सहयोग राशि

- एक शोधार्थी- ₹ 1200/- (प्रति शोध पत्र)
- दो शोधार्थी- ₹ 1800/- (प्रति शोध पत्र)
- तीन शोधार्थी- ₹ 2400/- (प्रति शोध पत्र)

(प्रति शोध पत्र अधिकतम 2000 शब्द/4 A4 पेज)
अतिरिक्त प्रति A 4 पेज ₹ 300/-
(शोध पत्र सहयोग राशि में वार्षिक सदस्यता शुल्क सम्मिलित है)

प्रिन्ट- मित्तल प्रिन्ट लाईन, 282 विकास नगर 14/4, नीमच ☎ 228654

अनुक्रमणिका/Index

1. रोजगार सृजन में मनरेगा की प्रगति का मूल्यांकन 10
शोधकर्ता: डॉ. प्रकाश चन्द्र रांका, सुश्री रेखा मेहना

2. मानवाधिकार, संवैधानिक उपबन्ध और पुलिस प्रशासन 14
शोधकर्ता:डॉ. रवीन्द्र कुमार सोहोनी, डॉ. नीरजा सोहोनी

3. बालिका सशक्तिकरण में उच्चशिक्षा की भूमिका 16
शोधकर्ता: डॉ. रश्मि शर्मा, डॉ. पी.एस.पटेल

4. उपभोक्ताओं के आर्थिक हित संरक्षण में जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान 20
शोधकर्ता: समता मेहता (कटारिया)

5. डॉ. पुरन सहगल का रचना संसार 22
शोधकर्ता: डॉ. राजेन्द्र पैन्सिया, डॉ. कृष्णा पैन्सिया

6. योजना में मानव के आयाम 26
शोधकर्ता : ड़ॉ. रिखब चन्द्र जैन

7. समाज आधारित या समाजोन्मुखी विधिक शिक्षा 28
शोधकर्ता: डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन

8. B-Z Oscillatory reactions: Study of BrO3--oxalic acid-acetone systems. 30
Reseacher : Dr. B. K. Dangarh, Deepika Jain and Suresh Chandra Gehlot

9. Maximum Limit of Rotational energy transfers in C_2 - He and Power-gap law. 34
Reseacher : Dr. N. K. Dabkara, D. S. Firozia and G. Ahirwar

10. Vital Role of Virtual Class in Language Learning 38
Reseacher : Dr.Ajay Bhargava, V.K.Soniya

11. NATURAL DYE AND HEALTHY ENVIOURMENT AND HUMEN HEALTH. 40
Reseacher : Dr.Smriti Agarwal

12. E-commerce In India - Present And Future With The Real Challenges 44
Reseacher : Dr. D.L. AHIR, Dr. L.N. SHARMA, ASHISH SHARMA

13. Green Marketing - New Initiatives With Challenges 48
Reseacher : Dr. G.K. Kumawa

14. The Role Of Marketing Information System In Recent Marketing Management 52
Reseacher : Dr. V.K. Jain, Dr. Anil Jain

15. The Impact of Modern living and technology on Daily life and Human Health. 56
Reseacher : Dr. Smriti Agarwal

16. Better execution plan for Kisan Credit Card in India 58
Reseacher : Dr. L.N. SHARMA, ASHISH SHARMA

शुभकामना संदेश

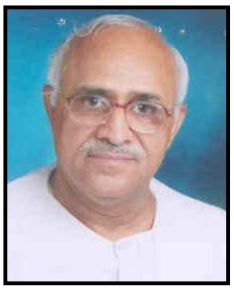

रघुनन्दन शर्मा
संसद सदस्य
(राज्य सभा)

बी–202, एम.एस. फ्लैट्स
बी.के.एस. मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष: 011–23766494

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के मालवांचल में नीमच जिले से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' का प्रकाशन किया जा रहा है। आपका यह सकारात्मक व सृजनात्मक प्रयास नवीन तथ्यों की खोज या नवीन निष्कर्ष से समाज, देश व शोधार्थियों का लाभ होगा। विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंध, गृह विज्ञान, विधि, सहित सभी विषयों में शोध के नये आयाम प्रस्तुत होंगे।

आपकी शोध पत्रिका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करें इस हेतु मैं आपको हार्दिक शुभकामनाऐं प्रेषित करता हूँ।

रघुनंदन शर्मा

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

मीनाक्षी नटराजन
संसद सदस्य
(लोकसभा)

24, अकबर रोड़, नई दिल्ली
दूरभाष– 011–23061813

यश नगर, मन्दसौर (म.प्र.)
दूरभाष: 07422–256400

शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने व नवीन शोध प्रक्रियाओं से समाज को अवगत कराने के उद्देश्य से आपके द्वारा 'नवीन शोध संसार' के प्रकाशन का कार्य प्रशंसनीय एवं स्तुत्य है। आपके इस शुभ संकल्प से नवीन अनुसंधानकर्ताओं को शोध कार्य में गति मिलेगी। आपको व सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं प्रेषित करती हूँ।

(मीनाक्षी नटराजन)

शुभकामना संदेश

खुमानसिंह शिवाजी
विधायक- नीमच
मध्यप्रदेश विधान सभा

निवास: 2 गाँधी नगर, नीमच केन्ट
जिला- नीमच (म.प्र.)
दूरभाष: 07423-221373

डी-13, 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)

प्रिय,
आशीष शर्मा
सम्पादक- नवीन शोध संसार, नीमच (म.प्र.)

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि म.प्र. के नीमच जिले में प्रथम बार राष्ट्रीय शोध पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' का प्रकाशन होने जा रहा है। यह शोध पत्रिका शोधकर्ताओं के लिए अति उपयोगी होकर समाज को नये अनुसंधान से भी लाभांवित करेगी।उच्च शिक्षा के गुणवत्ता विस्तार वर्ष में नये आयाम के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं प्रेषित करता हूँ।

खुमानसिंह शिवाजी

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

ओमप्रकाश सखलेचा
विधायक- जावद
मध्यप्रदेश विधानसभा

सखलेचा घांटी, जावद (म.प्र.)
फोन: 07420-232595
ई-44,45 बंगला एरिया, भोपाल (म.प्र.)

ए/4 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
फोन: 0755-5293979
मोबा: 9425012604

आपके द्वारा नीमच जिले में राष्ट्र शोध पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' पत्रिका का प्रकाशन प्रथम बार आरंभ होने जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से जो अनुसंधान किये जा रहे है। उनकी जानकारी आम जनता तक पहुचेंगी एवं शोधकर्ताओं विद्यार्थियों एवं आमजन लाभान्वित होंगे। पुन: आशा है कि यह पत्रिका स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी शोध के क्षैत्र में मील का पत्थर साबित होगी। यह एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए आप बधाई के पात्र है एवं भविष्य में भी ऐसे कार्यो की प्रेरणा का संदेश समाज के अन्य वर्गो में चेतना का संचार करेगा।

इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित।

ओमप्रकाश सखलेचा

शुभकामना संदेश

विजेंद्रसिंह मालाहेड़ा
(विज्जु बना)विधायक
क्षेत्र क्रमांक–228, मनासा,
जिला नीमच (म.प्र.)

निवास: ग्राम पोस्ट मालाहेड़ा
तह, मनासा, जिला नीमच
फोन: 07421249804
मो.: 0925440840, 0966015544

भोपाल: ई–135/2 प्रोफेसर कॉलोनी
फोन: 2440501

प्रिय,
आशीष शर्मा
सम्पादक- नवीन शोध संसार,
महोदय,

आपके 'नेशनल रिसर्च जर्नल' के प्रथम अंक के प्रकाशन हेतु मेरी ओर से बधाई एवं बहुत–बहुत शुभकामनाएं, यह बहुत ही अनुठा एवं सराहनीय कार्य है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस कार्य में आपको असीम सफलता प्राप्त हो। पुन: आपको बहुत–बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

विजेंद्रसिंह मालाहेड़ा

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

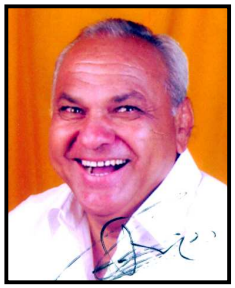

ईश्वरसिंह चौहान
अध्यक्ष
जिला पंचायत, नीमच (म.प्र.)
फोन: (0743) 230401 (ओ.)

38, सिंधी कॉलोनी, हेमु कालानी चौराहा
अमृतकुंभ प्रेस के सामने, नीमच (म.प्र.)
मोबा: 9425106022

भँवरासा, जिला नीमच (म.प्र.)
फोन: (07423) 261611

प्रिय आशीष जी शर्मा,

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि नीमच जिले में प्रथम बार नेशनल रिसर्च जर्नल ''नवीन शोध संसार'' का प्रकाशन किया जा रहा है। यह प्रकाशन जिले के शिक्षा क्षैत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

''नवीन शोध संसार'' नेशनल रिसर्च जर्नल के प्रकाशन से क्षैत्र के जिज्ञासु शोधार्थियों को अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक शोध को प्रदेश, देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी व नवशोधार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा। नवीन शोध समाज के लिए लाभदायक होकर इनका जर्नल के रूप में प्रकाशन सफल हो ऐसी कामना है ।

हार्दिक शुभकामनाएं,

ईश्वर सिंह चौहान (पहलवान)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, नीमच (म.प्र.)

शुभकामना संदेश

निरंजन (राजू) तिवारी
अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति, नीमच

निवास : ''प्रतिक्षा'' भगवानपुरा,
इन्दिरा नगर, नीमच (म.प्र.)
दूरभाष: 07423-233964
मो. 09685806338

प्रिय,
आशीष शर्मा

आपके द्वारा समाज को नवीन शोध से अवगत कराने व अनुसंधानकर्ताओं के शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए किये जा रहे समाज उपयोगी व सकारात्मक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ।

प्रिय बंधु, समाजपयोगी कार्यों में सदैव ईश्वर आपको आशीर्वाद स्वत: ही प्रदान करेगा और आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' के प्रथम अंक के प्रकाशन हेतु भी, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा परमपिता परमेश्वर से यह कामना करता हूँ कि आपके द्वारा किये जा रहे इस बहुमूल्य कार्य को सफलता प्रदान करें। पुन: शुभकामनाऐं।

निरंजन (राजू) तिवारी

* * * * * * * * * * *

श्रीमती नीता हरीश दुआ
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, नीमच

निवास: 165, राजस्व कॉलोनी,
नीमच केन्ट (म.प्र.)
दूरभाष : 0723- 221342
कार्यालय : 07423-220833
मो. 9425328366

प्रति,
श्री आशीष शर्मा

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप नीमच में शोध पत्रिका 'नवीन शोध संसार' का प्रकाशन प्रारंभ करने जा रहे है।

शोध कार्य जितना दुरूद्ध, कठिन एवं श्रम साध्य होता है, उतना ही पथ प्रदर्शक, उत्प्रेरक तथा भविष्य निर्धारण में सहयोगी भी होता है। आप एक पत्रिका के माध्यम से शोधार्थियों और शोध कर्म की सुगमता के लिये निरंतर उपयोगी एवं सार्थक सामग्री सुलभ करवाने के पालन ध्येय से एक महाभियान शुरू करने जा रहे है।

इस पावन प्रसंग एवं पहल के संदर्भ में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और 10 मार्च 2013 को प्रकाशित होने वाले प्रवेशांक से शुरू होने वाली इस ज्ञान यात्रा की व्यापक सफलता के लिये हृदय से शुभकामनाएँ अर्पित करती हूँ।

आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और आपका यश बढ़े, इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ..

(नीता-हरीश दुआ)

शुभकामना संदेश

जे.एन.कांसोटिया
प्रमुख सचिव

दूरभाष: (कार्या.) 91-0755-2441056, 2674923 (फैक्स)
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

अत्यंत हर्ष का विषय है कि नेशनल रिसर्च जर्नल द्वारा ''नवीन शोध संसार'' का प्रकाशन किया जा रहा है। संस्था द्वारा प्रकाशित ''नवीन शोध संसार'' शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने तथा शोध कार्यो की प्रगति एवं उपलब्धताओं को रेखांकित कर जनमानस तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होगी।

कृपया ''नवीन शोध संसार'' के प्रथम अंक के प्रकाशन तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(जे0एन0 कांसोटिया)

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

प्रो.टी.आर.थापक
कुलपति

विक्रम विश्वविद्यालय
उज्जैन (म.प्र.) 456010 भारत
दूरभाष: 0734-2514270 (कार्या.)
फैक्स: 0734-2514276

यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश के प्रमुख विकासशील जिलों में एक नीमच से राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। वर्तमान दौर में शोध कार्यो को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

साथ ही शोध कार्यो को शैक्षिक एवं सामुदायिक विकास के लिए प्रभावी बनाने की जरूरत है। इस प्रकार की शोध-पत्रिकाएं श्रेष्ठ शोध कार्यो को प्रसारित करने के साथ ही समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

मैं शोध पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' के सार्थक एवं सफल प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक मंगलकामनाएं अर्पित करता हूँ।

(प्रो.टी.आर.थापक)

शुभकामना संदेश

डॉ.श्रीमती उषा श्रीवास्तव
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग,
उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय: शास. माधव विज्ञान
महाविद्यालय परिसर, उज्जैन (म.प्र.)
दूरभाष: 0734-2510267

मुझे यह जानकार अतीव प्रसन्नता हो रही है कि 'नवीन शोध संसार' द्वारा राष्ट्रीय शोध जर्नल का प्रकाशन किया जा रहा है। एक विकसित राष्ट्र के लिए मौलिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज विज्ञान एवं माननीय ज्ञान के विशिष्ट व्यवहारों में निरंतर शोध की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश और विशेषत: मालवांचल के लिए शोध का यह प्रवेशांक बड़े अभाव की पूर्ति करेगा और नियमित प्रकाशन से शोध की दिशा को प्रशस्त करेगा।

मैं शोध की दिशा में मालवांचल से राष्ट्रीय स्तर पर इस रिसर्च जर्नल के प्रकाशन पर बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आपके पथ प्रशस्त एवं शोध प्रतिमा के विकास के लिए उपकारी सिद्ध हों।

(डॉ.श्रीमती उषा श्रीवास्तव)

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

डॉ.ज्ञानचंद खिमेसरा
एम.ए., एल.एल.बी, पीएच.डी, डी.लिट्

राजीव गांधी शास. स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)458001
दूरभाष: 07422-256291 (कार्या.)
244293, 407117 (निवास)
फेक्स: 07422-223183

शोध प्रकाशन एक भीष्म संकल्प है। पुरोधा पुरूषार्थ से अभिप्रेत मनुष्य ही इसकी पूर्ति कर सकता है। शोध प्रकाशन नये गवाक्ष खोल सकेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। श्री आशीष शर्मा अपनी युवा ऊर्जा से इस चुनौती को स्वीकार कर रहे है। नयी पीढ़ी इससे लाभांवित होगी। अक्षरों का यह प्रगल्प अक्षुण्य योगदान का अभियान है।

सुधि चिंतकों, लेखकों, शोधार्थियों के लिए नवीन आकाश होगा। अपेक्षा है ज्ञान की साधना में रत शोधार्थी अपनी अंजलि अर्पित करेंगे। प्रकाशन के क्षैत्र में एक नई ज्योति उदिप्त होगी। चिंतन मंथन के अमृत में कुछ नव नवोन्मेष होगा। यह साहित्य का अभिज्ञान प्रदेय होगा।

अनन्त शुभकामनाओं के साथ...

(डॉ.ज्ञानचंद खिमेसरा)
प्राचार्य

शुभकामना संदेश

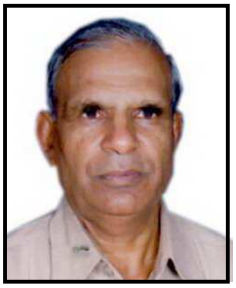

डॉ.शंकर लाल गोयल
एम.ए. (स्वर्ण पदक), एम.फिल. (प्रावीण्य)
एल.एल.बी. (प्रावीण्य), पीएचडी

प्राचार्य
शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय
जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
दुरभाष: 07420-232356 (ऑ)
9827306660

शोध पत्रिकाओं में एक और अभिवृद्धि– ''नवीन शोध संसार'' के प्रकाशन की पहल से अवगत हो अत्यंत प्रसन्नता हुई । म.प्र. के सीमान्त एवं अपेक्षाकृत लघु जिले से यह सकारात्मकता न केवल प्रशंसनीय है वरन वंदनीय भी। चुनौती भरे कार्य के लिए बधाई से ज्यादा शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए।

शोध ज्ञान के संशोधन की आधारभूत प्रक्रिया है। नवीन तथ्यों की खोज या पुरातथ्यों के आधार पर नवीन निष्कर्षों के निष्पादन की पक्रिया में ही ज्ञान विज्ञान और प्रकारान्तर से विश्व की प्रगति सन्निहित है। इसीलिए भारत समेत सारी दुनिया में उच्च शिक्षा के क्षैत्र में शोध/अनुसंधान पर सर्वाधिक बल दिया जाता है।

विज्ञान की शोधों और उनके अनुप्रयोगों ने आज दुनिया का चेहरा ही बदल दिया है। विभिन्न क्षैत्रों के नवीन अविष्कारों ने जीवन को सुविधा सम्पन्न बनाते हुए परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र किया है। कला और वाणिज्य के क्षैत्र के शोध प्रत्यक्ष तो जीवन को उस गति से प्रभावित नही करते जितने विज्ञान के पर व्यक्ति सोच और सामाजिक संघटना पर उनके शनै:शनै: किंतु व्यापक प्रभाव से इंकार नही किया जा सकता।

भारत में शोध की स्थिति को लेकर अनेक चिंतनीय प्रश्न प्राय: उठते रहे है। परिश्रम और ईमानदारी की अपेक्षा इस क्षैत्र को सर्वाधिक है। ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के अच्छे-अच्छे शोध पत्र इस त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित हों-ज्ञान के संवर्धन के सेतु बने और अध्येताओं के वैयक्तिक प्रगति के आधार भी।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...

(डॉ.एस.एल. गोयल)

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

डॉ.श्रीमती अशोका श्रीवास्तव
प्राचार्य
स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

148 ''आकाश दीप''
शिक्षक कॉलोनी, नीमच (म.प्र.)
मोबा. नं. 9926556228

प्रसन्नता का विषय है कि नीमच नगर में शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होने जा रहा है। आशा है कि इसमें प्रकाशित रचनायें उच्च अध्ययन में उपयोगी तथा इस पत्रिका को संग्रहणीय पुस्तक के रूप में स्थापित करने में सफल होंगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन की शुभकामनाओं सहित....

(डॉ.श्रीमती अशोका श्रीवास्तव)

शुभकामना संदेश

डॉ.आर.एस.वर्मा
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर

कार्यालय-
प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर
दूरभाष: 07367-280222,
ई-मेल barnaga_college@rediffmail.com

प्रिय श्री आशीष शर्माजी,

ज्ञात हुआ है कि नीमच जिले से पहला शोध जर्नल ''नवीन शोध संसार'' के नाम से 10 मार्च 2013 को प्रकाशित करने जा रहे है। यह प्रसन्नता का समाचार है कि मालवा क्षैत्र के शोधार्थियों को अब अपने शोध के सम्बंध में जानकारी देने के लिए प्रकाशन के लिए अन्यत्र कहीं भेजने की आवश्यकता नही होगी तथा शोध की विषय वस्तु अब शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगी।इस शुभ अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाऐं आप एवं आपके परिवार को देता हूँ जिनकी प्रेरणा से आपने इस दुष्कर कार्य को करने का संकल्प लिया है। इसकी गुणवत्ता पर सदैव ध्यान रखें एवं विद्वान व्यक्तियों का सहयोग प्रकाशन के सम्बंध में प्राप्त करते रहे यही आपसे अपेक्षा है। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें यही विनय है।

अनेको शुभ एवं मंगलकामनाओं सहित।

(डॉ. आर.एस. वर्मा)

* * * * * * * * * * * *

शुभकामना संदेश

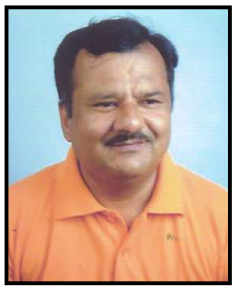

राकेश भारद्वाज
अध्यक्ष
मण्डी व्यापारी संघ, नीमच

कार्यालय -
व्यापारी संघ, मंडी प्रांगण,
नीमच (म.प्र.)458441
मो. 9425106472

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि म.प्र. के मालवांचल के विकासशील नीमच जिले से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका ''नवीन शोध संसार'' का प्रकाशन आपके द्वारा किया जा रहा है। यह शोध पत्रिका शोध के नये आयाम प्रस्तुत कर दुनिया को लाभांवित करेगी व शोध को गति प्रदान कर शोधार्थियों को भी प्रोत्साहित करेगी। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाऐं प्रेषित करता हूँ आपकी शोध पत्रिका को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त हो।

आपका
राकेश भारद्वाज

रोजगार सृजन में मनरेगा की प्रगति का मूल्यांकन

(नीमच जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. प्रकाश चन्द्र रांका
प्राध्यापक – अर्थशास्त्र
श्री सीताराम जाजू शासकीय
कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

सुश्री रेखा मेहना
पीएच.डी. शोध छात्रा
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)

भारत की करीब 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अभी भी गाँवों में रहती है। जब तक गाँवों में रहने वाली लगभग 85 करोड़ से अधिक आबादी का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। चिन्तनीय पहलू यह है कि हाल के वर्षो में भारत में ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। 1993–94 से 2004–05 के बीच ग्रामीण रोजगार में 0.58 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण श्रम शक्ति में होने वाली वृद्धि इससे कहीं अधिक थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अवसरों का सृजन न होने के कारण बहुत से ग्रामीण परिवारों की आय में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर कई किसानों ने आत्महत्या की। इसी मानव त्रासदी को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (NREGA) सितम्बर 2005 में पारित किया।

इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन किया गया। प्रथम चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया तथा दूसरे चरण में 2007–08 में इसका और 130 जिलों में विस्तार किया गया। तीसरे चरण में 1 अप्रेल 2008 से शेष सभी बचे हुए 274 ग्रामीण जिलों में भी इसे लागू कर दिया गया।

इस प्रकार अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना भारत के सभी 604 जिलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत करने हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जात्मक विकास का आधार स्तम्भ बन गई है। 2 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGS) कर दिया गया।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएँ

मनरेगा अधिनियम का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये एक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन रोजगार की गारण्टी प्रदान करता है, जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिये तैयार है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र है।

जॉब कार्ड प्राप्त होने पर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। मजदूरी श्रम आयुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से दी जायेगी। इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य स्थायी सम्पदाओं का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है।

इस अधिनियम में सुझाए गए कार्यों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जो स्थायी गरीबों को जन्म देते है। इसके पीछे यही सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे। यह कार्यक्रम अधिकार आधारित ढांचे तथा मांग प्रेरित दृष्टिकोण के कारण पिछले मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से नितान्त भिन्न है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है –

1. समयबद्ध रोजगार गारण्टी तथा 15 दिनों में मजदूरी भुगतान।
2. राज्य सरकारों को रोजगार प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन। यदि राज्य सरकार रोजगार प्रदान करती है तो उसकी 90 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार उठाएगी और यदि वह 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो आवेदक को पूरे का पूरा बेरोजगारी भत्ता उसे स्वयं देना होगा।
3. मशीनरी का प्रयोग किए बिना श्रम प्रधान कार्यक्रमों को लागू करना। ठेकेदारी प्रथा भी प्रतिबंधित की गई है।
4. लाभार्थियों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए।
5. इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंको या पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से करना अनिवार्य है। इससे निर्धनों के वित्तीय अन्तर्वेशन (financial inclusion) में मदद मिलेगी।
6. मनरेगा के आयोजन, क्रियान्वयन तथा देखरेख में पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका सोंपी गई है। योजनाएँ तैयार करना, उनका अनुमोदन करना तथा उनका कम से कम 50 प्रतिशत लागत तक क्रियान्वयन करना पंचायतों की जिम्मेदारी है।
7. कार्यस्थल पर तात्कालिक उपचार सुविधा, पेयजल, छाया हेतु शेड, झूलाघर आदि उपलब्ध कराया जाता है।
8. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

मनरेगा अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से इस अर्थ में भिन्न है कि यह ग्रामीण जनता को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रोजगार की कानूनी गारण्टी प्रदान करता है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षैत्रों में निवास करने वाले निर्धन लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए मनरेगा विश्व की सबसे बडी वित्तीय तथा महत्वाकांक्षी योजना है। यह अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में कितनी सफल रही है? किस दिशा में इसका अपेक्षित प्रभाव पडा है? क्या यह ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने में सफल रही है? भारत के साथ–साथ मध्यप्रदेश एवं नीमच जिले में योजना के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? इसके सफल क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करने का एक विनम्र प्रयास इस शोध लेख में किया गया है।

इस लेख में भारत में रोजगार प्रदान करने में हुई मनरेगा की प्रगति के साथ मध्यप्रदेश तथा नीमच जिले में हुई मनरेगा की प्रगति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। महिलाओं की रोजगार स्थिति पर योजना के प्रभावों को जानने का भी प्रयास किया गया है। आंकड़ें भारत एवं मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा मनरेगा की वेबसाइट

www.nrega.nic.in एवं www.nregs-mp.org से संकलित करने का प्रयास किया गया है।

भारत में मनरेगा की प्रगति एवं उपलब्धियाँ

मनरेगा विश्व भर में पहला अधिनियम है, जो बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रोजगार की गारण्टी देता है। कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (2006-07) में 2.10 करोड़ परिवारों को 90.5 करोड़ दिन का रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2008-09 में 4.51 करोड़, 2009-10 में 4.90 करोड़, 2010-11 में 4.37 करोड़ श्रमिक परिवारों को रोजगार प्रदान करके योजना ने अपने उद्देश्यों को सार्थक किया। इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की उत्साहजनक भागीदारी रही है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की भागीदारी 2007-08 में 57 प्रतिशत, 2008-09 में 54 प्रतिशत तथा 2009-10 में 51 प्रतिशत आंकी गई है। यद्यपि 2010-11 में इन जातियों की भागीदारी कम होकर 39 प्रतिशत रह गई थी। अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया था कि कुल लाभार्थियों में से महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत होना आवश्यक है। वास्तव में महिलाओं की भागीदारी 2008-09 में एवं 2009-10 में 48 प्रतिशत तथा 2010-11 में 49 प्रतिशत पायी गई है। यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि मनरेगा ने भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

देश के प्राकृतिक संसाधनों के आधार को मनरेगा द्वारा मजबूत बनाया गया है। मनरेगा के अन्तर्गत 2008-09 में 27.75 लाख कार्य शुरू किये गये, जिनमें जल संरक्षण से सम्बंधित कार्य 46% थे। 2009-10 में 36.51 लाख कार्य शुरू किये जिनमें से 51 प्रतिशत जल संरक्षण के, 16 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के तथा 14 प्रतिशत भूमि विकास के कार्य थे। विभिन्न वर्षों में भारत में मनरेगा की प्रगति को तालिका - 1 में दर्शाया गया है -

संलग्न तालिका के समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत भारत में जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या 2006-07 से 2011-12 तक लगभग चार गुना बढ़ गई है।

इसी अवधि में कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या में लगभग तीन गुना तथा रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या में भी लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। रोजगार की मांग करने वाले लगभग सभी परिवारों में से 2006-07 में 99.18 प्रतिशत तथा 2011-12 में 98.85 प्रतिशत परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

कुल सृजित रोजगार मानव दिवस के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति में विरोधाभास दृष्टिगोचर होता है। कुल सृजित मानव दिवस में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 2006-07 में 25.36 प्रतिशत से निरन्तर बढ़ते हुए 2011-12 में 30.62 प्रतिशत हो गया है, (केवल 2011-12 में गिरकर 22.75 प्रतिशत हुआ है) जबकि अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत में निरन्तर गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 2006-07 में 36.44 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 17.11 प्रतिशत रह गया है।

यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रतिशत का प्रावधान न रखने के कारण पिछड़ी हुई जातियों को रोजगार उपलब्ध कराने में विसंगतियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, विशेषकर अनुसूचित जनजाति की भागीदारी में गिरावट सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से सोचनीय पहलू है। महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में यह सकारात्मक तथ्य ज्ञात हुआ है कि कुल लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत 2006-07 के 40.64 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 49.33 प्रतिशत हो गया है।

मध्यप्रदेश में मनरेगा की प्रगति एवं उपलब्धियाँ

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को क्रियान्वित करने में यद्यपि मध्यप्रदेश ने देश के शीर्ष 10 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है, फिर भी राज्य इससे काफी आगे हैं। बेतूल जिले की एक ग्राम पंचायत को नरेगा के अन्तर्गत श्रेष्ठ कार्य करने पर राष्ट्रीय अवार्ड के लिये चयन किया गया। यहाँ की सरपंच श्रीमती हेमलता वाडिवा, उप सरपंच ओम मालवीय एवं पंचायत सचिव रघुनाथ गोहे को 2 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश में कुल 11 पंचायतों को मिला है।

भारत के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश में 2006-07 में 18 जिलों में यह योजना शुरू की गई, जो 2008-09 में 31 जिलों तथा 2010-11 से सभी 50 जिलों में लागू कर दी गई है। मध्यप्रदेश में मनरेगा ने ऐसे ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायता की है, जिनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है तथा रोजगार के अवसर का लाभ उठाने के लिये जरूरतमंद लोगों को जागरूक एवं प्रेरित किया है। इन सब के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश नरेगा कार्यक्रम ने शीघ्र ही प्रदेश में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है तथा रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। मध्यप्रदेश में मनरेगा की प्रगति को तालिका- 2 में दर्शाया गया है -

संलग्न तालिका - 2 के समंकों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या में 2008-09 से 2011-12 की अवधि में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है, जबकि इसी अवधि के दौरान भारत में यह वृद्धि 68.78 प्रतिशत (तालिका-1) वृद्धि है। अर्थात् जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में तुलनात्मक रूप से मध्यप्रदेश अभी भी पीछे है। कार्य की मांग करने वाले परिवारों में से 2008-09 में 99.99 प्रतिशत को तथा 2011-12 में 99.23 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हुई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के परिवारों के प्रतिशत में राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप ही निरन्तर गिरावट हो रही है, अर्थात् इन पिछड़ी हुई जातियों को रोजगार प्रदान करने में कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के पालन में गिरावट हो रही है। अत: प्रशासनिक कसावट की जरूरत है। कुल लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 2011-12 में 42.46 प्रतिशत रही है, जो कि भारत के समंक 49.33 प्रतिशत (तालिका-1) से काफी कम है।

नीमच जिले में मनरेगा की प्रगति की उपलब्धियाँ

1 नवम्बर 2000 को नवगठित नीमच जिले में मनरेगा की प्रगति एवं भारत तथा मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में तुलनात्मक स्थिति को तालिका नं. 3 में दर्शाया गया है।

संलग्न तालिका - 3 के समंकों के अनुसार मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में नीमच जिला काफी पीछे है। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या में नीमच जिले का प्रतिशत 0.43 ही प्राप्त हुआ है, जो कि काफी कम है।

मध्यप्रदेश के 50 जिलों के अनुसार यह न्यूनतम 2 प्रतिशत तो होना ही चाहिये। कुल सृजित मानव दिवस (लाख में) में भी मध्यप्रदेश में नीमच जिले का प्रतिशत 0.45 भी काफी कम है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का हिस्सा 5.13 प्रतिशत रहा है।

कुल लाभान्वित व्यक्तियों में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को नीमच जिले में काफी कम लाभ प्राप्त हुआ है। भारत में चल रहे कुल कार्यों में मध्यप्रदेश का प्रतिशत 9.30 पाया गया है, जबकि मध्यप्रदेश में नीमच जिले का प्रतिशत मात्र 0.6 ही है, जो कि विकासशील नीमच जिले के लिये बहुत ही कम है।

संलग्न तालिका – 4 के समंकों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नीमच जिले में मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों की तुलना में कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या 2009–10 में मात्र 12.74 प्रतिशत थी, जो 2010–11 में बढ़कर 27.13 प्रतिशत हो गई थी।

2011–12 में पुन: यह प्रतिशत घटकर 13.76 हो गया। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कार्य की मांग करने वाले में से 99 प्रतिशत एवं इससे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति का लगभग 11 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा है, जो कि भारत एवं मध्यप्रदेश के प्रतिशत समंकों की तुलना में बहुत ही कम है।

यह निष्कर्ष उल्लेखनीय है कि नीमच जिले में यद्यपि जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति के परिवारों की तुलना में अधिक है, लेकिन कुल सृजित मानव दिवसों में अनुसूचित जाति के मानव दिवसों की संख्या अधिक है।

संलग्न तालिका 5 के समंकों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नीमच जिले में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या में जावद ब्लॉक अग्रणी रहा है ।

यद्यपि रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या में तीनों ही ब्लॉकों में निरन्तर गिरावट दर्ज हुई है। रोजगार की मांग करने वाले लगभग सभी परिवारों (98 % से अधिक) को रोजगार उपलब्ध करा लिया गया है। तुलनात्मक रूप से जावद ब्लॉक में ही अनुसूचित जाति के परिवारों को सर्वाधिक जॉब कार्ड प्राप्त हुए है।

इस प्रकार नीमच जिले में मनरेगा के क्रियान्वयन में जावद ब्लॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। द्वितीय स्थान पर मनासा ब्लॉक एवं तृतीय स्थान पर नीमच ब्लॉक का क्रियान्वयन रहा है।

नीमच का अन्तिम स्थान पर रहने का ज्ञात कारण नीमच का अधिकांश क्षेत्र शहरी क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के नजदीक होना है। शहरी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। जो तालिका क्रमांक 6 से स्पष्ट है ।

संलग्न तालिका – 6 के समंकों के अनुसार कुल सृजित मानव दिवस में महिलाओं के रोजगार की स्थिति का अध्ययन करने पर करने पर ज्ञात हुआ है कि नीमच जिले में मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी तीनों ही ब्लॉकों में (लगभग 26 से 32 प्रतिशत के बीच) राष्ट्रीय स्तर (49.33 प्रतिशत) एवं मध्यप्रदेश के समंकों (42.51 प्रतिशत) से काफी कम रही है। तुलनात्मक रूप से नीमच ब्लॉक में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत थोड़ा सा अधिक पाया गया है। नीमच जिले में कुल रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों को 100 दिन का रोजगार 2011–12 में मात्र 3.88 प्रतिशत परिवार को तथा 2012–13 में जनवरी माह तक मात्र 1.90 प्रतिशत परिवार को ही मिल पाया है, जो कि बहुत कम है। यह स्थिति योजना में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार गारण्टी कानून का परिहास कर रही है। इस और विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। 2011–12 में 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या जावद ब्लॉक में सर्वाधिक (418) रही है, जबकि 2012–13 में रिपोर्टिंग माह जनवरी तक मनासा ब्लॉक आगे है।

निष्कर्ष एवं चुनौतियाँ :

अनेक कमियों के बावजूद '' अपनी मूल भावना में मनरेगा अभी तक के सभी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से नितान्त भिन्न तथा अधिक सफल कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यह रोजगार को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है तथा यह मांग प्रेरित है'' (सी.पी. चन्द्रशेखर एवं जयति घोष 2009) ग्रामीण क्षेत्रों की मौसमी एवं अदृश्य बेरोजगारी दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की एक अद्भूत एवं महत्वाकांक्षी योजना के रूप में मनरेगा काफी हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रही है।

महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित होने के बावजूद मनरेगा के अन्तर्गत भारत में 49.33 एवं मध्यप्रदेश में 42.51 प्रतिशत की महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम है, लेकिन नीमच जिले में महिलाओं की भागीदारी 27 से 31 प्रतिशत के मध्य ही रही है, जो चिन्तनीय पक्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग नीमच जिले में योजना से काफी कम लाभान्वित हुए है, यद्यपि राष्ट्रीय स्तर एवं मध्यप्रदेश में इन जातियों को योजना से काफी अच्छा लाभ मिला है। जहाँ इस योजना के अधीन ग्रामीण जनता को 100 दिन के रोजगार देने की बात की गई थी, वहां दिसम्बर 2012 के अंत तक देश में औसतन केवल 58 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सका। नीमच जिले में तो कार्य की मांग करने वालों में से मात्र 05 प्रतिशत से भी कम लोगों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो पाया है। 2010–11 में भारत में मनरेगा के अधीन 40,100 करोड़ रू. खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, जबकि वास्तविक खर्च लगभग केवल 23,000 करोड रूपए ही रहा, जो कि बजटीय व्यवस्था का मात्र 57 % है।

निष्कर्ष में कह सकते है कि जहाँ भारत में इस योजना के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का ग्राफ उपर की ओर बढ़ता गया है, वहीं मध्यप्रदेश में तुलनात्मक रूप से नीचे है। मध्यप्रदेश की तुलना में नीमच जिले में तो उपलब्धियों का ग्राफ काफी नीचे की ओर पाया गया है। नवगठित नीमच जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक कसावट की अधिक जरूरत है। जिले में मनरेगा से लाभान्वितों की संख्या इतनी कम क्यों है? इसके कारणों पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। योजना की पूर्ण सफलता में काफी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ है, जैसे भ्रष्टाचार, क्रियान्वयन की अत्यधिक लागत, क्रियान्वयन में अनियमितताएँ, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टॉफ की कमी, अनुत्पादक परियोजनाएँ, कार्यान्वयन में अनुत्साह आदि। योजना में पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखनी होगी तभी यह योजना अपने स्वर्णिम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगी। इस संदर्भ में सी.पी. चन्द्रशेखर तथा जयति घोष का मत महत्पूर्ण है–

''NREGS आर्थिक आधार पर अपने मूल रूप में अनिवार्यत: 'अन्तर्वेशन' या 'समावेशन' सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह उन लोगों को स्व–लक्षित करता है, जो दैनिक मजदूरी के बदले अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। परंतु यह बात भी उभर कर सामने आ रही है कि यह सामाजिक अन्तर्वेशन की भी योजना है, क्योंकि इसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी अनुपातिक रूप से अधिक है।''

संदर्भ :

(1) Hindustan Times, February 2, 2011, p,11
(2) Business Standard, Feb 3, 2011, P,1 and P 9
(3) कुरूक्षेत्र, अप्रेल 2012 वर्ष 58 अंक 06
(4) Misra and Puri : Indian Economy, Himalaya Publishing House (2012)
(5) WWW.narega.nic.in
(6) www.nregs _mp.org
(7) Economic servey of India 2010 - 11 , 2011 - 12
(8) Govt. of India, ministry of Rural Development : Mahatma Gandhi NREGA sameeksha (2006-12)
(9) C.P. Chandra Sekhar and Jayati Ghosh, " Social Inclusion in the NREGS" , Business Line, January 27, 2009.

तालिका - 1

वर्ष	जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या (करोड़ में)	कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार की संख्या	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	अनुसूचित जाति मानव दिवस (लाख में)	कुल में अनु. जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति मानव दिवस (लाख में)	कुल में अनु. जन जाति का प्रतिशत	महिलाएँ मानव दिवस (लाख में)	कुल में महिलाओं का प्रतिशत	अन्य
2008-09	1.12	5207862	5207665	2946.97	525.07	17.82	1379.55	46.81	1275.39	43.28	1042.35
2009-10	1.12	4714916	4714591	2624.03	485.04	18.48	1189.84	45.34	1160.55	44.23	949.15
2010-11	1.13	4445781	4407643	2198.16	425.18	19.34	955.02	43.44	976.02	44.40	817.96
2011-12	1.87	2739760	2718841	892.341	183.55	20.56	241.09	27.01	378.96	42.46	467.69

स्रोत: www.nrega.nic.in, 15 February 2013

तालिका - 2

वर्ष	जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या	कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	अनुसूचित जाति मानव दिवस (लाख में)	कुल में अनु. जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति मानव दिवस (लाख में)	कुल में अनु. जन जाति का प्रतिशत	महिलाएँ मानव दिवस (लाख में)	कुल में महिलाओं का प्रतिशत	अन्य
2006-07	37850390	21188894	21016099	9050.54	2295.23	25.36	3298.73	36.44	3679.01	40.64	3456.59
2007-08	64740595	34326563	33909132	14367.95	3942.34	27.44	4205.60	29.27	6109.10	42.51	6219.98
2008-09	100145950	45518907	45115358	21632.86	6336.18	29.29	5501.64	25.43	10357.32	47.87	9795.06
2009-10	112548976	52920154	52585999	28359.57	8644.83	30.48	5874.39	20.71	13640.51	48.91	3840.34
2010-11	119824438	55763244	54954225	25715.25	7875.65	30.62	5361.80	20.85	12274.23	47.73	12477.81
2011-12	121268914	38294824	37855866	12087.19	2750.18	22.75	2068.68	17.11	5962.98	49.33	7268.36

स्रोत: www.nrega.nic.in, 15 February 2013

तालिका - 3 मध्यप्रदेश में नीमच जिले की तुलनात्मक स्थिति (2012-13)*

विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	जिला नीमच
1. कुल परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया	4.53 करोड़	26.58879 लाख	0.11523 लाख
2. कुल सृजित मानव दिवस	166.57 करोड़ दिवस	854.13 लाख दिवस	3.89 लाख दिवस
(i) अनुसूचित जाति मानव दिवस	36.64 (22%) करोड़	163.94 लाख दिवस (19.19%)	0.56 लाख दिवस (14.31%)
(ii) अनुसूचित जनजाति मानव दिवस	27.3 करोड़ दिवस (16.39%)	242.68 लाख दिवस (28.41%)	0.44 लाख दिवस (11.27%)
(iii) महिला (मानव दिवस)	88.03 करोड़ दिवस (52.85)	363.12 लाख दिवस (42.51%)	1.05 लाख दिवस (26.93%)
(iv) अन्य	102.63 करोड़ दिवस (61.61%)	447.52 लाख दिवस (52.39%)	2.89 लाख दिवस (74.42%)
3. कुल कार्य	65.47 लाख	609189	3376
4. पूर्ण कार्य	12.12 लाख	102896	308
5. चल रहे कार्य	53.35 लाख	506293	3068

** रिपोर्टिंग माह जनवरी 2013 (वित्तीय वर्ष 2012-13) तक के समंक * स्रोत www.nrega.nic.in, 22 February 2013*

तालिका – 4 नीमच जिले में मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार की प्रगति

वर्ष	जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या							रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या
	अनुसूचित जाति	कुल का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल का प्रतिशत	अन्य	अन्य का प्रतिशत	कुल		
2009-10	14560	10.83	16085	11.97	103770	77.20	134415	17124	17104
2010-11	14564	10.84	16092	11.98	103665	77.17	134321	36438	36324
2011-12	14547	10.81	16077	11.95	103942	77.25	134550	18512	18500
2012-13*	14547	10.81	16077	11.95	103942	77.25	124566	11863	11629

स्त्रोत: www.nrega.nic.in, 20 February 2013 ✲ वित्तीय वर्ष 2012–13 के जनवरी माह तक के उपलब्ध समंकों के अनुसार

तालिका – 5 नीमच जिले में ब्लॉक अनुसार रोजगार की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2010–11)

ब्लॉक	जाब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या								
	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत	कुल	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या
जावद	7497	16.22	5696	12.32	33024	71.45	46217	21727	21668
नीमच	2864	7.35	4183	10.74	31898	81.90	38945	5145	5093
मनासा	4203	8.55	6213	12.64	38743	78.81	49159	9566	9563
कुल	**14564**	**10.84**	**16092**	**11.98**	**103665**	**77.18**	**134321**	**36438**	**36324**
वित्तीय वर्ष 2011-12									
जावद	7483	16.14	5694	12.28	33174	71.57	46351	9995	9995
नीमच	2858	7.34	4174	10.72	31901	81.94	38933	2779	2768
मनासा	4206	8.54	6209	12.59	38851	78.86	49266	5738	5737
कुल	**14547**	**10.81**	**16077**	**11.95**	**103926**	**77.24**	**134550**	**18512**	**18500**
वित्तीय वर्ष 2012-13*									
जावद	7483	16.14	5694	12.28	33174	71.57	46351	5396	5252
नीमच	2858	7.34	4174	10.72	31901	81.94	38933	1927	1915
मनासा	4206	8.53	6209	12.59	38867	78.87	49282	4540	4462
कुल	**14547**	**10.81**	**16077**	**11.95**	**103942**	**77.24**	**134566**	**11863**	**11629**

✲ वित्तीय वर्ष 2012–13 (रिपोर्टिंग माह जनवरी 2013 तक के उपलब्ध समंक) ✲ स्त्रोत: www.nrega.nic.in, 22 February 2013

तालिका – 6 नीमच जिले में ब्लॉक अनुसार महिलाओं व विकलांगों की रोजगार स्थिति (कुल सृजित मानव दिवस में)

ब्लॉक	वित्तीय वर्ष 2011-2012			
	कुल सृजित मानव दिवस	महिलाओं का प्रतिशत	100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या	लाभार्थी विकलांगों की संख्या
जावद	375455	31.58	418	6
नीमच	86927	32.92	81	7
मनासा	202730	26.62	219	0
कुल	**665112**	**30.24%**	**718**	**13**
	वित्तीय वर्ष 2012-2013*			
जावद	171285	29.47	92	3
नीमच	61967	26.97	22	2
मनासा	170714	25.20	122	3
कुल	**403966**	**27.24**	**236**	**8**

✲ रिपोर्टिंग माह जनवरी 2013 तक के उपलब्ध समंक ।✲ *स्त्रोत : www.nrega.nic.in 22 February 2013*

मानवाधिकार, संवैधानिक उपबन्ध और पुलिस प्रशासन

डॉ. रवीन्द्र कुमार सोहोनी
प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, सीतामऊ
जिला – मन्दसौर (म.प्र.)

डॉ. नीरजा सोहोनी
सहायक प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान
जैन कला एवं वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय
मन्दसौर (म.प्र.)

मानव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मानवीय संवेदनाएं, सहज संप्रेषण शक्ति, ओजस्वी और मार्मिक वाणी, सजग और सक्रिय मस्तिष्क तथा अपार करूणा व ममत्व से भरा हृदय मानव को पृथ्वी के अन्य जीवों से पृथक करता है। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद साहब आदि सभी ने अपनी करूणा और असीम त्याग तथा समर्पण से मानव को एक नया प्रकाश प्रदान कर आलोकित किया है। सभी महापुरूषों ने मूल्यों पर आधारित मानव के माध्यम से इस मृत्युलोक को स्वर्ग बनाने की चेष्टा की वहीं दूसरी और इस बात का प्रयास किया कि ईश्वर की इस सर्वश्रेष्ठ और सुंदरतम कृति को अधिकाधिक सजाया तथा संवारा जायें।

मानवाधिकार शब्द हिन्दी का युग्म शब्द है – जो दो शब्दों मानव+अधिकार से मिलकर बना है। मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी परिधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। अपनी व्यापक परिधि के कारण मानव अधिकार शब्द का प्रयोग भी अत्यंत व्यापक विमर्श का विषय बन गया है। वर्तमान दौर में मानव अधिकार किसी देश या राज्य की आंतरिक या घरेलू अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला विषय नहीं रह गया है।

डब्ल्यू. रिचर्डस के अनुसार ''मानव अधिकार वह न्यूनतम आवश्यकता है जिनकी मांग अधिकार स्वरूप होनी चाहिए तथा जिनके अभाव में कोई भी मानव अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकता है और न हीं मानव की भाँति जीवन व्यतीत कर सकता है।''

जॉन मर्टनसन मानव अधिकारों के विषय में लिखते है ''मानव अधिकार हमारे स्वभाव में निहित है तथा जिसके बिना हम मानवीय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते है।''

मनुष्य की अपनी आत्मिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मानव अधिकारों के साथ ही मानव की अपनी नैसर्गिक विशेषताओं को भी पूर्ण से विकसित करें।

प्रसिद्ध विधिशास्त्री और चिंतक डेविड सेलबाई ने मानव अधिकारों के विषय में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है – ''मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि वे स्वयं में मानवीय है, वे पैदा नहीं किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते है।''

सारांशत: कहा जा सकता है कि मानव अधिकार हमारी प्रकृति में अंतर्निहित है ये अधिकार मनुष्य के अस्तित्व एवं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य है तथा इनका सम्बंध जीवन के सभी पक्षों से हैं।

'पुलिस' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द (Politeia) अथवा इसी के समानार्थी लेटिन शब्द (Politia) शब्द से हुई है। पुलिस शब्द से अभिप्राय है – व्यवस्था बनाए रखना, कानूनों का परिपालन करना तथा राज्य के आंतरिक शासन के नियंत्रण की पद्धति निर्धारित करना। पुलिस अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनसामान्य की सुख–सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। भारत में पुलिस प्रशासन के अभ्युदय एवं विकास के सम्पूर्ण काल को हम सुविधा की दृष्टि से तीन कालखण्डों में विभाजित कर सकते है –

(अ) आरंभिक काल–प्राचीन काल से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन तक
(ब) संक्रमण काल– ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से सन् 1947 तक
(स) अर्वाचीन काल –सन् 1947 से अभी तक।

'वास्तव में देखा जाय तो आज की भारतीय पुलिस की नींव तथा संगठन की शुरूआत वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल (1772–75) में हुई थी।[4] वारेन हैस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किए गये सुधारों के उपरान्त भी अपराधों में कोई कमी नहीं हुई बल्कि उसमें वृद्धि होती गयी।[5]

सन् 1813, 1816 तथा 1827 के बारहवें रेगूलेशन में अपराधों के नियंत्रण तथा पुलिस सुधारों की सिफारिश देखने को मिलती है।

सन्1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् 1858 में पारित गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के द्वारा सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गयी और लार्ड कैनिंग को भारत का गर्वनर जनरल नियुक्त किया गया। लार्ड कैनिंग ने शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए तथा पुलिस बल के गठन करने के उद्देश्य से 17 अगस्त 1860 को अधिसूचना द्वारा श्री एम.एच. कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, जिसका प्रतिफल 47 धाराओं वाला 'पुलिस एक्ट' 1861 था। यह पुलिस एक्ट 16 मार्च, 1861 को एक बिल के रूप में स्वीकृत किया गया।'

मानव अधिकारों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका अहम् है। स्वातंन्त्र्योत्तार भारत में पुलिस के कार्यो, दायित्वों में अबाध गति से वृद्धि हुई है। समाज का कोई भी क्षेत्र एवं मानव जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं बचा है जो पुलिस के कार्य क्षेत्र की परिधि से बाहर हों यद्पि भारत वर्ष स्वतंत्र हो गया और पुलिस भी भारतीय हो गयी, परन्तु उसकी कार्यशैली में प्रजातांत्रिक राज्य की भावना के अनुरूप परिवर्तन नहीं आ पाया है।

व्यक्ति की गिरफ्तारी, निरोध और मानवाधिकार ये सभी विषय पुलिस अन्वेषण से सीधे जुड़े हुए है। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना प्रक्रिया का एक अंग है। गिरफ्तारी के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से पूछताछ की जाकर निरापद सत्य का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य में पुलिस अधिकारी को शांति, धैर्य एवं संवेदनशीलता का परिचय देना होता हैं। उसे यह भी ध्यान रखना होता है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को न तो यातना दी जाय और न ही उत्पीड़ित किया जाय। यातना और उत्पीड़न से उसके मानवाधिकारों एवं मूल अधिकारों का हनन होता है।

अब यह धारणा बन चुकी है कि कैदी, बन्दी और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति समाज का ही एक अभिन्न अंग होता है। मात्र गिरफ्तारी अथवा जेल में बंद हो जाने से वह अपने मूल एवं मानवाधिकारों से वंचित नहीं हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसे जेल में भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध रहता हैं।

मूलभूत अधिकारों एवं मानवाधिकारों को जेल की दीवारों से बाहर नहीं

किया जा सकता है। क्योंकि जेल की दीवारें भी काननू की पत्थरों से बनी होती है। इतना सब कुछ होते हुए भी कैदियों, बंदियों एवं गिरफ्तार व्यक्तियों को यातनायें दी जाती है तथा उन्हें पग-पग पर उत्पीड़ित किया जाता है। हमारे न्यायालयों ने इस प्रवृत्ति को मूल अधिकारों एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है कि ''किसी कैदी को तुच्छ आधारों पर 8 से 11 माह तक हथकड़ी के साथ एकांतवास में रखना अमानवीय कृत्य है। यह मानव प्रतिष्ठा पर आद्यात है। मानव प्रतिष्ठा हमारे संविधान का एक बहुमूल्य आदर्श है जिसकी आशंकाओं के आधार पर बलि नहीं दी जा सकती है।''

संवैधानिक उपबन्ध -

भारतीय संविधान के अध्याय तीन के अनुच्छेद 22 में भी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें तीन प्रकार के संरक्षणों का उल्लेख है -

(i) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार,

(ii) अपनी रूचि के अभिभाषक (विधि व्यवसायी) से परामर्श करने का अधिकार, एवं

(iii) गिरफ्तारी के पश्चात् 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।

संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार एवं निरूद्ध व्यक्तियों को भी महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किये गये है। उनका एक अधिकार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का है। यह सक्षम प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार से अवगत कराये।

निवारक निरोध के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को विचारण के बिना दण्डित नहीं किया जा सकता।

(1) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार -

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का सबसे पहला अधिकार गिरफ्तारी के कारण जानने का है। गिरफ्तारी बताये बिना किसी व्यक्ति को लम्बे समय तक निरोध में नहीं रखा जा सकता है। उसका यह अधिकार जमानत पर रिहा हो जाने के बाद भी बना रहता है।13 यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताये जाने में विलम्ब किया जाता है तो ऐसे विलम्ब का स्पष्टीकरण देना होता है।[14]

यह व्यवस्था उचित भी हैं क्योंकि गिरफ्तारी के कारण जाने बिना कोई भी व्यक्ति अपनी समुचित प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है।

(2) अपनी रूचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार-

गिरफ्तारी के कारण जानने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति का दूसरा अधिकार अपनी पसन्द के अधिवक्ता से परामर्श करने का है। अधिवक्ता के माध्यम से ही गिरफ्तार व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करता है।

यहाँ एक प्रश्न उठता है यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और वह अधिवक्ता की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी दशा में उसके इस अधिकार का क्या होगा? इस सम्बंध में अब ऐसी व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 तथा भारतीय संविधान के चतुर्थ अध्याय के अनुच्छेद 39-क में इसका उल्लेख मिलता है।

(3) गिरफ्तारी के पश्चात् चौबीस घंटों में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकारी -

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटों से अधिक निरूद्ध नहीं रखा जा सकता है।15 ऐसे व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57 में भी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार -

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक निरूद्ध न किया जाना - कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तारी के विरूद्ध तथाकथित महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किये गये है। अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह इन उपबंधों का अनुपालन करें।

संदर्भ -

1. रिचर्डस् डब्ल्यू. राईट्स, ह्यूमन राईट्स एण्ड रेशियल डिसक्रिमीनेशनस्, द जनरल ऑफ फिलॉसाफी, वाल्यूम 61, अक्टुबर 1964, पृ. 628-36
2. जॉन, मर्टनसन, 40 एनविर्सरी ऑफ द युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, युनाईटेड नेशन्स पब्लिकेशन्स, न्यूयार्क, 1988
3. अरूण कुमार पलाइ, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (गठन, कार्य और भावी परिदृश्य), राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1999, पृ. 11
4. डॉ. परिपूर्णानंद वर्मा, भारतीय पुलिस विश्वविद्यालय, प्रकाशन, वाराणासी 1984, पृ. 15
5. रिपोर्ट ऑफ इण्डियन पुलिस कमीशन (1902-03) शिमला (गवर्नमेन्ट सेंट्रल ट्रेनिंग ऑफिस) पृ. 8
6. डॉ. राजेन्द्र पाराशर, पुलिस एट एडमिनिस्ट्रेशन, दीप एंड दीप पब्लिकेशनंस, नई दिल्ली 1986, पृ. 15
7. सुल्तान अकबर खाँ, पॉवर पुलिस एण्ड पब्लिक विशाल पब्लिकेशन्स, कुरूक्षेत्र, 1983, पृ. 17-18
8. वादीश्वरन ब. स्टेट ऑफ तमिलनाडु (1983) 2 SCC 68:1983 SCC (Cri) 342: AIR 1983 SC 361
9. सुनील बत्रा ब. स्टेट (दिल्ली प्रशासन) (1980) 3 SCC 488:1980 SCC(Cri) 777: AIR 1980 SC 1579 चार्ल्स शोभराज ब. अधीक्षक सेन्ट्रल जेल, तिहाड़ (1978) 4 SCC 104:1978 SCC (Cri) 542: AIR 1978 SC 1514
10. किशोरसिंह ब. स्टेट ऑफ राजस्थान (1981) 1SCC 503:1981 SCC (Cri) 191: AIR 1981 SC 625
11. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ब. संतोष कुमार आचार्य (2000) 7 SCC 463: AIR 2000 SC 2504
12. सी. रघुनन्दन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2002 SC 1460
13. स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश ब. शोभाराम AIR 1966 SC 1910
14. तारापद डे ब. स्टैट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1951 SC 174
15. स्टेट ऑफ उत्तारप्रदेश ब. अब्दुल समद, AIR 1962 SC 1506
16. डी.के. बसु ब. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल (1997), 1SCC 416:1997 SCC (Cri) 92: AIR 1997 SC 610

बालिका सशक्तिकरण में उच्चशिक्षा की भूमिका

डॉ. रश्मि शर्मा
सहायक प्राध्यापक (संविदा) विधि-विभाग
नेहरू शास. महाविद्यालय, आगर मालवा
जिला - शाजापुर (म.प्र.)

डॉ. पी.एस.पटेल
प्राध्यापक वाणिज्य विभाग
शासकीय महा.महिदपुर
जिला- उज्जैन (म.प्र.)

1. **प्रस्तावना -** किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, उसका इतिहास और भाव-भाषा वहां की बालिकाओं के विकास, प्रगति और समृद्धि में परिलक्षित होता है। बालिकाओं का समाज में जो स्थान वैदिक सभ्यताओं में हम पढ़ते आए है वो स्थान आज के विकासशील भारत में नजर नहीं आता है वैसे तो प्रमुख शहरों में बालिकाओं की दशा संतोषजनक है, पर यदि हम भारत के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो आंकड़ों में अत्यधिक असमानता देखने को मिलती हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे समाज में अशिक्षा रूपी अंधकार को मिटाया जा सके।

   बालिकाओं/महिलाओं को बालकों/पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उन्नयन के साथ उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता को अधिक प्रबल बनाने हेतु किये गये एवं किये जा रहे प्रयास को ही बालिका सशक्तिकरण कहा जा सकता है।
2. **शोध के उद्देश्य :-** प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा लागू की गई शैक्षणिक सुविधाओं के कारण बालिका सशक्तिकरण के अवरोधी कारक कहां तक दूर हुए हैं। साथ ही बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु निर्मित कानून व्यवस्था की स्थिति का पता लगाना भी लक्षित है।
3. **पुष्टि की प्रत्याशा में प्राकल्पनाएँ :-** शोध पत्र के संभावित परिणामों की पुष्टि हेतु प्राकल्पनाएँ प्रस्तुत है-
   - **अ.** सरकार द्वारा किये गये प्रयास से बालिका सशक्तिकरण के अवरोधी कारकों को दूर करने में सहायता मिली हैं तथा उनकी जीवन दशा उन्नत हुई हैं।
   - **ब.** बालिकाओं के लिए निर्मित संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान 'बालिका सशक्तिकरण' हेतु प्रासंगिक है।
4. **शोध उपकरण-**यहाँ सांख्यिकीय समंको के प्रयोग हेतु द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी सम्मिलित की गयी है तथा माननीय न्यायालय के निर्णय में निरूपित मार्गदर्शक विधि व्यवस्था का सहयोग भी लिया गया है।
5. **शोध का वर्तमान परिदृश्य एवं वांछित परिवर्तन :-** बालिका सशक्तिकरण में सरकार की सराहनीय भूमिका के कारण आज बालिकाएं/महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। यह सही है कि अभी भी शिक्षा में बालिकाओं का नामाकंन कम हैं तथा नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व अधिक नहीं है। फिर भी शिक्षा ने उनकी परम्परागत निम्न परिस्थिति को ऊँचा करने, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने तथा अपनी क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाने के अवसर प्रदान किए है।

मध्यप्रदेश में बालिकाओं की विगत शैक्षणिक नामांकन स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है यथा -

शैक्षणिक संस्थाओं में छात्राओं की स्थिति

अध्ययन स्तर	छात्राओं की संख्या		कुल विद्यार्थियों में छात्राओं का प्रतिशत	
	2006	2007	2006	2007
प्राथमिक या पूर्व प्राथमिकविद्यालय	4282886	5766098	49.70	47.87
माध्यमिक विद्यालय	1254293	2143839	46.03	45.81
हाई-स्कूल	596975	688936	37.17	37.90
हायर-सेकेन्डरी स्कूल	343906	397004	37.27	37.32

सन्दर्भ - म.प्र. के जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतांक 2006-07, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र. पृष्ठ 75-82

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञातव्य है कि छात्राओं की संख्या हर एक स्तर पर विगत वर्ष की अपेक्षा बढ़ रही है किन्तु एक स्तर से अगले स्तर में नामांकन संख्या घट रही है। साथ ही कुल विद्यार्थिओं में छात्राओं का प्रतिशत भी छात्रों से कम है। इसलिए बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति छात्रों की अपेक्षा न्यून है।

प्राथमिक शिक्षा में प्रवेशित छात्रों का उच्च शिक्षा हेतु सकल नामाकंन अनुपात मध्यप्रदेश में अभी भी 13 प्रतिशत हैं, इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश में 342 शासकीय महाविद्यालय, 636 अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 77 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय है। वर्ष 2011-12 में महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल संख्या 294890 है जिसमें से 130820 छात्राऐं एवं 164070 छात्राऐं है यहां भी छात्राओं का नामांकन कम है। 2010-11 में राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात हेतु 15 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था किन्तु मध्यप्रदेश शासन के उच्चशिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर से अधिक सकल पंजीयन अनुपात 16.09 प्रतिशत प्राप्त किया है।[1] सिर्फ महिलाओं की उच्च शिक्षा में सकल नामाकंन अनुपात की बात करें तो स्थिति इस प्रकार है- महिलाओं का सकल नामाकंन अनुपात गोआ 59: मध्यप्रदेश में 37: जबकि बिहार में 30: हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत म.प्र. में साक्षरता की दर 70.6: है, जिनमें पुरूष साक्षरता दर 80.5: हैं और महिला साक्षरता दर 60: है। दशक के साक्षरता दर में 6.9: की वृद्धि हुई है जिसमें से पुरूष साक्षरता दर 4.5: से एवं महिला साक्षरता दर 9.7: से वृद्धि हुई है।

इसी का परिणाम है कि आज लैंगिक अन्तराल कम हो रहा है तथा भारतीय समाज निरन्तर लैंगिक समता की ओर आगे बढ़ रहा है यद्यपि यह भारत जैसे देश के लिए एक कठिन लक्ष्य है क्योंकि अमेरिका एवं पश्चिमी

देशों में भी पूर्णरूपेण लैगिंक समता नहीं आ पाई है, फिर भी उच्च शिक्षा इस अतंराल को पर्याप्त सीमा तक कम करने में सफल रही है।

भारत में सरकार ने स्त्रियों के सशक्तिकरण की जो नीति निर्धारित की है उसमें भी शिक्षा एवं रोजगार के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। वस्तुत: सशक्तिकरण के छह प्रमुख आयाम है यथा शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक, भौतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक। इन सबमें महत्वपूर्ण आयाम उनकी उच्चशिक्षा से संबंधित है। बिना बालिकाओं की उच्चशिक्षा के न तो उन्हें उपयुक्त रोजगार ही मिल सकता है, ओर न ही वे सत्ता में अपनी भागीदारी एवं समान प्रतिनिधित्व की मांग रख सकती हैं, साथ ही बिना उच्चशिक्षण प्राप्त किये उनके हितों की रक्षा हेतु पारित कानूनों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती इसलिए उच्च शिक्षा से बालिकाऐं उनके कॅरियर में बाधक संरचनात्मक रूकावटों के प्रति जागरूक हो रही है। बिना उच्च शिक्षा के वे लिंग पर आधारित असमतावादी सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बदलने का साहस नहीं कर सकती है।

यह सही है कि उच्चशिक्षा ने बालिकाओं को घर से बाहर नौकरी करने के अवसर उपलब्ध कराएं है परंतु उनमें आत्मनिर्भरता नहीं आ पाई हैं, क्योंकि बहुत कम कामकाजी युवा बालिकाएं ऐसी है जिनका अपनी आय के सदुपयोग हेतु निवेश-नियंत्रण है।

उच्चशिक्षा एवं रोजगार बालिकाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं सत्ता में भागीदारी को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालिकाओं में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या उच्चशिक्षा प्राप्त बालिकाएं अपने अधिकारों की रक्षा हेतु निर्मित कानूनों के प्रति सचेत है? यहाँ भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। घरों और कार्यस्थलों पर उनके शोषण के बढ़ते हुए मामले इस तथ्य के द्योतक हैं कि उच्चशिक्षा भी उनमें यह जागरूकता नहीं ला पायी है। अत: कहीं न कहीं उच्चशिक्षा को मूल्यपरक भी बनाए जाने की आवश्यकता है।

वैश्विक स्तर पर जहां महिलाओं के सम्मान एवं प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए, वहीं भारत में भी स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई संवैधानिक व कानूनी कदम उठाए गए। जिस तरह से उच्च शिक्षा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु पर्यावरण को पाठयक्रम का अनिवार्य विषय घोषित किया गया है, इसी तरह से बालिकाओं को कानून का पाठ भी अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय में विधिक सहायता शिक्षण शिविर और मानवाधिकार शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों से परीचित हो सके और उनके हक में बने कानूनों का लाभ उठाकर गरिमामय जीवन जी सके।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बालिकाएं पोषण, साक्षरता व लिंगानुपात तीनों में ही अत्यंत शोचनीय स्थिति में है। स्थिति यहीं पर नहीं थमती घरेलू हिंसा के मोर्चे पर भी बालिकाएं /महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि 2005 में संसद को घरेलू हिंसा निवारक अधिनियमपारित करना पड़ा, किंतु वह भी पर्याप्त प्रभावी नहीं हुआ। केरल को छोड़कर अन्य राज्यों ने इस अधिनियम का परिपालन करवाने हेतु गठित प्रकोष्ठों का उत्तरदायित्व ऐसे अधिकारियों कों सौंप दिया, जिन पर पहले ही अन्य पर्याप्त प्रशासनिक प्रभार थे, परिणाम यह हुआ कि कानून बनने के बाद भी घरेलू हिंसा में 30: वृद्धि हुई।

यह खुशी की बात है कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई जनहितकारी योजनाएं आरंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा आरंभ राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशनऔर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आरंभ लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्या धन योजना इसके उदाहरण है किंतु उन्हें पूर्ण आत्मनिर्भर एवं स्वनियंता बनाने के लिए पंचायती राज की तरह ही संसद तथा विधायिकों में भी आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

बलात्कार व यौनजन्य हिंसा की कार्यवाही फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। इस हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में सुधार की पर्याप्त गुंजाईश है। कानून में जिस तरह से हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है उसी तरह से बलात्कार के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इससे पीड़ित का समाज में जीना दुभर हो जाता है।

दहेज हत्या 304-बी में भी संशोधन अपेक्षित है। दहेज-हत्या के लिये भी मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। इसी के साथ मानव तस्करी के प्रावधानों को भी कठोर बनाने की जरूरत है। महिलाओंको सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से लोकसभा में विगत दिनों पेश कामकाजी महिलाओं विषयक यौन उत्पीड़न निरोधक विधेयक में भी सुधार अपेक्षित है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) -इस बहुचर्चित वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नियोजन के दौरान यौन शोषण के विरूद्ध यौन/लैंगिक समानता के मानव अधिकार के प्रभावशाली प्रवर्तन के लिए कानून बनाने की आवश्यकता रेखांकित की तथा अभिनिर्धारित किया कि जब तक ऐसा कानून पारित नहीं होता तब तक न्यायालय के मार्गदशक सिद्धान्तों को लागू किया जाए।

भारत में बालिकाओं की संख्या घट रही है। अत: कन्या भ्रूण हत्या पर कारगर नियंत्रण हेतु कानूनी पहल की गई। प्रसव- पूर्व तकनीक निवारण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या एक गैर- जमानती अपराध हैं बाल-विवाह प्रतिबंधित अधिनियम के होते हुए भी बाल-विवाह की कुप्रथा जारी है अत: आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किये जाएं।

अभी भी परिवार में परम्परा के आधार पर बालिकाओं को समान उत्तराधिकार नहीं दिया जाता हैं, परंतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के अनुसार बालिकाओं को भी अपने मायके की सम्पत्ति पर समान अधिकार हैं। कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान विशेष स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रावधान हैं। नियोजक द्वारा ऐसी सुविधाएं देने से इंकार करना गैर कानूनी हैं। इसी तरह से समान पारिश्रमिक का भुगतान करने और नियोजन में लिंग के आधार पर स्त्रियों के विरूद्ध विभेद किए जाने का निवारण करने तथा उससे संबंधित विषयों पर उपबंध हेतु अधिनियमित किया गया हैं।

उपर्युक्त अधिनियमों के अलावा बालिकाओं के लिए बागान श्रम अधि.,1951; खान अधि. 1952, विशेष विवाह अधि. 1954, अनैतिक व्यापार निवारण अधि. 1956, प्रसूति प्रसुविधा अधि. 1961, ठेका श्रम अधि. 1970, वैश्यावृत्ति निवारण अधि. 1986, स्त्री अशिष्ठ निरूपण निषेध अधि. 1986; दहेज निषेध अधि.1986, सती निषेध अधि. 1987 और 73 वाँ व 74 वाँ संशोधन अधि. 1992 इत्यादि समय-समय पर अधिनियमित किए गए। लेकिन बहुत-सी बालिकाएं/महिलाएं सामाजिक या आर्थिक सहारे के अभाव में संबंधित कानूनों की मदद नहीं ले पाती हैं। कानूनों पर भी अमल नहीं हो पाता है, क्योंकि बालिकाओं/महिलाओं पर ज्यादतियों को कहीं-न-कहीं सामाजिक मान्यता मिली रहती हैं, इसलिए समाधान सजा के सख्त प्रावधानों में नहीं है, बल्कि जनता मानसिकता में छिपा है। सोच नहीं बदली, तो बालिकाएं सुरक्षित नहीं हो सकती ।

संविधान के द्वारा भी बालिकाओं को विकास के समान अवसर प्रदान

करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा चाहे वह महिला हो या पुरूष। अनुच्छेद 15 (3), अनु. 16, अनु. 19, अनु. 39 (घ), अनु. 47, अनु. 51 क (ड) और अनु. 243 (घ) (न) में बालिकाओं क लिए उपयोगी प्रावधान हैं। अनु. 23-24 में नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक का प्रावधान है और अनु. 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान हैं।

इसी के साथ यह भी सच हैं कि उच्चशिक्षा के माध्यम से ही विकास के सभी क्षेत्रों में बालिकाओं ने अप्रत्याशित उन्नति कर अपनी योग्यता का लोहा भी मनवाया हैं। आवश्यकता इस बात की हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाया जाय।

प्राकल्पनाओं की पुष्टि :- उपर्युक्त प्रस्तुत शोध परिदृश्य के आधार पर इस शोध में प्रथम प्राकल्पना है कि सरकार द्वारा किये गये प्रयास से बालिका सशक्तिकरण के अवरोधी कारकों को दूर करने में सहायता मिली है तथा उनकी जीवन दिशा उन्नत हुई है। यहाँ इस कथन की पुष्टि होती हैं क्योंकि शिक्षा प्राप्त बालिकाओं/महिलाओं के ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन हुआ है जिसके कारण सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है तथा पुरूष वर्ग भी उनकी यथोचित प्रस्थिति को स्वीकृति देने लगा है। बालिकाएं संगठित होकर अपना पक्ष रख रही हैं तथा उन्हें स्वाभिमानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी उच्चशिक्षा के द्वारा ही उपलब्ध हो रहा है।

यहाँ दूसरी शोध प्राकल्पना है कि बालिकाओं हेतु विरचित संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान उनके सशक्तिकरण हेतु यथोचित एवं पर्याप्त हैं, इस कथन की यहां पुष्टि नहीं हुई हैं क्योंकि प्रचलित कानून व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण संशोधन वांछित हैं, जिनका उल्लेख प्रस्तुत शोध में किया जा चुका है, फिर भी यहां उल्लेखनीय है कि उपलब्ध एवं प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है, इसके लिए भारतीय समाज के सभी वर्गो को उत्तरदायित्व बोध एवं मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता होना चाहिए।

निष्कर्ष :-निष्कर्ष रूप में बालिकाओं को सभी तरह के अधिकार दिए जाने के बावजूद भी बालिकाओं पर शोषण एवं अत्याचार जारी हैं। 21 वीं सदी बालिकाओं की सदी मानी जा रही हैं, किन्तु यह बात तभी सच साबित होगी जब बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके अधिकारों का ग्राफ ऊँचा उठेगा, किन्तु ऐसा तभी संभव हैं जब शिक्षा द्वारा युवा पीढ़ी में एक सकारात्मक वातावरण विकसित किया जाय। जीवन में गुणवत्ता से संबंधित मूल्यपरक शिक्षा ही युवा पीढ़ी को सही दिशा प्रदान कर सकती है। बालिकाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम समाज की सोच सकारात्मक होनी चाहिए इसके लिए शिक्षा का गुणात्मक होना अनिवार्यत: आवश्यक है।

संदर्भ :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र. पृष्ठ 110
2. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) संबंधी वाद में मानवीय सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय
3. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र.
4. दैनिक नई-दुनिया, समाचार-पत्र।
5. स्त्रोत : यू.जी.सी., वार्षिक रिपोर्ट, 2009-10, P.312.

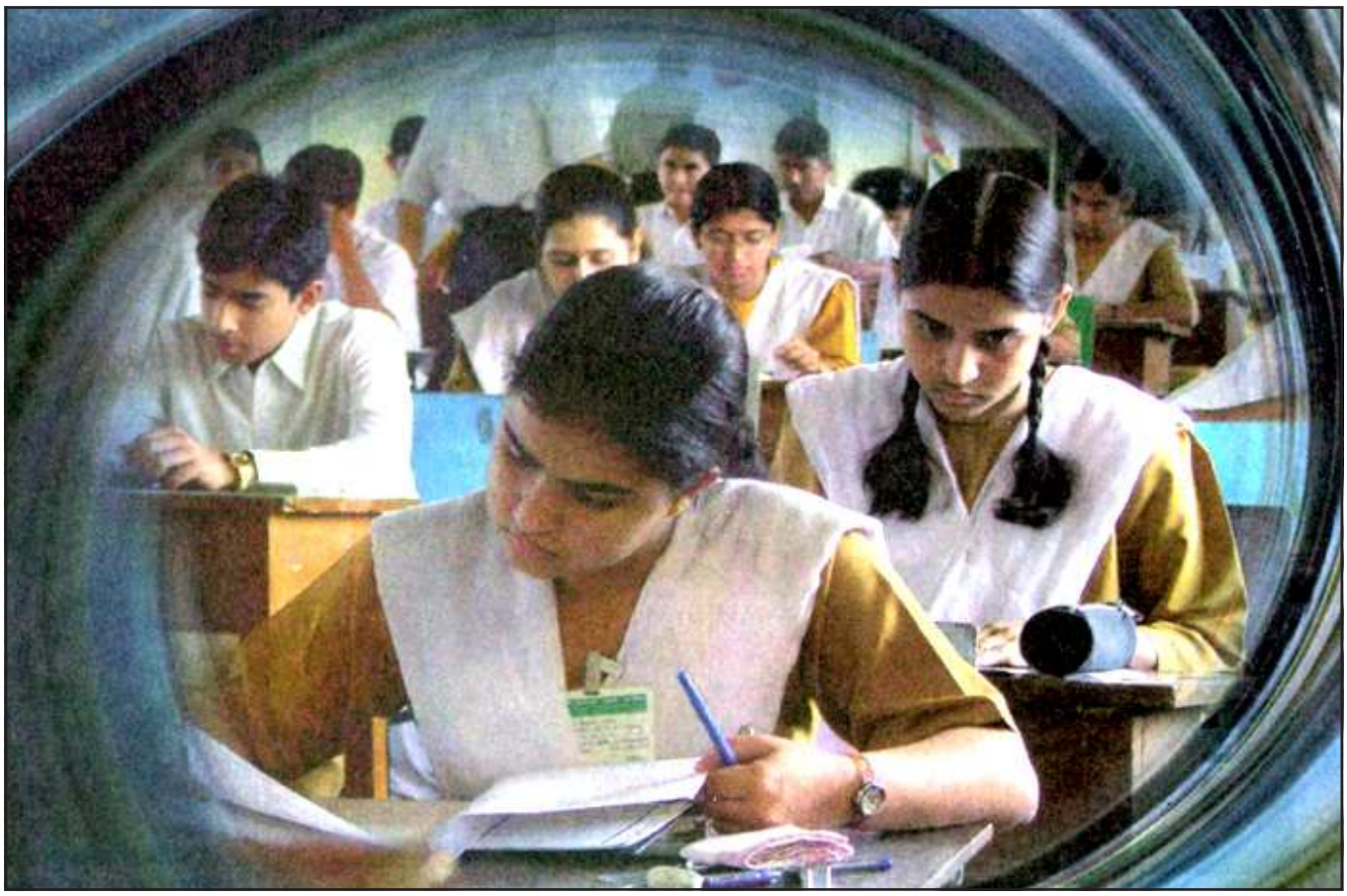

जनहित में जारी: बालिकाओं को पढ़ाओ और देश का भविष्य बनाओ..

उपभोक्ताओं के आर्थिक हित संरक्षण में जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान (उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में)

समता मेहता (कटारिया) 111, धानमण्डी, रतलाम (म.प्र.)

भारत में समता और समृद्धि का अमृत कुंभ लाने के लिये, दुष्ट शक्ति रूप सर्पों को पदतल में कुचल कर, मन में उठी वेदना की उमंगों को पंखों में समाकर देश का जयगान जगत में गुंजित रखने की महत्वाकांक्षा लेकर, पक्षीराज गरूड़ की तरह देश की ग्राहक चेतना जागृत उठे और शोषण मुक्ति का हमारा संकल्प पूरा कर सके।

यह शोध पत्र उपभोक्ताओं के आर्थिक हित में उन्हें विपणन क्रियाओं के दौरान वस्तुओं की खरीददारी के पूर्व तथा बाद में पूर्ण अर्थ लाभ प्राप्ति से संबंधित जागरूक एवं शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को जिला उपभोक्ता फोरम में प्राप्त व दर्ज मुकदमों, निराकृत व लंबित मुकदमों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। जिससे उपभोक्ता मूल्य चुकाने के बाद प्राप्त वस्तु एवं सेवा के उपयोग के दौरान अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसका व्यय व्यर्थ न हो तथा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानियों से उपभोक्ता को बचाया जा सके।

आज उपभोक्ता की उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची में निरन्तर वृद्धि हो रही है। व्यक्ति की बढ़ती भोगवादी प्रवृत्ति ने उसे विभिन्न समस्याओं में जकड़ रखा है जिसका लाभ विक्रेता द्वारा अधिक धन कमाने के लालच तथा बढ़ती महंगाई, कम नाप तौल, मिथ्या छाप आदि समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के पूंजीवादी युग में उपभोक्ताओं की कई प्रमुख समस्याएं है जैसे- अनावश्यक क्रय, चुनाव की समस्या, झूठे भ्रामक विज्ञापन, बाजार की वास्तविक स्थिति व मूल्यों के प्रति अज्ञानता, उपभोक्ता की मानसिकता, काला धन, गरीबी, मिलावट, दोषपूर्ण भार एवं माप, निम्न गुणवत्ता की वस्तु, कीमतों में वृद्धि, विक्रेताओं का अशिष्ठ व्यवहार, गलत लेबल का उपयोग आदि है। जिनसे संबंधित समाधान एवं शिक्षा जिसे ''उपभोक्ता शिक्षा'' कहा जाता है की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे विक्रेता द्वारा उनका जो शोषण किया जाता है उससे मुक्ति दिलवाने के लिये तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिये उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु उपभोक्ता जिला फोरम से संबंधित जानकारी को सामान्य उपभोक्ता तक पहूँचाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि आज भी सामान्य उपभोक्ता का 48 प्रतिशत अनजान है तथा 28 प्रतिशत को अपूर्ण जानकारी है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिये तथा पूर्ण अर्थ लाभ व उचित न्याय की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् जिला उपभोक्ता फोरम का भी गठन किया गया है। जो कि अधिकतम उपभोक्ताओं की समस्याओं को वैधानिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। उज्जैन जिले में विधि विभाग के तत्वाधान से सन् 2011 में जिला न्यायाधीश श्री ओ.पी. शर्मा, अध्यक्ष तथा सुश्री मधुबाला जैन एवं श्रीमती विद्या व्यास, सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये। उज्जैन जिले के जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यरत वर्तमान कार्यकारिणी सदस्यों से उपभोक्ता, उत्पादनकर्ता व विक्रेता के संदर्भ में चर्चा करने पर निष्कर्ष के रूप में तथ्य सामने आये हैं कि उपभोक्ता सदैव सही होता है क्योंकि उत्पादनकर्ता विक्रेता की आर्थिक क्रियाओं व लाभ कमाने की प्रवृत्ति उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिये विभिन्न तरीकों का उपयोग करने को मजबूर करती है किन्तु यह सार्वभौमिक सत्य है कि उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता जागरूकता व उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु व सेवा की जानकारी उपभोक्ता का अधिकार है और वस्तु व सेवा की सही गुणवत्ता व सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत न हो तो उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत् न्याय पाने का हकदार है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिये उज्जैन जिले में स्थापित जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा सराहनीय कार्य किये गये हैं। तथ्य का स्पष्टीकरण उज्जैन जिले के उपभोक्ता फोरम में प्राप्त मुकदमों और उनके निराकरण की न्यायिक स्थिति का विश्लेषण निम्न तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट हो रहा है।

वर्ष	प्राप्त मुकदमें	दर्ज मुकदमें	प्रतिशत	निराकरण	प्रतिशत	लंबित	प्रतिशत	निरस्त	प्रतिशत
2006	382	361	94.50	239	66.20	60	16.62	62	17.1
2007	553	506	91.50	366	72.33	63	12.45	77	15.2
2008	742	689	92.82	460	66.39	173	25.10	56	8.12
2009	332	242	72.89	146	60.33	78	32.25	18	7.43
2010	426	419	98.35	384	91.6	08	1.90	27	6.44
2011 (अक्टूबर)	282	234	82.97	196	83.76	16	6.83	22	9.40
योग	2717	2451	90.26	1791	73.43	398	15.85	262	10.61
औसत	452.53	408.5	90.26	298.5	73.43	66.33	15.85	43.67	10.61

स्त्रोत - कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन

उज्जैन जिले में प्राप्त मुकदमों की न्यायिक स्थिति का ग्राफीय प्रदर्शन

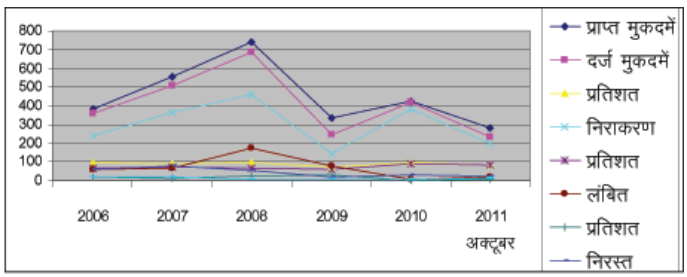

उपरोक्त स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 2010 में प्राप्त मुकदमों का सर्वाधिक 98.35 प्रतिशत तथा द्वितीय स्थान पर 2006 में 94.50 प्रतिशत पर दर्ज किये गये। सबसे कम मुकदमें 2009 में 72.89 प्रतिशत तथा 2011 में 82.97 प्रतिशत दर्ज किये गये। 2009 में कुल 332 ही प्राप्त हुए जो पिछले वर्षो में सबसे कम थे। जिसमें 332 में से 224 मुकदमे ही दर्ज किये गये, जिसका प्रतिशत 72.89 था। अक्टूबर 2011 तक भी

282 मुकदमें ही प्राप्त हुए जिनमें से 234 मुकदमें ही 82.97 प्रतिशत पर दर्ज किये गये। उपभोक्ता फोरम मे उपर्युक्त संबंध में जानकारी मांगने पर संबंधित दो सालों में कम मुकदमों के प्राप्त व दर्ज होने का कारण जानने का प्रयास किया। मा. श्री ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि जहॉ तक कम मुकदमों के प्राप्त होने का प्रश्न है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ मुकदमें फोरम आने की जगह सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ उपभोक्ताओं को उपभोक्ता जिला फोरम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती और कभी-कभी उन्हें इसकी प्रक्रिया जटिल लगती है।

दर्ज मुकदमों के संबंध, उपभोक्ता फोरम में आपसी समझ, तालमेल, शिकायत का तरीका, आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति, समय सीमा, वस्तु/सेवा शिकायत का तरीका आदि कई कारण मुकदमों को दर्ज करते समय प्रभावशाली रहते हैं।

उपर्युक्त कारणों से ही इस समय कम मुकदमें दर्ज किये गये होंगे। यदि उपभोक्ता फोरम में पिछले 5 सालों में दर्ज मुकदमों के निराकरण की स्थिति को देखें तो 2010 में सर्वाधिक 91.6 प्रतिशत मुकदमों का निराकरण किया गया।। द्वितीय स्थान पर 2011 में 83.76 प्रतिशत मुकदमों का निराकरण हुआ। सबसे कम 2009 में 60.33 प्रतिशत मुकदमों का निराकरण हुआ। फिर भी औसतन 73.43 प्रतिशत मुकदमों का निराकरण हुआ है। जो उपभोक्ता संरक्षण के दृष्टिकोण से अच्छा प्रयास है।

निम्नलिखित मुकदमों में साक्ष्य, आवश्यक दस्तावेज या अन्य कुछ न्यायिक कमी के कारण कुछ मुकदमें लंबित रहे, जिसमें 2009 में सर्वाधिक 32.23 प्रतिशत तथा 2008 में 25.10 प्रतिशत मुकदमें लंबित पाये गये, सबसे कम लंबित मुकदमों का आंकड़ा 2010 में 1.90 प्रतिशत रहा जो कि उपभोक्ता की संतुष्टि एवं उपभोक्ता पक्ष में निराकरण की स्थिति को स्पष्ट करता है।दस्तावेजों की पूर्ति न होने उपभोक्ता के दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा के प्रमाणीकरण साक्ष्य जैसे - बिल, वारंटी कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में कमी एवं शिकायतकर्ता उपभोक्ता के उपस्थित न होने की स्थिति में कुछ मुकदमें पिछले वर्षों में निरस्त किये गये। 2006 में सर्वाधिक 17.1 प्रतिशत मुकदमें निरस्त हुए तथा 2007 में 15.2 प्रतिशत। सबसे कम मुकदमों का निरस्तीकरण 6.44 प्रतिशत 2010 में रहा जो कि उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता के बढ़ते प्रतिशत का सूचक है।

उज्जैन उपभोक्ता फोरम द्वारा 2006 से अक्टूबर 2011 तक कुल जितने मुकदमों का निराकरण किया गया, निराकरण की स्थिति उपभोक्ता के पक्ष में, विपक्ष में कितने प्रतिशत रही तथा अन्य क्या आधार रहे, उन्हे अध्ययन करने पर, निराकरण के कुछ मुख्य बिन्दु स्पष्ट हुए, जिन्हें निम्न तालिका क्रमांक 02 में स्पष्ट किया गया है।

उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा निराकृत किये गये मुकदमों का ग्राफीय प्रदर्शन

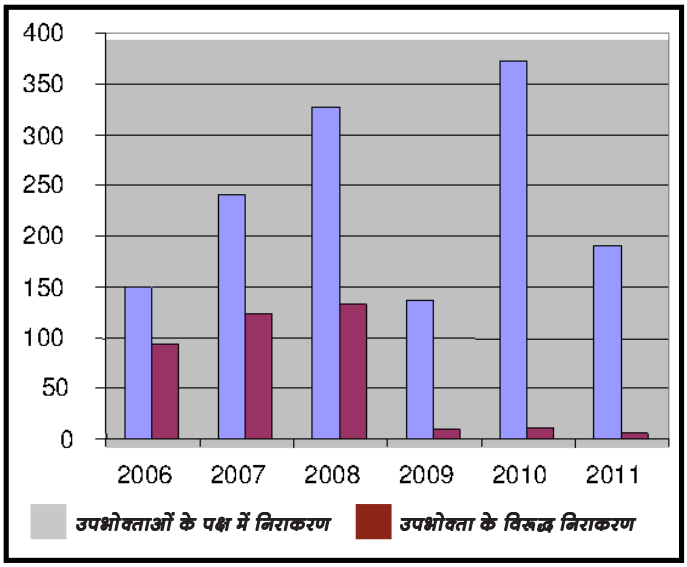

उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा निराकरण किये गये आवेदनों का विश्लेषण करने पर सर्वाधिक आवेदनों का निराकरण 2011 में 93.87 प्रतिशत उपभोक्ता के पक्ष में तथा सबसे कम मुकदमों का निराकरण 2007 में 54.45 प्रतिशत उपभोक्ता के पक्ष में हुआ। जिससे स्पष्ट होता है कि फोरम में आये गये मुकदमों का निराकरण शीघ्र तथा न्यायपूर्ण तरीके से किया जाता है। जिससे उपभोक्ताओं के आर्थिक हित संरक्षण में योगदान मिलता है। उपरोक्त विश्लेषण में सन् 2006 में सबसे अधिक 39.33 प्रतिशत मुकदमें उपभोक्ता के विरूद्ध सुनाए गए। जिसमें कारण के रूप में आवश्यक दस्तावेजों की कमी व उपभोक्ता की समझ का अंतर पाया गया। सामान्यतया उपभोक्ता एवं विक्रेता कर चोरी के उद्देश्य से पक्का बिल का लेन-देन नहीं करते हैं। तो उत्पाद में आने वाली समस्याओं का भी मुकदमा बिना बिल के दर्ज नहीं हो जाता है या उपभोक्ता के विरूद्ध फैसला हो जाता है।

निष्कर्ष - उपभोक्ता जिला फोरम का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ाना है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में तथ्य सामने आया है कि उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिये जो प्रयास किये और जो कदम उठाए है वो सराहनीय है फिर भी कहीं ना कहीं इन प्रयासों में कमी है जो आज भी उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाया है। अध्ययन के दौरान उपभोक्ताओं के अनुसार उन्हें उज्जैन जिले में स्थित उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा ''जागो ग्राहक जागो'' जैसे विज्ञापन, समाचार पत्रों में, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विज्ञापन, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित जानकारी आदि समय-समय पर प्रसारित की जाती

निराकरण के बिन्दु	वर्ष / विवरण	2006		2007		2008		2009		2010		अक्टूबर 2011	
		मुकदमों की संख्या	प्रतिशत	मुकदमों की संख्या	प्रतिशत	मुकदमों की संख्या	प्रतिशत	मुकदमों की संख्या	प्रतिशत	मुकदमों की संख्या	प्रतिशत	मुकदमों की संख्या	प्रतिशत
निराकरण पक्ष में		**145**		**242**		**328**		**137**		**372**		**190**	
अ. तकनीकी आधार पर आवेदन का निराकरण		13	5.43	32	8.74	28	6.08	35	23.97	28	7.29	04	2.04
ब. समय सीमा के आधार पर आवेदन का निराकरण		04	1.67	18	4.91	07	1.52	06	4.10	11	2.86	02	1.02
स. अन्य आधार पर आवेदन का निराकरण		128	53.55	192	54.45	293	63.63	96	65.75	333	86.71	184	93.87
उपभोक्ता के विरूद्ध निराकरण		94	39.33	124	33.81	132	28.69	09	6.16	12	3.12	06	3.06
योग		**239**	**99.98**	**366**	**99.97**	**460**	**99.92**	**146**	**99.98**	**384**	**99.98**	**196**	**99.94**
औसत		**59.75**	**99.98**	**91.5**	**99.97**	**11.5**	**99.92**	**35.5**	**99.98**	**96**	**99.98**	**49**	**99.94**

स्त्रोत :- कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन।

है। परन्तु उज्जैन उपभोक्ता फोरम द्वारा ऐसा कोई प्रयास स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाता है। उज्जैन जिलें में विश्लेषण के दौरान पूरे शहर में उपभोक्ता फोरम का कहीं कोई होर्डिंग नहीं दिखा, होर्डिंग के द्वारा आम उपभोक्ता को फोरम की जानकारी शीघ्र तथा सरल तरीके से हो जाती है।

निम्न उपायों से उपभोक्ता फोरम उपभोक्ताओं के आर्थिक हित संरक्षण में अपना शत-प्रतिशत योगदान देने में समर्थ हो पाएगा।

1. जिला उपभोक्ता फोरम का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। शहर में कई जगहों पर होर्डिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापन, स्थानीय चैनल पर प्रसारण जैसे उपायों को अपनाना चाहिये।
2. उपभोक्ता हित हेतु सेमीनार आयोजित कर, प्रतियोगिताएं आयोजित कर, स्लोगन आदि के माध्यम से भी जागरूक किया जा सकता है।
3. जो उपभोक्ता आवेदन लेकर फोरम में आते हैं, फोरम की कार्यकारिणी द्वारा उनके साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए। ताकि आम उपभोक्ता का विश्वास फोरम में और बढ़े।
4. राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी फोरम द्वारा नागरिकों को वस्तुओं की खरीददारी के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे विपणन क्रियाओं के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेना न भूलें।
5. फोरम में आवेदन व निराकरण काफी आसान व सस्ती प्रक्रिया है, जिसके प्रति यदि नागरिक जागरूक हो जाये तो वह शोषण के खिलाफ आवाज जरूर उठायेगा। इस प्रक्रिया में फोरम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, जिससे आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पायेगा।

उपभोक्ता फोरम के द्वारा किये गये प्रयासों के साथ-साथ आम उपभोक्ता को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी सही मायनों में एक स्वस्थ विपणन प्रणाली का विकास संभव हो पायेगा।

संदर्भ :- - 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं नियम 2005 2. टाईम्स ऑफ इण्डिया, 3. उद्यमिता पत्रिका, 4. योजना पत्रिका, 5- ISBN 0198256302 6. नई दुनिया, 7. दैनिक भास्कर, 8.कार्यालय, उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम

****

डॉ. पुरन सहगल का रचना संसार

डॉ. राजेन्द्र पैन्सिया
मनासा (म.प्र.)

डॉ. कृष्णा पैन्सिया
मनासा (म.प्र.)

डॉ. पूरन सहगल केवल नाम नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व है। एक प्रेरक प्रसंग है। एक समर्पित लोक-मनीषी है। एक शोधार्थी है। एक यायावर है। ऐसा यायावर जो निरन्तर अपनी शोध-यात्राओं में प्रवासी रहता है। जो अहिर्निश लोक-साहित्य और लोक-संस्कृति के चिन्तन, मनन और अनुशीलन में संलग्न रहता है। डॉ. सहगल एक संस्था का नाम है। एक पाठशाला का नाम है। डॉ. सहगल 'एकला चलो' के सिद्धांत पर नित नवीन विषयों एवं संदर्भों को खोजकर उन्हें समाज के समक्ष प्रकट करने में संलग्न रहने वाले लोक पुरुष हैं। लोक और लोक-संस्कृति ही उनका धर्म है। वही इष्ट व अभीष्ट है। लोक-साहित्य के विषय में उन्होंने कहा भी है-

'लोक-साहित्य संस्कृति का ऐसा अखूट खजाना है, जैसा देवताओं के खजांची कुबेर के पास भी नहीं होगा। लोक-साहित्य में से संस्कृति के तत्वों को ढूँढ निकालना लोक-साहित्य पर कार्य करने वाले लोक साहित्य मर्मज्ञों का दायित्व होता है। यद्यपि लोक साहित्य में लोक संस्कृति के तत्व ठीक उसी प्रकार से खोजना होते है, जैसे हीरे की खदान में से हीरे को ढूँढ निकालना, ऐसा नहीं होता है, कि खदान में गये और हीरा उठाकर ले आये। हजारों लाखों पत्थर हटाने के बाद कहीं एक हीरा खोजा जा सकता है। जिसमें लाखों टन पत्थर खोदकर हटाने का धैर्य और साहस होता है वही अमूल्य हीरामणि प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही लोक-साहित्य में होता है। केवल कुछ लोक-गीत लोक गाथाएँ, लोक-कथाएँ अथवा लोकोक्तियों आदि का संकलन कर लेना ही लोक-साहित्य का वास्तविक अभीष्ट नहीं होना चाहिए। लोक साहित्य का सीधा संबंध संस्कृति से होता है। उसमें हमारा गौरवशाली अतीत छुपा होता है, उस पर प्रकाश डालकर उसे वर्तमान से जोड़ने का सात्विक प्रयास हमें करना होगा।' यह सत्य है कि लोक-साहित्य का संकलन भी वैसा ही कठिन है जैसे पत्थरों से हीरा खोज निकलाना। इसी प्रकार डॉ. सहगल ने भी एक प्रयास किया है। मालवी लोक-साहित्य के अर्न्तमन में छिपी संस्कृति और मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना का। डॉ. पूरन सहगल पूर्ण समर्पित भाव से अपनी आयु एवं आर्थिक स्थिति की परवाह न करते हुए आज भी वे पूरे मनोयोग से लोक साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं।

मालवी लोक-साहित्य के अनुशीलन में डॉ. पूरन सहगल का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मालवी लोक-साहित्य की प्रत्येक विधा चाहे वह लोक-गाथा हो, लोक-कथा हो अथवा लोक-गीत प्रत्येक क्षेत्र में उनका प्रदेय महत्वपूर्ण है। डॉ. सहगल ने मालवी लोक-साहित्य के किसी भी अंग को अध्ययन की दृष्टि से अछूता नहीं रहने दिया है, उन्होंने मालवी लोक-साहित्य का क्रमबद्ध अन्वेषण प्रस्तुत किया है। वे अपने व्यक्तिगत प्रयास से ही मालवी लोक-साहित्य के बिखरे पड़े मोतियों को सहेजने से सफल रहे हैं। उनके द्वारा मालवी लोक-साहित्य के अनुशीलन में किये गये शोध कार्यों पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने मालवी लोक-साहित्य में विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक तथा भावनात्मक शैलियों में अध्ययन कर लोक-साहित्य के मर्म को समझाया है।

डॉ. सहगल ने मालवी लोकभाषा का बड़ी ही पैनी दृष्टि से अवलोकन किया है परन्तु डॉ. सहगल का शोध क्षेत्र मुख्यत: मालवा का मन्दसौर-नीमच क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी को राँगड़ी (रजवाड़ी) मालवी कहा जाता है। उनके द्वारा किया गया अधिकांश कार्य मालवा की इसी उपबोली में है, परन्तु डॉ. सहगल 'राँगड़ी मालवी' को 'दशौली मालवी' कहना ही उचित समझते है। जिस प्रकार उनके गुरु डॉ. चिन्तामणि उपाध्याय ने मालवी बोली को उसका उचित स्थान दिलाया है। उसी प्रकार मालवा के उत्तारी अंचल 'दशपुर जनपद' की बोली को भी उसका सही नाम व उचित स्थान दिलाने के लिये डॉ. सहगल संघर्षरहत हैं। डॉ. ग्रियर्सन ने इसका नाम 'राँगड़ी' रखा था। परन्तु डॉ. सहगल इस बात से असहमत हैं वे न तो इसे राँगड़ी मानते हैं, न ही रजवाड़ी। क्योंकि बिल्कुल सहज है, कि दशपुर जनपद कि बोली तो 'दशौरी मालवी' ही है।

इस विषय में उनके अपने मत है और वह उचित भी है। डॉ. सहगल ने अपने इस मत को मालवी लोक साहित्य के विद्धजनों के सामने रखा तो सर्व सम्मति से दशपुर जनपद की मालवी को दशौरी मालवी का नाम दिया गया। लोक-भाषा के क्षेत्र में डॉ. सहगल का यह महत्वपूर्ण प्रदेय है किसी बोली को उसका उचित मान सम्मान दिलवाना।

दशौरी मालवी का सुन्दर उदाहरण उनकी कृति 'भादवा की राणी' उल्लेखनीय है। जिसकी सभी कहानियाँ तो 'दशौरी मालवी' में है ही, साथ ही 'खम्मा म्हारी मां' नामक शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने मां भादवा राणी के सम्मुख अपने भावों को व्यक्त किया है। इसमें इतने सुन्दर मालवी शब्दों का प्रयोग किया गया है कि वे आज के परिप्रेक्ष्य में हमें सुनने को नहीं मिलते। .यही हमारी लोक भाषा और मालवी शब्दों की धरोहर है।

उन्होंने लोक में बिखरी पड़ी अनेक लोक-गाथाओं को समेटकर एक क्रम में प्रस्तुत किया है। 'दंभ का विष' उपन्यास दशपुर जनपद की दो जागीरों जीरन और कुशालगढ़ (महागढ़) के शासकों के दम्भ के कारण हुए विनाश की घटना पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास से यह विदित होता है कि सत्ता और् सुन्दरी किस हद तक विनाश का कारण हो सकती है। दोनों का ही नशा विनाश के द्वार खोल देता है। यह उपन्यास हमें तत्कालीन राजनैतिक स्थितियों से अवगत करवाता है। हमारे देश के प्रत्येक महायुद्ध के मूल में एक नारी रही है। उसी प्रकार जीरन के सोनगरों और महागढ़ के चन्द्रावतों के वंश का सम्पूर्ण नाश करने वाले इस युद्ध के मूल में भी एक नारी ही है। 'कंचन कुँवर' और उसी के कारण .यह युद्ध हुआ जिसकी दास्ताँ आज भी दोनों ठिकानों के खण्डर बखानते से लगते है। यद्यपि यह उपन्यास एक अंचल विशेष की घटनाओं एवं परिस्थितियों पर आधारित है तथापि इसका उद्देश्य विशाल है युद्ध की विक्रालता, दम्भ की भयानक परिणति, नैतिक पतन तथा राजवैभव शक्ति के दुरुपयोग के संदर्भों में यह उपन्यास आज भी उतना ही समीचीन है, जितना अतीत में था। इस उपन्यास के माध्यम से डॉ. सहगल ने इतिहास और साहित्य को जोड़कर एक ऐसा सेतु बांधा है जिसे साहित्यिक इतिहास एक नया नाम दिया जा सकता है।

उपन्यास को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है मानों इसके सभी दृश्य हमारी आँखों के सामने उभरकर आ रहे हों और ये सब हमारे समक्ष घटित हो रहा है। उपन्यास के अतिरिक्त डॉ. सहगल का मालवी लोक-कथाओं के अनुशीलन

में महत्वपूर्ण योगदान रहा है मालवी लोक कथाओं में उनकी 'लोक वतावे' तथा 'सुगना' उल्लेखनीय संग्रह है।

लोक गाथा साहित्य में डॉ. सहगल ने लोक गाथा, विरद वखाण विधा पर विशेष और विस्तृत रूप से शोध कार्य किया है। आपने अनेक गाथाएँ व विरद बखाण को लोक की वाचिक परम्परा से संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया है। लोक गाथा साहित्य में डॉ. सहगल का महत्वपूर्ण कार्य लोकनायक डूंगजी-जवारजी की लोकगाथा है। इस लोक गाथा संकलन में इन्होंने 1160 पंक्तियाँ संग्रहित की हैं। यह संग्रह भाषा की दृष्टि से, घटनाक्रम की दृष्टि से, कथाक्रम एवं कथा की पूर्णता की दृष्टि से, तथा गीतगाथा की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण है। यह दशपुर जनपद में उपलब्ध अब तक 'दशौरी मालवी' की सबसे बड़ी वीरगाथा है। 'डूँगजी' की यह गाथा लोक साहित्य. की लोक परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

यह गेय है और इतनी बड़ी गेय गाथा जो कहीं भी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई। इस गाथा को संकलित करना डॉ. सहगल के लिये अत्यन्त कठिन कार्य था, इसे टुकड़े टुकड़े में सुनकर संग्रहित किया। गांव-गांव, डगर-डगर भोपों के पड़ावों के साथ घूमते हुए उन्होंने इस गाथा को अनेक भोपों से सुना और अनेक बार घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए लिखा है। डूँगजी जवारजी की यह गाथा मात्र गाथा ही नहीं, उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थिति का चरित्र चित्रांगम भी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस गाथा ने जन चेतना को जागृत करने का बड़ा मुखरित ओज दिया था। इन्हीं गाथाओं ने उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों का शक्ति दी। अंग्रेजों को खुली चुनौती की ललकार देने के लिये, यही गाथाएँ स्वतंत्रता संग्राम की संजीवनी रही। ऐसी गाथाओं का डॉ. सहगल ने लोक की वाचिक परम्परा से संकलित कर उसे पुस्तक का रूप देकर लोक-साहित्य परम्परा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉ. सहगल द्वारा ही एक और लोक-गाथा 'टण्ट्यो भील बड़ौ लरैया' नामक पुस्तक के रुप में संकलित की गई है। गरीबों और असहायों के हितचिंतक तथा अन्याय के प्रतिकार के प्रतीक पुरुष के रुप में टंट्या मामा की ख्याति पूरे निमाड़ और मालवा में है।

इस प्रकार डॉ. सहगल की लोक साहित्य की महत्वपूर्ण एवं चर्चित पुस्तकें 'डूँगजी जवारजी' और 'टण्ट्या भील' जैसे लोक नायकों को समाज में देश के प्रति होने वाली ललक को प्रकट किया है। इन दोनों लोक नायकों में समानता है। यदि हम उन पर दृष्टि डालते है तब हम पाते है कि अंग्रेजों के रिकार्ड और उनके द्वारा लिखवाए गये इतिहास में ये दोनों ही अपने-अपने समय के विक्रांत डाकू थे। किन्तु डॉ. सहगल ने लोक में प्रचलित वाचिक रूप में जनाख्यान एवं लोक गीतों का संकलन कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह दोनों ही अपने-अपने समय के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे।

डूगजी ने एक ऐसी जनक्राँति अपने समय में की जिसका मुकाबला करने में न तो अंग्रेजी सत्ता सक्षम थी और न ही देशी राजाओं की अंग्रेज समर्थक चाटुकार, सैनिक टुकड़ियां ही। इस दृष्टि से ये दोनों ही कृतियां लोक-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

डॉ. सहगल ने लोकोक्तियों लोरियों एवं बारहमासा का भी संकलन किया है। लगभग 2500 मालवी लोकोक्तियाँ, इनके संग्रह में उपलब्ध हैं। डॉ. सहगल का संपर्क ग्रामीण क्षेत्र से रहने के कारण उसी दौरान इन्होंने ये लोकोक्तियाँ संग्रहित की, इन लोकोक्तियों में जीवन के सभी रंगों का आभास होता है। ये लोकोक्तियाँ अनजाने में ही हमें बहुत सी शिक्षा दे जाती हैं। इसी तरह मालवी लोक-साहित्य की ममतामयी विधा लौरियाँ पर भी डॉ. सहगल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने ग्रामीण अंचल में वृद्ध महिलाओं द्वारा सुनकर लगभग 35 लोरियों का संकलन किया है वक्त के साथ साथ यह विधा लुप्त होती जा रही है। परन्तु इन लोरियों में जितना ममत्व, स्नेह और् मंगल भाव छुपा है वह अदभुत और आनंददायक है। इन लोरियों को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि वे लोरियाँ केवल शिशु को सुलाने का संगीत या लय मात्र नहीं है। इसमें जीवनजय करने का संदेभ भी निहित है मानव मूल्यों, प्रकृति प्रेम, पारिवारिक सम्पन्नता ही मंगल कामनाएं समृद्ध और भरपूर परिवार की सौंधी सुगंध इन लोरियों में है। धर्म, नीति, न्याय और संस्कृति के अनेक संदर्भ इन लोरियों में सहज ही समा गए हैं। मां द्वारा अपने शिशु के लिए मंगल भाव भरे हैं। जीवन की शाश्वत व्याख्या जैसी इन लोरियों में हम पाते हैं वैसी अन्यंत्र नहीं मिलती। लोक साहित्य में आकण्ठ डूबे डॉ. सहगल ने पन्द्रह बारहमासों का भी संकलन किया है।

मालवी भाषा में गाये जाने वाले ये पारम्परिक बारहमासे हमारी संस्कृति की पुष्ट प्रमाणिक पहचान है। इनमें हमारे लोक-जीवन के पारिवारिक प्रसंग, खान पान, रहन सहन, वेषभूषा, रीति-रिवाज, पर्व त्यौहार, प्रकृति-चित्रण तथा नायक नायिका के मिलने बिछोह के अलावा सौतियां डाह, काल संभावना, अतीत प्रतीत के जैसे सजीव चित्रण इन बारहमासों में मिल जाते है। वैसे सहज ढंग से अन्यत्र कठिनता से ही मिल पाते है। अध्यात्मक और नीति-परक प्रसंगों की भी इन बारह मासों में कमी नहीं है। अधिकतर बारह मासों में राधा कृष्ण को आधार बनाकर नायक नायिका के संयोग, वियोग, रास, कालिमर्दन, कंसवध जैसे प्रसंगों के अतिरिक्त रामायण और महाभारत की विशिष्ट घटनाओं अथवा पात्रों को आधार बनाकर भी बारहमासों का सृजन किया गया है। कहीं-कही छह मासों की सृजना भी की गई है। मासों के अतिरिक्त दिनों को आधार बनाकर सतवार में की सृजना भी की गई हैं।

डॉ. सहगल ने चन्द्रसखी, नवनिधि कुँवर (खाँगारोत) एवं सुन्दर पर शोध कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, अनेक भ्रांतियों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि चन्द्रसखी दशपुर जनपद के एक छोटे से गाँव बर्राना की रहने वाली थी।

डॉ. सहगल का लोक-साहित्य संकलन मालवी लोक-साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मालवी लोक-साहित्य के अनुशीलन की परम्परा में डॉ. सहगल का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक-साहित्य के साथ-साथ लोक-संस्कृति के भी कई रंग उनकी लेखनी से रंगे हैं। वो चाहे आदिवासी लोक-संस्कृति हो या कन्याओं का लोक पर्व 'संझा' या मालवा के लोक-नृत्यों से सज्जा उनका शोधपूर्ण आलेख, ऐसे कई रंग उनके साहित्य संकलन में छिटके पड़े हैं। इन सभी को बहुत ही सुन्दर रुप से प्रस्तुत किया है डॉ. सहगल ने।

डॉ. सहगल जितने साहित्य के संकलन, संपादन एवं लेखन में सक्रिय हैं उतने ही वे मौलिक सृजन में भी सक्रिय हैं। उनके सृजनात्मक लेखन की शुरुआत कविताओं से हुई थी। उनके काव्य सृजन में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और वर्तमान परिस्थितियों का समावेश होता है। उन्होंने हिन्दी तथा मालवी दोनों में ही काव्य रचना की है।

इनका एक काव्य संग्रह 'अंधेरे के उस पार' बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उनकी एक छोटी किन्तु महत्वपूर्ण कृति है-' परत दर परत' .यह कृति उनकी लघु कथाओं का संग्रह है। डॉ. सहगल ने अपने क्षेत्र की अपराध पेशा जातियों का भी अध्ययन किया है। ऐसी ही एक जाति है- 'बाँछड़ा' इस जाति पर डॉ. सहगल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक 'बाँछड़ा' प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक उक्त जाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है।

डॉ. सहगल ने सौंधिया समाज का समाजशास्त्री अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन जातियों के अध्ययन के साथ ही दलित लेखन में भी डॉ. सहगल की कलम खूब चली है। उन्होंने अपने क्षेत्र के दलित समुदाय की शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान के लिये यथा शक्ति कार्य भी किया है। उनकी बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित पुस्तक ' एक और बुद्ध' के द्वारा हमें बाबा साहब के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। 'अक्षर पुरुष ज्योतिबा फुले' 19 वीं सदी के अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी महात्मा ज्योति बा फुले को समर्पित है, उन्होंने सामाजिक समता, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक न्याय, स्त्री शिक्षा और शोषण मुक्ति के लिये तथा मानवीय हक दिलाने के लिये अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया।

उन्होंने किसान, श्रमिक, बहुजन समाज, दलित और महिलाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और भाग्य, भगवान और भय से ग्रसित रुढ़िवादी विचारों पर आलोचना का चाबुक चलाया। डॉ. सहगल ने उनके इन्हीं संघर्षो की कहानी को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। ज्योति पुरुष महात्मा फुले के समग्र जीवन दर्शन एवं उनके महान व्यक्तित्व तथा कृतित्व को प्रेरणादायक बारह सौपानों में प्रस्तुत किया है, 'मन्दसौर जिले में स्वतंत्रता संग्राम' नामक पुस्तक डॉ. सहगल की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसके अतिरिक्त डॉ. सहगल का लोक-साहित्य पर आधारित उपन्यास है 'मर्यादा' जो रामकथा पर आधारित है। जिसमें राम कथा को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है जो 32 अध्यायों में विभाजित है।

लोक-साहित्य, लोक-संस्कृति, कविता, कहानियाँ, उपन्यास आदि के अलावा भी जीवन में तथा अपने आसपास फैले इस वातावरण में ऐसी कई घटनाएं होती है। जो हमें प्रभावित करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी कई घटनाएं या पक्षों पर डॉ. सहगल का भी ध्यान गया और इन विषयों पर भी इनकी लेखी बहुत चली क्योंकि वे सिर्फ सोचते ही नहीं है उन समस्याओं के समाधान के लिये यथा संभव प्रयास भी करते हैं।

अब वो चाहे नारी शिक्षा हो या नारी जाति की दुर्दशा या लगातार कटते जंगलों से प्रभावित होता मन और मानसून। उन्होंने अपने लेखों और रेडियोवार्ता के माध्यम से 'नारी व्यथा की कथा' एवं 'यदि पेड़ बन जाये प्रश्न 'सभी को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनके ये आलेख एवं रेडियो वार्ताएं हमारी आत्मा को झकझोरने में समर्थ हैं। ये हमें सोचने पर विवश करती हैं कि क्या हमारी जीवनदायिनी नारी और उस जीवन को सिंचित करने वाले वृक्षों के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है।

क्यों हम अपने पालनकर्ता की अवहेलना कर रहे हैं। जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। डॉ. सहगल ने हर पक्ष को अपनी लेखनी से पूर दिया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हम सब मिलकर लोक साहित्य के संकलन, सम्पादन और अनुशीलन में उनके प्रेरक व्यक्तित्व से अनुप्रेरित होकर अपना सक्रिय योगदान दें। उनकी अब तक लगभग पैंतीस पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा छह पुस्तकें प्रकाशनाधीन है एवं आठ पाँडुलिपियाँ प्रकाशनं की प्रतीक्षा में है। इसी माह उनकी पुस्तक 'धरण धणी देवनारायण' स्वयं में एक प्रमाणिक ग्रंथ है। एवं इसमें समग्रता भी है।

मालवा की 'भील लोक माताऐं' उनके लगातार तीन वर्षो के सतत शोध का दस्तावेज है। उनकी कृति 'संत पीपाजी एवं भक्ति आन्दोलन' हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। हम डॉ. सहगल के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ कार्यक्षमता के लिये प्रभु से प्रार्थना करें कि वे उन्हें मालवी माता की सेवा करने में सदा सक्षम बनाए रखें।

संदर्भ ग्रंथ।

1. दंभ का विष- डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 1978 ई.।
2. चारण की बेटी- डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 1980 ई.।
3. लोक वतावे . डॉ. पूरन सहगल- संजोग प्रकाशन मनासा (म.प्र.) 1982 ई.।
4. परत दर परत . डॉ. पूरन सहगल- सतत प्रकाशन, उदयपुर (राज.) 1983 ई.।
5. सुगना- डॉ. पूरन सहगल- आस्था प्रकाशन, उज्जैन (म.प्र.) 1983 ई.।
6. लोक नायक डूंगजी जवारजी -डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 10 फरवरी 1986 ई.।
7. मन्दसौर जिले का स्वतंत्रता संग्राम-डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) मार्च, 1987 ई.।
8. बाँछड़ा-डॉ. पूरन सहगल- विभूति प्रकाशन, दिल्ली - 1987 ई.।
9. एक और बुद्ध (डॉ. अम्बेडकर)-डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 1998 ई।
10. टण्ट्यो भील बड़ौ लरैया -डॉ. पूरन सहगल- स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग म.प्र. शासन भोपाल -2001 ई.।
11. टण्ट्या भील - -डॉ. पूरन सहगल- स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग म.प्र. शासन, भोपाल -2001 ई.।
12. अक्षर पुरुष ज्योतिबा फुले -डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 5 सितम्बर 2002 ई.।
13., लोह पट्टण पड़दाँ -डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 2004 ई.।
14. लोरी गीत-डॉ. पूरन सहगल- राजस्थान फोक लोर स्टडी एण्ड रिसर्च सोसायटी, जोधपुर एवं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर - 2005 ई.।
15. विरद वखाण और गाथा साहित्य-डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 2005 ई.।
16. श्रृंगार कवयित्री सुन्दर (तक-तक करे शिकार)- डॉ. पूरन सहगल- स्व. चन्द्रराज भण्डारी साहित्य अकादमी, भानपुरा (म.प्र.), 2006।
17. बन्ना बन्नी गीत - डॉ. पूरन सहगल-राजस्थान फोक लोर स्टडी एण्ड रिसर्च सोसायटी, जोधपुर एवं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर - 2006 ई.।
18. मालवा की कवयित्री चन्द्रसखी- डॉ. पूरन सहगल आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी (म.प्र.) 2009 ई.।
19. दशपुर जनपद की भीली लोक माताएँ- डॉ. पूरन सहगल- आदिवासी लोककला एवं तुलसी साहित्य अकादमी (म.प्र.) 2009 ई.।
20. धरम धणी देवनारायण -डॉ. पूरन सहगल- मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 13 जनवरी 2009 ई.।
21. मालवा के संत भक्त - डॉ. पूरन सहगल -मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा (म.प्र.) 13 जनवरी, 2010।
22. मालवा देश सुवासणों -डॉ. पूरन सहगल - श्री झलक निगम सांस्कृतिक साहित्यिक शैक्षणिक पारमार्थिक न्यास, उज्जैन (म.प्र.) 3 अप्रैल, 2011।
23. संत पीपा एवं भक्ति आन्दोलन- डॉ. पूरन सहगल- आयावर्त्ता सांस्कृतिक संस्थान, दिल्ली, 2013 ई.।

योजना में मानव के आयाम

ड़ॉ. रिखब चन्द्र जैन
सहायक प्राध्यापक–अर्थशास्त्र
शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय नीमच (म.प्र.)

अगर प्रत्येक व्यक्ति निवेश किये बगैर बचत करता है तो पूरा देश बचत नहीं कर सकेगा क्योंकि कुल उत्पादन कम होता जाएगा । इसलिए जो सिद्धांत एक व्यक्ति को लेकर आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण माना जाता है वह समग्र स्तर पर उतना विवेकपूर्ण नही होता है तथा द्धितीय महायुद्ध के समय चर्चित की जरूरत पड़ी कि बच्चों को दूध पिलाने से बेहतर कोई निवेश नहीं हैं तात्पर्य मानव का विकास करना हैं। स्पष्ट है कि जनता के द्धारा ही विकास होता है और जनता ही विकास का मकसद भी है।

विकास के समय अर्थशास्त्री ज्यादा निवेश पर जोर देते है इसी भौतिक पूॅजी को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है और मानवीय पूॅजी पर अंतिम जोर देते हैं अनेक देशो के पास वित्तीय पूॅजी खूब होने के बावजूद भी वास्तविक विकास नही कर पाये, एक जैसे प्राकृतिक संसाधन वाले समाज भी काफी अलग तरह से विकसित हुए है क्योंकि उनमें अलग–अलग तरह की मानवीय कुशलता थी।

हम अर्थशास्त्री बनकर बचत, निवेश, आयात और निर्यात तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में ही ज्यादा सोचते रहते है। हांलाकि पिछले कुछ वर्षो में मानवीय पूंजी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि के बारे में भी जोर दे रहे हैं इस प्रकार अन्तत हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने लगे हैं कि विकास का सच्चा लक्ष्य मानव कल्याण हैं। लोगो को विकास के केन्द्र में रखा जायें।

- **उद्देश्य :–** इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह हैं कि आर्थिक विकास योजनाओं में मानव का स्थान कैसा है और जब विकास के केन्द्र में मानव होता है तो आर्थिक विकास कैसा होता है।
- **परिकल्पना :–** विकास योजनाओं में मानव के आयाम कहॉ हैं, क्या आर्थिक विकास में मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कुशलता इत्यादि का प्रभाव है।
- **विकास योजना में मानव :–** विकास योंजनाओं का लक्ष्य उत्पादन न होकर मानव होते तो शायद ज्यादातर विकास योजनाओं का स्वरूप ही बदल जाता। निम्न तत्वों से योजनाओं का स्वरूप बदला जा सकता हैं।

  1. योजनाओं का आरम्भ इस बात से किया जाय कि देश में मानव संसाधन कितना है, लोग कितने शिक्षित है उनमे कौशल कितना हैं आय के वितरण एवं गरीबी की स्थिति कैसी है, कितने बेरोजगार हैं और कितने के पास आवश्यकता से कम आय वाले रोजगार हैं, शहरों और गॉवो की जनता का अनुपात कैसा है, मानव विकास का स्तर कैसा है, समाज रहता कैसे है और सॉस कैसे लेता है योजना के प्रथम अध्याय में राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, राष्ट्रीय आय के लेखे रहते हैं जबकि उसमें जनता की समग्र हालात का वर्णन होना चाहिए।
  2. योजनाओं के लक्ष्यों को पहले बुनियादी मानवीय जरूरतों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और फिर उत्पादन एवं उपयोग के लक्ष्यों में बदलना चाहिए अर्थात कम से कम औसत पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और यातायात के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से बताना होगा दूसरे शब्दों में हमें साध्य से साधन की तरफ जाना होगा, न कि साधन से साध्य की तरफ

     ***यहा साध्य मानव विकास है तथा साधन उत्पादन है।**
  3. विकास योजनाओं में उत्पादन एवं वितरण के लक्ष्यों का एकीकरण किया जाए और उन पर समान रूप से जोर दिया जाये, उत्पादन एवं वितरण की जो चिंता है उनके एकीकरण का अर्थ हैं कि उत्पादन चीजो का, खासकर भूमि का फिर से वितरण हो यदि वितरण असमान है तो गरीबो के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
  4. मानव विकास की व्युह रचना का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए ताकि लोगो की भागीदारी एवं आत्मनिर्भरता बढे। अर्थात योजनाओं में हितग्राहियों को कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए तभी योजना फलीभूत हो सकती है।
  5. योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए व्यापक सामाजिक और मानव विकास के संकेतक विकसित किये जाने चाहिए दूसरे देशों से तुलना करने के लिए केवल वास्तविक वृद्धि के माप को आधार मानना ठीक नहीं है।

ये तत्व विकासशील देशो की प्रत्येक आर्थिक योजना में बताए जाने चाहिए योजना के पहले भाग में इन तत्वों का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए और परम्परागत राष्ट्रीय आय का लेखा और अन्य लक्ष्य योजना के दूसरे भाग में रखना चाहिए ये बदलाव छोटे नही हैं ये बुनियादी है इनमें कठिनाईयॉ है पर काम चुनौति भरा, उत्तेजनापूर्ण और उपयोगी हैं।

स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में मानव :– इस प्रकिया में तीन बाते पहला स्थिरीकरण, दूसरा विश्व बाजार के लिए खुलना और तीसरा घरेलु बाजार व्यवस्था को नियत्रंण मुक्त रखना है।

इन आखरी दो पहलुओं को ढ़ॉचागत सुधार कहते है। जिसमें की अर्थव्यवस्था संचालित होती हैं। जिसमें उद्योगो को लाइसेंस देने की प्रणाली को खत्म करना और स्थिरीकरण के अन्तर्गत ऐसे प्रबंध करना है। ताकि देश को ऋण संकट का सामना न करना पडे या दूसरे देशों से लिए गए ऋणों को लोटाने में असमर्थ न होना पडें।

इन एडजस्टमेंट प्रोगाम में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में सरकारी हस्तक्षेप की उपस्थिति भी चाहिए, इस प्रकिया में यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि को ही महत्व दिया जाए तो आय एवं धन का गंभीर संग्रह होगा और राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ने के बावजूद मानवीय जीवन की गुणवत्ता कम हो जायेगी।

हमारी योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल व्यय का प्रतिशत जिस दर से बढ़ा उससे अधिक रक्षा व्यय का प्रतिशत बढ़ रहा है।

दक्षिण एशिया में भारत का स्थान (मानव संकेतक के रूप में)

भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका

संकेतक	6 दक्षिण एशियाई देशों में भारत का स्थान शीर्ष = 1, निम्न =6	
	1990 में	2009 में
1. प्रति व्यक्ति जी एन आई	4	3
2. जीवन प्रत्याशा	3	6
3. शिशु मृत्यु दर	2	5
4. 5 वर्ष से नीचे मृत्यु दर	2	5
5. मातृ मृत्यु अनुपात	3	3
6. कुल प्रजनन दर	2	4
7. साफ सफाई की स्थिति	5	6
8. बाल टीकाकरण	4	6
9. बच्चों को खसरे का टीका	6	6
10. विद्याअध्ययन का औसत वर्ष	2	4
11. महिला साक्षरता 15-24 वर्ष	3	4
12. कुपोषित बच्चों का समानुपात	4	6

स्त्रोत :- विद्याध्ययन और जीवन प्रत्याशा के औसत वर्ष-मानव विकास रिपोर्ट 2010 अन्य संकेत विश्व विकास संकेतक से लिए गए।

तालिका से स्पष्ट है कि 1990 के सापेक्ष 2009में भारत जी.एन.आई. में चौथे स्थान से तीसरे शीर्ष स्थान पर आ गया परन्तु जीवन प्रत्याशा, मृत्युदर, साफ सफाई, साक्षरता आदि में 6 देशों के सापेक्ष निम्न स्तर पर आ गया है अर्थात विकास योजनाओं में मानव को केन्द्र बिन्दु पर्याप्त नहीं मिला है।

यह बात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती हैं जैसे भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु एवं हिमाचल प्रदेश की राज्य योजना में मानव को केन्द्र मानने से मानवीय संकेतक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार के क्षेत्र में ये तीनों राज्य सबसे ऊपर के क्रम में आते है।

विकास हेतु उपाय :-

यदि विकास की नीति के फैसलों में मानवीय आयामों को पूरी तरह दिखाना है तो निम्न उपाय करने होगें।

1. राष्ट्रीय विकास योजनाओं की सालाना समीक्षा और परामर्श में युनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए, और यू.एन.डी.पी और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि को भी आंमत्रित किया जाय।
2. कर्ज देने की शर्तो की रूप रेखा बदलना चाहिए और न्यूनतम रोजगार स्तर बनाए रखने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए व्यय का स्तर तय करने के लिए शर्ते निश्चित होनी चाहिए।
3. मानव विकास कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को कुल अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की तुलना में कम कर्ज दिया जाता है। अत: ऐसे प्रयास करे की इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सहायता दे।

संदर्भ :-
1. शौक्षिक संदर्भ में अंक 41 फर - मई 2002
2. योजना मार्च 2012
3. MPCa XVI Annual conference UJJAIN
4. मानव विकास रिपोर्ट 2010

****

समाज आधारित या समाजोन्मुखी विधिक शिक्षा

डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन
प्राचार्य,श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर
विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

1. प्रस्तावना

इस लेख के द्वारा विधिक शिक्षा और विधिक व्यवसायिकतावाद के लक्षणों को विकासशील देशों के संदर्भ में जाँचने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास भी किया गया है कि विधिक शिक्षा और व्यवसायिकतावाद आज भी आदर्शवादी अवधारणा से कितनी दूर है और यह आज के समाजों के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है। विधिक शिक्षा और व्यवसायकितावाद की अवधारणा पश्चिमी देशों से उधार ली गई है।

इस संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह हमारे समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवधारणा के अनुकुल है। विधि और न्याय के मूलभूत सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं किंतु इनको सभी स्थानों और समुदायों पर उसी रूप में लागू करना व्यवहारिक रूप से समीचीन नहीं होगा। किंतु इनकों हमारे समाज और देश की परिस्थितियों और लोगों की आवश्यकताओं और उपयोगिताओं के अनुसार परिवर्तित करना होगा तभी यह हमारे देश और लोगों की तथा हमारे जैसे देश और समाज के लोगों की आंकाक्षाओं पर खरी उतरेगी। हम इस लेख के माध्यम से विधिक शिक्षा और विधिक सहायता के सामाजिक पहलू को देखने का प्रयास करेंगे कि यह हाशिये पर धकेले गए और प्रतिनिधिविहिन समूहों की जरूरतों के हिसाब से उचित है या विधिक शिक्षा में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है ताकि यह सामाजिक दायित्व को पूरा कर सकें।

2. परिचय :-

विधिक शिक्षा, विधि व्यवसायिकता और विधिक सेवाएं प्रदान करना ये आपस में एक दुसरे से जुडे हुए हैं। इनकी गुणवत्ता प्रदान करने की प्रक्रिया और समाज की आवश्यकताओं के आधार पर अवधारित की जाती है। इनके प्रदान करने की प्रक्रिया समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं रखती है और इस उद्देश्य में असफल हो जाती है तो विधिक शिक्षा और व्यवसायिकतावाद असंगत होकर समाज को कुछ भी देने में असफल हो जाएंगे।

विधिक शिक्षा, विधिक व्यवसायिकता और विधिक सेवाएं एक दूसरे को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं। विधिक शिक्षा के लिये विधिक व्यवसायिकता एक लक्ष्य है, जो एक केन्द्रीय भूमिका में है तथा विधिक सेवाएं प्रदान करना आगे बढने का एक आदर्श है। विधिक व्यवसायिकता एक अवधारणा है जो विधिक समाज को अंदर से जोडती है तथापि इसकी एक सर्वमान्य स्पष्ट परिभाषा करने का प्रयास भ्रामक रहा है। शिक्षाविद्, विधिकवेत्ता, न्यायपालिका और अधिवक्ताओं द्वारा इसे परिभाषित करने का प्रयास निरंतर उपेक्षापूर्ण संकल्प रहा है।

विधि व्यवसाय अपनी व्यवसायिकता का गठन करने के लिये कुछ अपरिहार्य मौलिकताओं को समाहित करता है। यह नीति, आचरण, विचार और आदर्शों को अधिवक्ताओं के लिये रखता है। कम शिक्षित और कम विकसित समाजों में जहा बहुल संख्या में हाशिये पर धकेले गए लोग निवास करते हैं। इन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिये विधिक व्यवसाय से जुडे व्यक्तियों का उत्तरदायित्व एवं जवाबदारी काफी बढ जाती है। इस कारण विधिक शिक्षा एक न्यायिक शिक्षा है किंतु दुर्भाग्यवश विधिक शिक्षा संस्थान विधिक शिक्षा को न्यायिक शिक्षा का एक सफल उदाहरण बनाने में अधिक सफल नहीं रहे है। व्यवसायिकता के संदर्भ में छात्रों को पढाने के लिये एक अर्थपूर्ण योजना विधिक शिक्षा के लिये बनाना एक मुश्किल कार्य है। विधि शिक्षा का अर्थ विभिन्न देशों में उनकी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न तरीकों से लगाया जाता है।

भारत के विधि आयोग ने इसे इस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है कि विधिक शिक्षा एक विज्ञान है जो विधि के कतिपय उपबंधों और सिद्धांतों का ज्ञान छात्रों को देती है और उन्हें विधिक व्यवसाय में प्रवेश करने के योग्य बनाती है।

विधिक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक ऐसा अधिवक्ता तैयार करना है जो :-

1. विधि सिद्धांतों और विधिक विश्लेषण को परंपरागत और ग्रंथालय शोध के संदर्भ में विश्लेषित करने में पारंगत हो।
2. विधिक नियमों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक आधारों पर समझकर उनके संम्बन्ध में नियमों को प्रस्तुत कर सके।
3. जो वकालत की विभिन्न विधाओं जैसे साक्षात्कार, तथ्य अनुसंधान, वार्ता, ड्राफ्टिंग, प्रतिपरीक्षण आदि में पारंगत हो।
4. न्यायिक, प्रशासनिक और विधायी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सके
5. विधि सिद्धांतों और विधिक विश्लेषण को परंपरागत और ग्रंथालय शोध के संदर्भ में विश्लेषित करने में पारंगत हो।
6. मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से प्रभावशाली तरीके से संसूचित करने के योग्य हो।
7. विधि सिद्धांतों और विधिक विश्लेषण को परंपरागत और ग्रंथालय शोध के संदर्भ में विश्लेषित करने में पारंगत हो।
8. उस सिद्धांत और प्रक्रिया को समझ सके जिसके द्वारा विवाद टाले और समझोते किये जा सकते हैं।
9. मानवीय स्वभाव और समस्याओं को कार्यकारी ज्ञान रखें।
10. नीति पूर्ण कार्य और स्वबाध्यकारी उच्च मानकों का व्यवसायिक दायित्वों में ध्यान रखे।

व्यवसायिक उत्तरदायित्व के लिये विधिक शिक्षा विधि छात्रों के चरित्र और प्रवृत्ति का विकास करके अधिवक्ताओं के कार्यो से विधिक समुदाय द्वारा आकलित की जाती है। यह छात्रों को व्यवसायिक आचार, आचरण के बारे में योग्य बनाती है जो विधायिका, न्यायपालिका और अधिवक्ता संघो द्वारा मान्य किये गए हैं। विधिक शिक्षा से शिक्षित व्यवसायियों से आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें :-

1. मानव अधिकारों की रक्षा में।

2. विधिक सहायता के विकास में।
3. भूमि सुधारों के क्षेत्र में ।
4. उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में आदि ।

3. भारत में विधिक शिक्षा :-

भारत में विधिक शिक्षा की जडें प्राचीन भारतीय परंपराओं में पायी जाती है। प्राचीन भारत में विधिक शिक्षा महत्वपूर्ण थी और लोगों को आकर्षित करती थी। भारत में व्यवसायिक अधिवक्ता मनुस्मृति के समय और उससे भी पहले होते थे। मनु-VIII-169 के अनुसार पहले से ही व्यवसायिकतावाद उपस्थित था क्योंकि व्यवसायिक अधिवक्ता मनुकोड के समय थे।

इसी प्रकार नारद स्मृति में भी न्यायालय से भी संबंधित बहुत से श्लोकों का वर्णन है जो जोली के अनुवाद में वर्णित किये गये हैं। इससे भी प्रकट होता है कि विधिक शिक्षा और व्यवसायिक अधिवक्ताओं की उपस्थिति प्राचीन भारत में विद्यमान रही है।

भारत में मुस्लिम राजनीति व्यवस्था में विधिक कार्यवाहियाँ पाई जाती है क्योंकि उस समय अधिकतर विवाद न्यायालय के बाहर सुलझाए जाते थे जो शासक शक्तियों द्वारा मान्य की जाती थी। ब्रिटिश सामराज्य के पहले मुगल काल में मुस्लिम कानूनों का प्रवर्तन कभी भी गॉवों तक नहीं पहुँचा था। औरंगजेब के शासन काल में भी वकीलों की नियुक्तियों का उल्लेख मिलता है।

अंग्रेजी विधिक पद्धति ब्रिटिश सरकार द्वारा सन् 1726 में लाई गई थी। इस काल में एक बहुत बडी संख्या में इंग्लैण्ड में लागू अधिनियमों को पारित कर भारत में लागू किया गया। सन् 1857 में बाम्बे विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और 1860 में शासकीय विधि महाविद्यालय जो इसके पूर्व ऐलिफिन्स्टोन महाविद्यालय के परिसर में खोला गया था, इससे सम्बद्ध कर दिया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालयीन एलएल.बी. उपाधि शुरूआत हुई।

समय के साथ-साथ विधिक शिक्षा का महत्व बढता गया और विधिक शिक्षा के बढते क्षेत्र और इसके महत्व को देखते हुए इसमें सुधार की गुजांइश के मद्देनजर विधिक शिक्षा की जाँच के लिये समय-समय पर स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक विधि आयोगों, समितियों और संस्थाओं का गठन किया गया। इन सभी के समक्ष विधिक शिक्षा के संम्बन्ध में निम्निलिखित प्रश्न थे :-

1. विधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली विधिक शिक्षा की योजना क्या होनी चाहिये।
2. यह पूरी तरह से शैक्षणिक और सैद्धांतिक हो या प्रायोगिक और प्रक्रियात्मक भी होना चाहिये।
3. विधिक शिक्षा का मतलब क्या विधि में शोध से भी होना चाहिये। धीरे-धीरे विधिक शिक्षा वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ जो आज भी प्रगति की ओर अग्रसर है।
4. विधिक शिक्षा की समस्यायें

वर्षों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन द्वारा नियंत्रित विधि महाविद्यालयों से विधि शिक्षा प्रदान करने के अनुभवों के कारण विधि शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याओं की पहचान हुई है। जो गुणात्मक सेवा देने और समाज की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में खरी नहीं उतरी है। ये समस्याएं निम्न है जो विधिक शिक्षा मे सुधार किये जाने की जरूरत को रेखांकित करती है :-

1. विधिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में छात्रों के ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता।
2. छात्रों में विधिक शोध को बढावा देने की आवश्यकता।
3. आचार्यों द्वारा अपने आदर्शवादी तरीके से मतशिक्षण दिया जाना है।
4. आचार्यों का व्यवसायिकतावाद के बारे में संकुचित दृष्टिकोण।
5. अवरोधी और नियंत्रित तरीके से आदर्शवादी शिक्षा।
6. शिक्षाविद् और नीति निर्धारकों का एक प्रगतिशील और अनुभवशील विधिक शिक्षा पद्धति विकसित करने की इच्छा का अभाव।
7. नीति निर्धारकों की विधिक शिक्षा के व्यवसायिक लक्षणों को समझने में जागरूकता का अभाव।

5. समाज अनुक्रियात्मक विधिक शिक्षा: एक समाधान

विधिक व्यवसाय में व्याप्त भ्रम को समाज अनुक्रियात्मक विधिक शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके लिये वंचित या हाशिये पर डाले गए समुदाय के छात्रों को विधिक शिक्षा दी जाना चाहिये। इसके लिये इन समुदाय के छात्रों को आरक्षण, स्कालरशीप सुविधा, फीस वापसी की सुविधा, छात्रावास की सुविधा आदि लाभ देकर उन्हें विधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये आकर्षित किया जाना चाहिये।

विधिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आकर्षित करने के लिये इस क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों को बढाना और सम्मानजनक वेतन को सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। आमजन और गाँवों में बसे लोगों के लिये भी जरूरी विधिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना जरूरी है। विधिक शिक्षा में छात्रों के लिये शोधात्मक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये ताकि छात्र ग्रामीण समुदाय और देश के लोगों की विधिक सामाजिक समस्याओं को समझकर उनके समाधान करने की प्रवृत्ति को विकसित कर सके।

मानव अधिकरों से संबंधित शोध कार्यक्रम चलाए जाने चाहिये। विधिक साक्षरता कार्यक्रम और विधिक सहायता शिविरों से छात्रों को जोडा जाना चाहिये। छात्रों को प्रक्रिया, प्रयोग और शोध से रूचिपूर्ण तरीकों से छात्रों को पढाई के दोरान संलग्न किया जाना चाहिये। विधिक शिक्षा की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् बार में प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाना चाहिये और उसके पश्चात् उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि देश और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य अधिवक्ताओं का एक समूह खडा किया जा सके। क्लीनिकल विधिक शिक्षा कार्यक्रमों को छात्रों के लिये चलाया जाना चाहिये और इन्हें विवादों को न्यायालय के बाहर निपटाने और समझोता कराने की प्रायोगिक शिक्षा दी जाना आवश्यक है।

6. निष्कर्ष :-

समाज आधारित या समाजोन्मुखी विधिक शिक्षा एक सही नीति, व्यवस्थित पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षक, न्यायपालिका, विधायिका, विधिक शिक्षा संस्थान और अधिवक्ता संघों पर आधारित है। दुर्भाग्यवश ये सभी विधिक शिक्षा के समाधान में पूर्ण रूप से रूचि न लेने के कारण विधिक शिक्षा अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पा रही है और न ही समाज की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से सुलझा पा रही है।

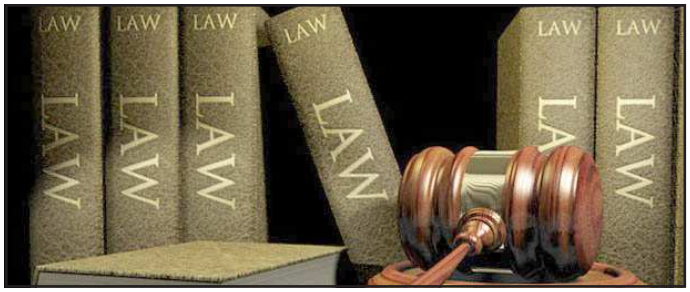

B-Z Oscillatory reactions: Study of BrO_3^- -oxalic acid-acetone systems.

Dr. B. K. Dangarh[1], Deepika Jain[1] and Suresh Chandra Gehlot[2]

1. Asstt. Prof. of Chemistry, Govt. P. G. College, Neemuch, 458441, India

2. Research Scholar in Chemistry

ABSTRACT

Oscillating reaction systems, far from equilibrium, has most interesting property called excitability. The behavior of Belousov-Zhabotinsky reaction the bromate/oxalic acid/$MnSO_4$/H_2SO_4/acetone in mixed solvents, and in presence of electrolytes and nonionic surfactants studied by potentiometric method has been reported. The solvents dimethylformamide, 1, 4-dioxan, acetonitrile and tetrahydrofuran have retarded both the oscillatory reactions.

The effect of the nonionic surfactants TritonX 100, and Tweens 20, 40 and 60 has been studied; wherein significant retarding effect at very low concentrations of the amphiphiles has been observed.

Key words- Oscillatory reaction, oxalic acid, B-Z reaction, FKN mechanism.

INTRODUCTION

Oscillations are familiar phenomena in mechanical system and in electrical circuits. Direction of motion of an object or an electrical current may repeatedly reverse itself with or without damping of the amplitude of oscillation, and repetitive standing or traveling waves may be generated in a continuous medium.

Every living system contains hundreds of chemical oscillators. Some examples are systems such as circadian clocks and rhythmic activity of central nervous system, and other biochemical processes at the cellular level like the glycolytic pathway, peroxidase-catalysed reaction or the biosynthesis of certain proteins.

A systematic study of oscillating chemical reactions is of considerable interest, since these oscillating reactions can be used as prototype examples of the behaviors possible in reactions governed by non-linear dynamic laws that appear in chemistry, geology, biology and engineering. An understanding of oscillatory processes at molecular level is of great importance, as it holds the key to the mystery of complex phenomena like sleep induction in animals or migratory behaviour of birds, etc.

The phenomenological kinetics of oscillating chemical reactions shows that the concentrations of reactants, intermediates and products can vary periodically either in space, e.g., morphogenesis, or in time, e.g., circadian rhythms. It may seem that an oscillating reaction would require the free energy of the system to oscillate as the reactants were converted to products and then back to reactants, thus contradicting the Second Law of Thermodynamics.

A biological cell is also an open system that can take in nutrients and excrete waste products of enzyme-catalysed reactions.

These reactions are complex and take place via a number of elementary steps, most of which involve nonlinear kinetics. Long-lasting chemical oscillations can occur only if a proper feedback mechanism is present. This can be achieved by supplying reactants and removing products continuously from the reaction vessel.

1. The Belousov- Zhabotinsky reaction:

The Belousov-Zhabotinsky (BZ)1,2 reaction is a family of oscillating chemical reactions. During these reactions, transition-metal ions catalyze oxidation of various, usually organic, reductants by bromic acid in acidic water solution. Most BZ reactions are homogeneous.

The BZ reaction makes it possible to observe development of complex patterns in time and space by naked eye on a very convenient human time scale of dozens of seconds and space scale of several millimeters. The BZ reaction can generate up to several thousand oscillatory cycles in a closed system,

which permits studying chemical waves and patterns without constant replenishment of reactants. (Field and Burger, 1985; Epstein and Showalter, 1996; Epstein and Pojman, 1998; Taylor, 2002).

A novel self-oscillating polymer was prepared by utilizing the Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction5. This achievement of self-oscillation of polymer chains under acid-free conditions may lead to their practical use as novel biomimetic materials under biological conditions.

2. Mechanism of the BZ reaction:

The mechanism of the BZ reaction is very complicated: a recent improved model for the Ce(IV)/ Ce(III)-catalyzed reaction contains 80 elementary steps and 26 variable species concentrations. However, in a sequence of landmark papers, Field, Koros, and Noyes3 formulated a model for the most important parts of the kinetic mechanism that gives rise to oscillations in the BZ reaction. This is often referred to as the FKN me chanism and is summarized in Table1.

This mechanism was accepted universally and the same was confirmed by Edelson et al4. through computer simulations. According to this mechanism, there are reduced as well as oxidized states, depending on bromide ion concentration.

Table-1: Abbreviated FKN mechanism governing the BZ reaction.

	Reaction	Rate Constat
(R1)	$Br^- + HOBr + H^+ \rightarrow Br_2 + H_2O$	$kR_1 = 8 \times 10^9\ M^{-2}\ s^{-1}$
(R2)	$HBrO_2 + Br^- + H^+ \rightarrow 2HOBr$	$kR_2 = 10^6\ M^{-2}\ s^{-1}$
(R3)	$BrO^-_3 + Br^- + 2H^+ \rightarrow HBrO_2 + HOBr$	$kR_3 = 2x\ M^{-3}\ s-1$
(R4)	$2HBrO_2 \rightarrow BrO_3$	$kR_4 = 2x10^3\ M^{-1}\ s^{-1}$
(R5)	$BrO^-_3 + HBrO_2 + H+ \rightarrow 2BrO2 + H_2O$	$kR_5 = 10\ M^{-2}\ s^{-1}$
(R6)	$BrO_2 + Ce(III) + H+ \rightarrow HBrO_2 + Ce(IV)$	$kR_6 = 6x10^5\ M^{-2}\ s^{-1}$
(C1)	$CH_2(COOH)_2 \rightarrow (HO)_2C = CHCOOH$	
(C2)	$(HO)_2C = CHCOOH + Br_2 \rightarrow BrCH(COOH)_2 + H^+ + Br^-$	
(C3)	$2Ce(IV) + CH_2(COOH)_2 + BrCH(COOH)_2 \rightarrow f\,Br^-$	

The FKN mechanism for the BZ reaction can be described as three concurrent (and at times competing) processes.

- Process A: The three step reduction of bromate to bromine.
- Process B: The introduction of hypobromous acid to compete as a reducing agent for bromate.
- Process C: The reduction of the catalyst formed from Processes A and B.

Following the conventional notation used in, let

$X = [HBrO_2]$

$Y = [Br^-]$

$Z = [Ce(IV)]$

$A = [BrO^-_3]$

$B = [Org]$ (organic species)

$P = [HOBr]$.

The Oregonator scheme is outlined in Table 2. Note the correspondence between the Oregonator scheme and the FKN mechanism in Table 3: (O1) is equivalent to reaction (R3); (O2) is equivalent to reaction (R2); (O4) is equivalent to reaction (R4); (O5) represents the organic species in Process C. The autocatalytic sequence is given by (R5) + 2(R6) and can be consolidated into the single reaction (O3).

Table 2: The Oregonator Scheme:

Reaction	Rate
(O1) $A + Y \rightarrow X + P$	$k_3 = kR3\ [H+]\ 2AY$
(O2) $X + Y \rightarrow 2P$	$k_2 = kR2\ [H+]\ XY$
(O3) $A + X \rightarrow 2X + 2Z$	$k_5 = kR5\ [H+]\ AX$
(O4) $2X \rightarrow A + P$	$k_4 = kR4X2$
(O5) $B + Z \rightarrow 1/2\,fY$	k_0BZ

3. Oscillatory reaction process for the bromate / oxalic acid / $MnSO_4$ /H_2SO_4 / acetone system:

The BrO_3^- - $MnSO_4$- H_2SO_4-OA-AC-mixed substrate B-Z system is a complex one. The overall reaction is

$$HBrO_3 + 2(COOH)_2 + CH_3COCH_3 \rightarrow 4CO_2 + 3\,H_2O + BrCH_2COCH_3 \quad (1)$$

Br_2 inhibited the process whereas CO_2 did not. Acetone scavenged Br_2 and the oscillation persisted longer in the presence of acetone[6].

$HBrO_2$ was a vital component for the acceleration of oscillatory process[7]. The following reaction steps for the mechanism have been proposed[8].

$$BrO^-_3 + Br^- + 2\,H^+ \rightarrow HBrO_2 + HOBr \quad (2)$$

$$Br^- + HBrO_2 + H^+ \rightarrow 2\,HOBr \quad (3)$$

$$Br^- + HBrO_2 + H^+ \rightarrow Br_2 + H_2O \quad (4)$$

$$BrO_3^- + HBrO_2 + H^+ \rightarrow 2BrO_2^* + H_2O \quad (5)$$

$$Mn^{2+} + 2\,BrO_2^* + H^+ \rightarrow Mn^{3+}\,HBrO_3 \quad (6)$$

$$BrO_2^* + (COOH)_2 \rightarrow HBrO_2 + CO_2 + HCO_2^* \quad (7)$$

$$HOBr + + (COOH)_2 \rightarrow H_2O + CO_2 + HCO_2^*\,Br^* \quad (8)$$

The Br_2 has been removed from the system by the following reactions:

$$Br^{*} + CH_3COCH_3 \rightarrow Br^{-} + CH_3COCH_2^{*} + H^{+} \quad (9)$$

$$CH_3COCH_2^{*} + Br_2 \rightarrow BrCH_2COCH_3 + Br^{*} \quad (10)$$

$$CH_3COCH_2^{*} + CH_3COCH_2^{*} \rightarrow CH_3COCH_2CH_2COCH_3 \quad (11)$$

$$CH_3COCH_3 + H^{+} \rightarrow CH2{=}COCH_3 + H^{+} \quad (12)$$

$$CH_2{=}COCH_3 + Br_2 \rightarrow BrCH_2COCH_3 + Br^{+} + H^{+} \quad (13)$$

Addition of mixed solutions of $MnSO^4$ and oxalic acid in to the potassium bromate solution results in production of regular oscillation after a large induction period as also reported by Guedes and Faria[6].

3.1 Effect of substrate concentration:

At fixed concentrations of the other components, the oscillatory process has been examined as a function of the concentration of each of AC, OA, $MnSO_4$ and $KBrO_3$.

The number of oscillation has increased with increasing concentration of acetone. (Table-3) Wittmann et al[9]. reported oscillations from potentiometric studies below 0.21 mol dm^{-3} acetone. At 0.4 mol dm^{-3} acetone, there was a lag period of 9 min between two oscillations. This lag period was reduced to 4 min at 0.55 mol dm^{-3}.

With the increasing concentration of oxalic acid, the number of oscillation has increases. (Table-4) Oscillation has not been observed below 0.04 mol dm-3 OA. At 0.05 mol dm^{-3} OA, six high amplitude oscillations followed by two low amplitude oscillations are observed. This is supported by the work of Guedes et al6 from spectrophotometric method. The number of oscillation has decreased with increasing concentration of $MnSO_4$.(Table-5). We could not increase the indicator concentration above 0.0015 mol dm-3 due to Br2 liberation in acid solution. With increasing $KBrO_3$ concentration, the number of oscillation has decreased. (Table-6)

Although the rate of reaction increases with increase in substrate concentration, the opposite effect may be explained due to complex formation of the added reactants in the activated state, thereby inhibiting the formation of products.

3.2 Effect of mixed solvents:

Dioxan (DX) and acetonitrile (ACN) have shown inhibitory effects on the OA-$KBrO_3$-AC-$MnSO_4$ system. In case of dioxan, oscillation ceased at 20 vol % DX, and such was the case for 15 vol % of acetonitrile. Dimethylformimide (DMF) showed completely different behavior. The n value initially increased from 0.5 to 4 % DMF, then started decreasing from 5 to 10 % DMF. Higher % of DMF could not be used due to the liberation of Br_2.

The explanation of the solvent effect was given by Lalitha and Ramaswamy[10] and Jha et al[11] and was discussed in my study of bromate / gallic acid /H_2SO_4/ ferroin system.

3.3 Effect of added electrolytes:

In the present study, we have observed that oscillatory process is not inhibited by Cl^{-} and NO_3^{-} ion up to electrolyte concentration of about 10^{-2}equiv dm^{-3}. This inhibitory effect of electrolyte was in sharp contrast to other oscillatory reaction process[49-65] where reduction in n has been observed.

3.4 Effect of nonionic surfactants:

The surfactants, namely, TX-100, and Tween 20, 40 and 60 in aqueous medium have shown inhibitory effect on the B-Z reaction. The number of oscillations (n) has been found to decrease with the increase in concentration of surfactants in each case up to a threshold concentration, above which no oscillation has been observed.

3.5 Experimental:

Potassium bromate, sulfuric acid, gallic acid (GA), oxalic acid (OA), acetone (AC), and manganous sulphate (all E. merck) were used. Ferroin indicator was prepared in the usual way. The solvents dioxan (DX), dimethylformamide (DMF), and acetonitrole (ACN) (all S.D. Fine, India) and tetrahydrofuran (THF) (E.merck) were used. The purity of the solvents was checked by their boiling points. The electrolytes used were of A.R. grade (E.merck). The purity of these salts was checked by measuring their m.ps. Double-distilled conductivity water was used in all the preparations.

The oscillations of the potential during the reaction were measured at 303 K using digital real time data logger YK 2005 WA Lutron.

Table-3: Effect of varying acetone concentration on the bromate- oxalic acid - $MnSO_4$ - H_2SO_4-acetone system at 303 K

$[H_2SO_4]$ =1.20 eqiv dm^{-3}, $[KBrO_3]$= 0.10 mol dm^{-3} , [OA]=0.059 mol dm^{-3} $[MnSO_4]$ 0.0010 mol dm^{-3}

[AC] mol dm-3	n
0.2	-
0.3	22
0.4	24
0.5	25
0.6	28
0.7	28
0.8	30
0.9	32
1.0	33

Table-4: Effect of varying oxalic acid concentration on the bromate-oxalic-acid- $MnSO_4$ - H_2SO_4-acetone system at 303 K

$[H_2SO_4]$ =1.20 eqiv dm^{-3}, $[KBrO_3]$= 0.10 mol dm^{-3} , [OA]=0.059 mol dm^{-3} $[MnSO_4]$ 0.0010 mol dm^{-3}

[OA] mol dm^{-3}	n
0.03	20
0.04	24
0.05	27
0.06	33
0.07	34
0.08	38
0.09	38
0.1	37

Table-5: Effect of varying $MnSO_4$ concentration on the bromate-oxalic-acid- $MnSO_4$ - H_2SO_4-acetone system at 303 K

$[H_2SO_4]$ =1.20 eqiv dm^{-3}, $[KBrO_3]$ = 0.10 mol dm^{-3} , [AC]=1.0 mol dm^{-3} [OA]=0.059 mol dm^{-3}

$[MnSO_4]$ mol dm^{-3}	n
0.0008	36
0.0009	35
0.0010	33
0.0011	31
0.0012	30
0.0013	28
0.0014	26
0.0015	20

Table-6: Effect of varying $KBrO_3$ concentration on the bromate-oxalic-acid- $MnSO_4$ - H_2SO_4-acetone system at 303 K

$[H_2SO_4]$ =1.20 eqiv dm^{-3}, $[MnSO_4]$ = 0.0010 mol dm^{-3} , [AC]=1.0 mol dm^{-3} [OA]=0.059 mol dm^{-3}

$[KBrO_3]$ mol dm^{-3}	n
0.05	30
0.10	33
0.15	32
0.20	24
0.25	18

REFERENCES:

1. B. P. Belousov, Sbornik Referatov po Radiatsionni Meditsine, 145 1958.
2. A. N. Zaikin and A. M. Zhabotinsky, Nature London 225, 535 1970
3. R. M. Noyes, R. J. Field, and E. Körös, J. Am. Chem. Soc. 94, 1394, 1972
4. D. Edelson, R. J. Field, and R. M. Noyes, Int. J. Chem. Kinet. 7, 417 1975
5. Y. Hara, R. Yoshida, J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys; 109(19):9451, 4. 2005.
6. M. C. Guedes and R.B. Faria, J. Phys. Chem ., 1998. 102, 1973
7. I. Szalai, J. Oslonovitch and H.D. Försterling, J. Phys. Chem.104, 1495, 2000
8. R. J. Field and P. M. Boyd. J. Phys. Chem., 89, 3707, 1985.
9. P Wittmann, Stirling and J. Bodiss, Chem. Phys. Lett., 141.241. 1987.
10. P. V. Lalitha and R. Ramaswamy, Int. J. Chem. Kinet ., ,25.457, 1993.
11. P. N. Jha, B. N. Prasad and R. K. Prasad, J. Indian Chem. Soc., 65,177, 1988

Save

1. Water
2. Girl Child
3. Forest

Maximum Limit of Rotational energy transfers in C_2 - He and Power-gap law.

Dr. N. K. Dabkara, D. S. Firozia[1] and G. Ahirwar[2]

1. *Department of Physics, Government Girl's College, Neemuch (M.P.), INDIA*
   Department of Physics, Government P. G. College, Rampura , dist Neemuch M.P., INDIA
2. *School of Studies in physics, Vikram University, Ujjain, M.P., INDIA*

KEYWORDS:- Rotational energy transfer, Diatomic collision and scattering cross section.

ABSTRACT

Theoretical importance of the classical limit of the maximum rotational energy transfer, $(\Delta E)_{max}$, it has been reviewed for a two dimensional hard ellipsoid potential model over a wide range of energies, reduced mass of the system. It has been found that $(\Delta E)_{max}$, is comparable with a well-known parameter $|\Delta E|^*$ given by the two parameter Power- gap law. The numerical equivalence of $(\Delta E)_{max}$ and $|\Delta E|^*$ has been verified for different collision energy of the atom - diatom system. Such equivalence suggests that the value of $(\Delta E)_{max}$ can be used as one parameter $|\Delta E|^*$ of the power-gap law. The salient feature of the research helps to develop several techniques in field of rotationally energy transfer inelastic collision in atom-diatom systems.

1. INTRODUCTION

The study of rotational inelastic scattering between molecules and neutral atoms at low collision energies is a fast developing field in collision dynamics [1-2].The nature of rotational energy transfer (RET) in collisions of molecules with He, Ar and Ne were studied experimentally [3-4] and theoretically [5-7] .

In several papers Mc caffery and co-workers [8-10] explored various aspects of the RET by treating the conversion of orbital angular momentum to the angular momentum of the molecule at the repulsive wall of anisotropic intermolecular potential.

However they point out that the maximum change in rotational momentum might be limit either by energy conservation or by momentum conservation, developing on detail of the particular collision system. They obtain the maximum classical limit of RET by using a hard ellipsoid potential model. This model treats a molecule as a hard core ellipsoid and the collision between the atom and the hard core ellipsoid. The relationship between the shape of the potential surface and the energy transfer is crucial idea for giving technique to understanding collision processes of molecules and rare gases i. e. He, Xe, Ne and Ar. The link between the two is provided by the general quantum theory of collision for hard shapes and classical approach of hard ellipsoid model.

The problem of the rotationally inelastic collision of a particle with a hard ellipsoid potential [11-14] can be solved by using the three principles of conservation; the total energy conservation, linear momentum conservation and the angular momentum conservation. Agrawal and co-workers [15-17] have noted that the classical limit of rotational energy transfer $(\Delta E)_{max}$, predicted by the hard ellipsoid model is comparable to a well known parameter $|\Delta E|^*$ given by power -gap law [18] and the RET cross -sections computed on the real potentials.

It would be important to perform an elaborate test of the expression for the maximum limit of angular momentum transfer so obtained, such a test would be useful for the RET cross- sections computed using the realistic potential.

In this study, in addition to the validity of the hard ellipsoid potential model we shall also reconfirm that the division between the classically allowed and forbidden transitions given by the power-gap law is excellent. Further, we show that the equivalence of the $|\Delta E|^*$ and $(\Delta E)_{max}$, not only provide the physical meaning to $|\Delta E|^*$ given by the RET data and the power -gap law but is also valuable for determination of some features of intermolecular interaction potential from knowledge of RET data.

In Section 2, we formulate the procedure for determination of $|\Delta E|^*$ and $(\Delta E)_{max}$. The numerically results are presented and discussed in Section 3. Finally the conclusions are summarised in Section 4.

2. FOMULATION

2.1. DETERMINATION OF $|\Delta E|^*$

The parameter $|\Delta E|^*$ is determined with the help of cross sections obtained from scattering calculations and the power gap law.

For the computation of cross sections the

homonuclear diatomic molecule, C_2, is treated as a rigid rotor and the interaction between the molecule and the atom, He, is taken as a pairwise sum of the potential terms,

$$V = V(r_1) + V(r_2), \quad (1)$$

where r_1 and r_2 are the C_1-He and C_2-He distances, respectively, as shown in Fig.1.

For $V(r_i)$ the general form of the Lennard-Jones (L-J) potential is taken with different values of n and m:

$$V(r_i) = \varepsilon[\{m/(n-m)\}(r_o / r_i)^n - \{n/(n-m)\}(r_o / r_i)^m], \quad (i = 1, 2), \quad (2)$$

where r_0 and ε are taken [19] as 1.2074 Å and 2.98928 meV, respectively .

In addition to the above-mentioned potential functions, purely repulsive terms of the potential functions have also been investigated. It is convenient to denote such potentials by the notation $V_R(n)$, which has been obtained by deleting the attractive term from the potential V (n, m). The cross sections have been computed using the modified infinite order sudden approximation method (IOSAM), [19]. The phase shifts have been computed using a 10- point Gauss - Mehler quadrature of the WKB phase shift equation as described by Pack [20].

According to the power-gap law [19] the cross sections, $\sigma(j_i \rightarrow j_f)$ can be expressed as

$$\sigma(j_i \rightarrow j_f) = a(2j_f + 1)(T_f/T_i)^{1/2} |\Delta E|^{-\Upsilon}, \quad (3)$$

where j_i and j_f are the initial and final rotational quantum numbers, a and Υ are the fitting parameters, T_f and T_i are the final and initial translational energies and $|\Delta E|$ is the energy gap between initial and final rotational levels. Eq. (3) gives the following equation which can be used to separate the two regions.

$$Y = - X + \ln a, \quad (4)$$

where

$$Y = \ln [\sigma(j_i \rightarrow j_f)(T_i/T_f)^{1/2} / (2j_f + 1)], \quad (5)$$

and

$$X = \ln |\Delta E|. \quad (6)$$

A typical X-Y plot which shows the existence of two straight lines signifying the two regions is given in Fig. (2). The location of the critical point has been marked as $|\Delta E|^*$ in the figure. For all sets of the computed cross sections, $|\Delta E|^*$ has been obtained by such plots.

2.2. DETERMINATION OF $(\Delta E)_{max}$

For the maximum limit of angular momentum transfer the hard ellipsoid potential model was discussed in detailed by Agrawal and co-workers. He found the following relation for the classical limit of the angular momentum transfer

$$(\Delta J)_{max} = \sqrt{(2\mu)}(\sqrt{E} + \sqrt{E'})(A-B), \quad (7)$$

where μ is the reduced mass of the colliding system, E and E' are the initial and final translational energies of the system, respectively and A and B are the lengths of the semi-major and semi-minor axes of ellipsoid, respectively.

From the above expression the limit of the rotational energy transfer in the molecule can easily be obtained. For simplicity, if the diatomic molecule is considered initially in the ground state, then the expression for the maximum amount of rotational energy transfer would be

$$(\Delta E)_{max} = [(\Delta J)_{max}]^2/2I,$$

$$(\Delta E)_{max} = (\mu/I)(A-B)^2 [E + E' + 2\sqrt{(EE')}] \quad (8)$$

where I is the moment of inertia of the diatomic molecule. Eq. (8) together with the following energy conservation equation

$$E' = E - (\Delta E)_{max} \quad (9)$$

can be used to compute $(\Delta E)_{max}$ from knowledge of E, A, B, μ and I.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 EFFECT OF ENERGY

Table 1 list low, high and $|\Delta E|^*$ given by the scattering calculations for the potential V (12, 6) and V_R (6) as a function of the initial translational energy for C_2- He system. For comparison the value of $(\Delta E)_{max}$ given by Eq. (8) are also shown in the Table 1. A comparison of the values of $(\Delta E)_{max}$ given by the hard ellipsoid model and $|\Delta E|^*$ given by the scattering method shows that they are in very good agreement. This excellent agreement shows that $|\Delta E|^*$ can be considered as $(\Delta E)_{max}$.

The data reported in Table 2 also shows that $(\Delta E)_{max}$ is approximately proportional to E : $(\Delta E)_{max}$ / E varies from 0.047 to 0.189 as E increases from 0.1 to 0.4 eV. The variation of $(\Delta E)_{max}$ / E with E can be analyzed by the two factors $(A-B)^2$ and $[E+E'+ 2V(EE')]$ /E, occurring in Eq. (8). The factor $(A-B)^2$ increases from 0.7334 to 0.7775 and letter factor decreases from 1.6052 to 1.4086 as E increases from 0.1 to 0.4eV. For a perfectly hard ellipsoid potential, $(A-B)^2$ would not depend on E and as such the variation in $(\Delta E)_{max}$ / E would be given by the later factor only. Another important parameter is Υ . For a given potential we see that Υ_{low} is insensitive to the change in the collision energy. The values of Υ_{high}, however, shows a different trend. The energy dependence of these parameters is a matter of further studies.

3.1 EFFECT OF MASS

Table 3 gives the results for C_2-X system having r_0 and ε value of C_2-He system and the masses of X_2

are 2.0, 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.2 and 39.95 amu. for the potential V(12,6) at different collision energies.

A very good agreement between the $(\Delta E)_{max}$ values given by the hard ellipsoid model and scattering calculations is seen from Table 3. Further a decrease in $(\Delta E)_{max}$ values with increase in mass of the atomic molecule, X, is also seen from the table.

For a system to exhibit angular momentum constraint the final rotational state of the molecule must be energetically accessible to eliminate any energetic restrictions. Thus the $(\Delta E)_{max}$ values must be smaller than the available translational energy E.

We have

$(\Delta E)_{max} / E < 1,$

or

$(\mu / I) (A-B)^2 < 1$, [using Eq. (8)]

or

$$(\mu / \mu_m) [(A-B) / R_e]^2 < 1, \quad (10)$$

where μ_m and R_e are the reduced mass and bond length of the molecules. Thus the ratio μ/μ_m is an important factor in determining whether a collision system is momentum or energy constrained. In C_2-He system the order of (A-B) is 0.8564 and the bond length of C_2 is $R_e = 1.54$. Hence $[(A-B)/R_e]^2$ is ≈ 0.7. Therefore the ratio μ/μ_m should be smaller than 2 for the inequality in Eq. (10) to hold. In other cases all the transitions permitted by the energy conservation constraint would be possible.

CONCLUSION

The maximum amount of rotational energy transfer in collisions of C_2 with He has been investigated over a wide range of energies, reduced mass of the system, potential functions and potential parameters. Further, the classical limit of maximum rotational energy transfer has been reviewed for a hard ellipsoid potential model.

$|\Delta E|^*$ and $(\Delta E)_{max}$ also suggest that the classical limit of angular momentum transfer given by the hard ellipsoid potential model is meaningful even for the cross sections computed on the real potentials provided the classical turning point surface of the soft potential is assumed as the hard potential surface. The $|\Delta E|^*$ values given by the scattering results are also found to be in good agreement with the $(\Delta E)_{max}$ values obtained by using the hard ellipsoid model.

Acknowledgements

The support of the university grant commission, central regional office, Bhopal under grant No. MS-49/107029/ 10-12/CRO (2) is gratefully acknowledged. NKD also wishes to thanks the principal Govt. girls college Neemuch for their copration.

REFRENCES

1. Alec M. Wodtke, Danniel Matsiev, and Daniel J. Auerbac, Progress in surface science, 83, 167 (2008).
2. P. M. Agrawal, N. C. Agrawal and Vinod Garg, 83, 4444 (1995).
3. R. Krems, W. Stwalley and B. Friedricheds. ,Cold molecules, Theory, Experiment Applications (Taylor and Francis,2009)
4. P. M. Agrawal, D. L. Thompson and L. M. Raff, J. Chem. Phys., 92, 1069 (1990).
5. Y. Wang , Acta Physica Polonica A, 119, 3 (2010).
6. 1. M. Kriste, L. Scharfenberg, J. Klos, F. lique, M. H. Alexander, G. Maijer, and S. Y. T. Vande Meerakker, phy. Rev. A 82, 42717 (2010).
7. P. J. Dagdigan, Annu. Rev. Phys. Chem. 48, 95 (1997).
8. I.A. Osborne, A. J. Mc Caffery, J. Chem. Phys. 101, 5604 (1994) .
9. S. Clare, A. J. Marks, A. J. Mc Caffery J. Phys. Chem. 104, 7181(2000).
10. A.J. McCa?ery, M.J. Proctor, B.J. Whitaker, Ann. Rev. Phys. Chem. 37 (1986) 223.
11. P. M. Agrawal and L. M. Raff, J. Chem. Phys. 75, 2163 (1981).
12. J. A. Serri, R. M. Bilotta, D. E. Pritchard, J. Chem. Phys. 77, 2940(1982) .
13 P. M. Agrawal, And L. M. Raff, J. Chem. Phys., 74, 3292 (1981).
14. J. S. D. Bosanac, N. Petrovic, Phys. Rev. A 41, 5909 (1990).
15. P P. M. Agrawal, S. Tilwanker, N. K. Dabkara, J. Chem. Phys. 108, 4854(1998) .
16. P. M. Agrawal, S. Tilwanker, Acta Phys. Pol. A 93, 451(1998).
17. N. K. Dabkara, P. M. Agrawal, Chem. Phys. Lett. 299, 125 (1999).
18. T. A. Brunner, R. D. Driver, N. Smith and D. E. Pritchard, Phys. Rev. Lett. 41, 856 (1978).
19. P. M. Agrawal, And L. M. Raff, J. Chem. Phys., 74, 3292 (1981).
20. R. T. Pack, J. Chem. Phys., 60, 633 (1974).

****

Table-1

Comparing of maximum amount of rotational energy transfer $(\Delta E)_{max}$ values by the hard ellipsoid potential model and those obtained by using the scattering cross sections and the power- gap law for the C_2-He system. Where the Potential Parameter σ and ε are 1.925Å 0.0012437eV respectively.

Potential	Energy (eV)	$\gamma_{low}^{(a)}$	$\gamma_{high}^{(a)}$	$(\Delta E)_{max}$ eV.	
				Ellipsoid Model	Scattering
V (12 ,6)	0.10	0.749	6.19	0.051	0.047
	0.15	0.793	8.27	0.077	0.078
	0.20	0.802	9.96	0.104	0.111
	0.25	0.816	11.07	0.130	0.143
	0.30	0.803	9.03	0.158	0.162
	0.35	0.799	7.1	0.178	0.181
	0.40	0.792	4.21	0.213	0.189
$V_R(12)$	0.10	0.817	6.95	0.049	0.046
	0.15	0.816	7.94	0.075	0.072
	0.20	0.858	10.34	0.102	0.109
	0.25	0.833	10.53	0.129	0.133
	0.30	0.846	9.84	0.155	0.160
	0.35	0.815	4.48	0.182	0.178
	0.40	0.825	4.94	0.191	0.188

(a) The unit of γ_{low} and γ_{high} are such that in Eq. (3) cross section is in (Å)^2 and ΔE is in eV.

Table-2

Comparing of maximum amount of rotational energy transfer $(\Delta E)_{max}$ values by the hard ellipsoid potential model and those obtained by using the scattering cross sections for the C_2-He system. Where the Potential Parameter σ and ε are 1.925Å, .0012437eV respectively.

Potential	Energy (eV.)	A Å	B Å	A-B Å	$(\Delta E)_{max}$ eV.	
					Ellipsoid Model	Scattering
V (12 ,6)	0.10	2.4616	1.6052	0.8564	0.051	0.047
	0.15	2.4108	1.5478	0.8630	0.077	0.078
	0.20	2.3750	1.5070	0.8680	0.104	0.111
	0.25	2.3474	1.4752	0.8722	0.130	0.143
	0.30	2.3252	1.4494	0.8758	0.158	0.162
	0.35	2.3190	1.4392	0.8798	0.178	0.181
	0.40	2.2904	1.4086	0.8818	0.213	0.189
$V_R(12)$	0.10	2.4912	1.6530	0.8382	0.049	0.046
	0.15	2.4342	1.5860	0.8482	0.075	0.072
	0.20	2.3948	1.5394	0.8554	0.102	0.109
	0.25	2.3648	1.5040	0.8608	0.129	0.133
	0.30	2.3408	1.4514	0.8654	0.155	0.160
	0.35	2.3208	1.4514	0.8694	0.182	0.178
	0.40	2.3036	1.4408	0.8628	0.191	0.188

Table-3

Comparing of maximum amount of rotational energy transfer $(\Delta E)_{max}$ values by the hard ellipsoid potential model and those obtained by using the scattering cross sections for the C_2-X system at the potential V(12,6). Where X = 2.0, 4.0, 8.0, 12.0 and 16.0 amu.

Mass of X (amu)	μ	μ / μ_m	A (Å)	B (Å)	γ_{low} [a]	γ_{high} [a]	$(\Delta E)_{max}$ (eV)	
							Ellipsoid Model	Scattering
2.0	1.85	0.31	2.4616	1.6052	0.904	9.20	0.032	0.034
4.0	3.0	0.50	2.4616	1.60452	0.749	6.19	0.051	0.047
8.0	6.0	1.00	2.4616	1.60452	0.746	2.63	0.072	0.0697
12.0	8.0	1.33	2.4616	1.60452	0.737	0.92	0.083	0.0537
16.0	9.6	1.60	2.4616	1.60452	0.738	1.28	0.089	0.0714

(a) The unit of Υ_{low} and Υ_{high} are such that in Eq. (3) cross section is in (Å)^2 and ΔE is in eV.

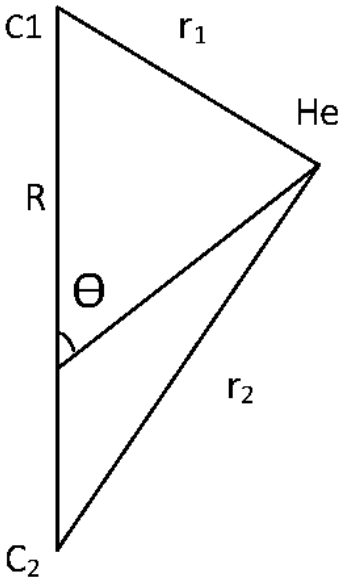

Fig. (1)

Coordinates for the rigid rotor C_2-He system.

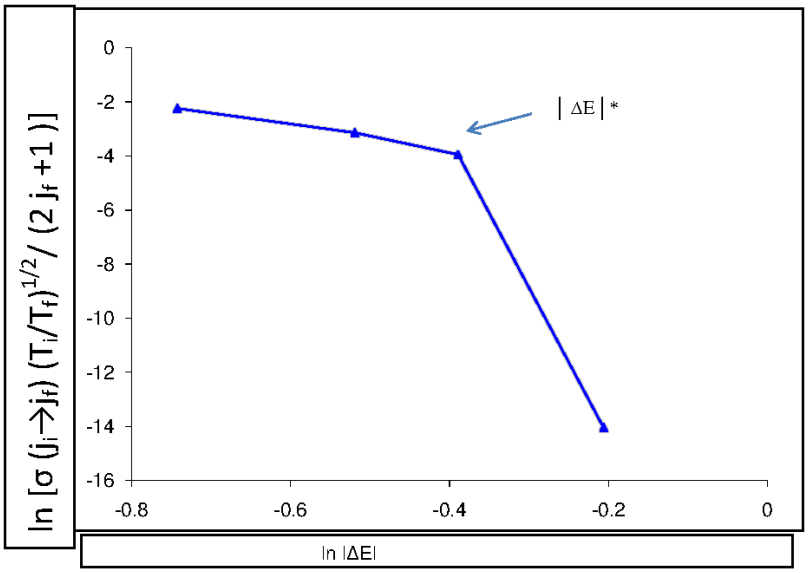

Fig. (2)

ln [σ ($j_i \rightarrow j_f$) (T_i/T_f)$^{1/2}$/ (2 j_f +1), versus ln |ΔE| for j_i=0 at E= 0.1 eV for V(12,6) potential. |ΔE| point is shown by an arrow. The unit of ΔE and σ are eV and Å, respectively.*

Vital Role of Virtual Class in Language Learning

Dr.Ajay Bhargava
Professor of English
Govt. College, Barnagar, Ujjain (M.P.)

V.K.Soniya
Research Scholar School of Studies in English
Vikram University, Ujjain (M.P.)

Abstract -- English is a foreign language for Indian students. There is an accute requirement to teach it more effectively inspite of several changes in teaching methods, curriculum, results are not satisfactory. In order to develop proficiency in various skills of language learning, Virtual Class teaching should be introduced among the learners.With the advent of Globalization, Privatization and Liberalization, Information Technology (IT) has revolutionized every aspect of the life of common man.

The IT has opened new dimensions for institutions, learners, educators, etc. to take the benefits of technology to enrich the method of foreign language learning. This IT race highly involves education and technology for academic purpose. Government is also aspiring to seek the benefits of IT for student & teacher both. Higher Education Department of Madhya Pradesh has also taken initiatives to achieve benefits of IT for the betterment and advancement of the student-teacher both. Higher Education Department has short listed hundred colleges for the establishment of virtual classes and also allotted adequate funds for Virtual Classes with all standard infrastructure and other facilities.

Virtual Class means learning online from a teacher. It is a teaching exploration in IT age. It has revolutionized the way of teaching English language with quality teaching materials and methods. Learner can see, hear, and even ask questions. The classroom is well designed, more convenient and maintained with conductive learning environment. It enables teachers to access audio-video presentation for effective delivery of lectures on linguistic, stylistics, phonetics and many complex language learning problems. The teacher can open up the videos, pictures, structures , documents etc for learners to view and he can constantly perform his lecture. It promotes active learning in classroom student will get more involved with hi-tech and superior software of language.

Virtual Class will play a crucial role in raising students learning level and explore ways immensely to enhance their skills through Information and Communication Technology as Global world need in 21st century. Virtual Class strengthens learning and teaching of English language with adequate results. Student will acquire proficiency in listening, reading, writing and speaking skills. He will get rid from traditional instructional method of teaching English. Virtual Class is online learning environment.

It eradicates monotony, anxiety in learning English and make learning enjoyable. It facilitates computer litracy for educators as well as learners. It bridges the knowledge gap between teacher and student which is prevalent in present classroom teaching. The student has access to advanced information technology. Virtual Class environment inspire teachers of language to shape innovative ideas of teaching language.

Virtual Class is designed to develop learners of English language for the Global demand and challenges where knowledge of English language has acquired status and success. Virtual learning environment is the way to train our generation to cope up with the circumstances and technical exploration of new era. Student and teachers will realize the experience from real to virtual.

Virtual Class learning proves its effectiveness on various criterions and its benefits can be analyzed on the impact of learning .It provides independent and flexible learning to the students to acquire various skills of language. The audio-visual approach of virtual class

combined with well designed illustration, example and sequential learning model ensures that the learnt language lessons can not be forgotten. The doubt clarification through the textbook is often unsatisfactory and sometimes only text and images may not be enough to understand and explain difficult concepts. Virtual Class is the most effective way through which audio-visual presentation assists the student. Mere hardware and physical infrastructure are insufficient to achieve the main goal. Illustrations and examples can be perfectly designed for the learners to comprehend the language conveniently. Perfect use of technology is indispensable.

Virtual Class does not mean that teachers are going to lose their jobs. The role of teacher can not be reduced as he plays a very significant role in teaching learning process. After the Virtual Class, the students may have still problems in language acquisition and teacher has potential to solve the problem. Professional training programme are most effective in supporting teacher to use technology creatively and productively. There is not an iota of doubt if teachers are professionally trained to use technology. They will compile theoretical and practical ideas more efficiently to supplement, augment and explore language learning in virtual classroom.

Teachers will proactively engage themselves in creative and innovative method & techniques for Virtual Classes to establish themselves in this age of IT. It will also develop the efficiency in teachers. Revitalization and modernization of conventional English classroom can be shortly observed in the performance and attitude of language learners.

In India still teachers of English language are facing problem of incorrect pronunciation of their own as well as students. India is a nation of various culture, caste, creed, race and religions with different beliefs. These geographical and economical variations influence the language learning immensely. In English language each word has its individual pronunciation as in other languages. There is also sound system. In language learning mostly student imitate their teachers. They listen carefully and try to produce same pronunciation.

In India there is immense dearth of knowledge of linguistics and phonetics among teachers and as a result next coming generation is with inappropriate and incorrect pronunciation.

The problem of Voice, accent, modulation, mother tongue influence (MTI) and rate of speech and pronunciation can be eradicated. The training of linguistic and phonetics can be given in virtual class by viewing constant audio visual presentation of BBC for ILETS, TOFEL examination Well performer, efficient Teachers should be short listed to prepare lectures and presentation for virtual classes. Some teachers have good accent but lack good command over English language. This would be also corrected by virtual classes.

They require training or practice in linguistic and phonetics. They need to be familiar with pattern of sounds, rhythm, stress, intonation falling and rising tones that can be perfectly analyzed and rectified by virtual class teaching.

As we watch any movie, TV show, serial and receive or pick up the word , dialogue, sentence in the same way learner will acquire the language with correct pronunciation. It will boost his vocabulary and he need not memorize the concepts and thoughts.

Refrences:

1. Ismail Thamarasseri, Information and Communication Technology (Kanishka Publishers,Distributers New Delhi , 2012)
2. S.P. Dhariwal, English Language Teaching in India The Shifting Paradigms, (Tata McGraw Hill Education Private Limited, New Delhi,2012)
3. Navita Arora ,English Language Teaching, Approaches and Methodologies (Tata McGraw Hill Education Private Limited,New Delhi,2012)
4. Jameel Ahmad, Media Technology and English Language Teaching,(APH Publishing Corporation ,New Delhi,2013)
5. Manoj Dayal, "Universalisation of Education : Role of Media." University News, Vol. 46, No. 14, April 06-12 (2009),p. 13.
6. Bucherla Murahari, and V. Vijaya Kumar , "New Technologies for Teaching and Learning in the Information Age." University News, Vol. 46, No. 40, October 06 (2008),p. 2.

NATURAL DYE AND HEALTHY ENVIOURMENT AND HUMEN HEALTH.

Dr.Smriti Agarwal
Resarch Supervisor

Abstract:-

A Natural dye is not only free from this handicap, but assist the regeneration of the environment ,if plan was developed to cultivate these plant verities on commercial scale .Petrochemical the base on Synthetic dyes ,are limited are not destroyed like organic matter .While the vegetable dye are Biodegradable .At the sometime many natural elements like bark of free and plats ,leaves, flowers, seeds ,soil ,wood powder ,hide of animals fruits are available in India ,and are grown almost every season but a huge amount of unsold flower and material to make various colors ,the farmer's society and nation al can benefited . These Natural Resources can be used to extract dye which can be used as Natural dye for coloring Textile Fiber and residuals can be used as Bio-Fertilizer also. These natural dyes can be easily extracted and employed in dye sensitiosed Photo electrochemical cells .Practical application of natural dyes is more suitable to economically viable solar energy device for our society .and is cost effective, eco-friendly and renewable and has no side effect or allergic action on skin .Also non -hazardous and non -toxic 100%safe for men and the environment.

Introduction:- The important of color existed since primitive times in human society. Colors are important parts of our life .Colors are also called dyes in textile chemistry. In Textile coloration Industry, mainly these are two types of dyes Natural and Synthetic dyes. The production of Synthetic dyes involves much scientific reaction that was conducted. In the presence of excessive high temperature and pressure, using primary chemicals isolated from Petroleum derivatives and poisonous chemicals. During the manufacturing process , many carcinogenic chemical are used .Which are toxic and environment unfriendly by -product ,when these are discharge in the river ,Ponds .These elements emit smoke ,harmful gases inducing global climate changes. So due to the harmful drawbacks of synthetic and chemical dye on environment pollution ,number of counters have issued stricter regulation so as to preserve our environment .They may cause disorder like Allergic reaction on skin ,Trigger skin irritation and Breathing problems. "The Production Control Board" has become stricter on the implementation of pollution control acts. This has brought a lot of environmental pressure on the Textile Industries. Textile Industries have been forced to used Natural color .For this reason, now the interest of Natural dye stuffs has revived in India, Europe, Japan, and United state.

In India in different states, on different occasions and every day a huge amount of flowers, leaves ,plants, seeds ,wood powder are wasted .Survey report reveals that in India ,West Bengal is in forth position to cultivate flowers and different natural plants ,fruits etc. after Andhra Pradesh, Karnataka Tamilnadu.40%of the total product flower are wasted every day. These flower are thrown in water of rivers or any other places which create water pollution ,and they increased atmospheric Carbon dioxide, Chlorofluorocarbons (CFCS) ,Methane, Nitrous oxide ,Sculpture which then dissolved in water and atmosphere air and fall to the grounded as acid rain, Hazardous products and they caused increased skin ,heart ,liver ,mental, diseases and responsible for global warming.

These Natural Resources can be used to extract dye witch can be used as Natural dye for coloring Textile Fiber and residuals can be used as Bio-Fertilizer also. These natural dyes can be easily extracted and

employed in dye sensitized Photo electrochemical cells. Practical application of natural dye more suitable to economically viable solar energy device for our society, and is cost effective, eco-friendly and renewable and has no side effect and allergic action on skin. And also non-hazardous and non-toxic 100%safe for men and the environment.

A.KEY WORDS;- Plant dye (Natural dye.),Color ,Silk fabric, Tamarind leaves, Mordents ,Aluminum sulphates, Potassium Dichromate's, Optical density.

B-MATERIAL AND METHODS

TAMARINDS INDICA LINN.; It is a large evergreen tree, which is the member of the cassia subfamily of the legume (Fabaceae). Originally, from tropical Africa, it naturalized and cultivated throughout Madhy-pradesh in India. An infusion of the leaves yields a red dye and imparts a yellow shade to cloth already dyed with Indigo. The leaves, flowers and fruits contain a large proportion of acid and, are much employed as auxiliaries in dyeing, especially along with safflower .They act as mordents in silk dyeing.

COLLECTION AND PREPARATION OF MATERIAL:- Tamarind leaves were collected from Neemuch, M.P.; Plain weave silk fabric was selected for the experiment, because of its even dye uptake. Among the three methods of dye extraction - Boiling method, Acidic method, and alkalis method were used. After experimenting Boiling method was found to be the best. Forgetting optimum concentration of dye ,researcher experimented by using 4,6,8,10,and 12 grams of tamarind leaves separately .The leaves were boiled for 30,60,90,120,and for 150 minutes respectively. Boiling time of 60 minutes was found optimum for dye extraction .Than fine samples of silk material boiled in this extract for 15, 30, 45, 60, and 75 minutes separately, the optimum time of boiling for best result was 30 minutes.

TABLE 1 VARIOUS VARIABLE OPTIMUM DYE PROPORTION FOR DYEING OF SILK SAMPLES WITH TAMARINDUS LEAVES

S. No.	Dyeing Variables	Trial Proportion	Selected Proportion
1.	Extraction Method	Boiling, Acidic alkalis	Boiling Method
2-	Dye cons.	4,6,8,10,12 gm	10 gm
3-	Dye Extraction Time	30,60,90,120,150min.	60 min.
4.	Dying time	15,30,45,60,75 min.	30 min.

● **OPTIMUM CONCENTRATION OF MORDANTS**

In order to find out, optimum concentration of mordants.5 concentration of each mordant were used .One hundred, grams. Of silk samples were mordant under the concentration mentioned below, keeping factors constant e,i.weight of silk, volume of water, time of mordanting, and temperature. After that, the optimum mordant concentration was measured by optical density, and dye absorption percentage was calculated. Fresh samples were dye and dried in shadow. The concentrations of mordant taken was as follow; for Alum and alum potassium dicromate-5, 10, 15, 20,25gm.

Mordanting Variables / Alkalis	Trial Proportion	Final Selected proposition
Mordanting time	30,60,90,120,150min	30. Min
Alum	5,10,15,20,25gm	20 gm.
Alum Potassium Dichromate	5,10,15,20,25gm.	15 gm.
Optical density after Dyeing	70%,66.8%,58.75%	70%(Simultaneous) dyeing process

Conclusion:-

It found from the experimental study that, boiling method was best for dye extraction from Tamarind leaves for dyeing of silk fabric. It was also observed that percentage absorption of Tamarind Leaves dye

simultaneous mordanting method gave best (70%) absorption, and post-mordanting method was second best.

The Tamarind leaves dye extract gave best results with optimum Concentration of 10 gm , in 100 ml. of water per 100gm of silk sample. It found that the extraction of dye was maximum with 60 minutes boiling time. It was also observe that sample dyed for 30 minutes gave best result. It was observe, that 30 minutes of mordanting gave best results. The tamarind leave dye extract gave best color on 100 gm. of each silk sample by using 20 gm of aluminum sulphate; 15 gm of Potassium dichromate selected respectively. The Color obtained was shades of ochre, Yellow with the aluminum sulphate and, red, pink with the Aluminum potassium dichromate mordant's respectively.

COLOUR FASTNESS OF SILK SAMPLES TO WASHING IRONING AND DRY-CLEANING

The results of colorfastness test indicated that colorfastness to washing for all four (ocher,yellow,red,pink)colors was fair to good, the colorfastness to Ironing and dry-cleaning for all color was good to excellent.

Color fastness property	*Ocher*	*Yellow*	*Red*	*Pink*	*Result*
Washing	*3*	*4*	*3*	*4*	*Good to fair*
Ironing	*4*	*4*	*4*	*4*	*Good*
Dry-cleaning	*5*	*5*	*4*	*5*	*Excellent to good*

(Alum- Ochre, yellow Alum Potassium Dichromate –red, pink)

COLOUR FASTNESS OF SILK SAMPLES TO SUNLIGHT.

Days	*Fading with Ocher*	*Fading with Yellow*	*Fading with Red*	*Fading with Pink*
Monday	*5*	*5*	*4*	*5.7*
Tuesday	*4.7*	*4.7*	*4.9*	*4.5*
Wednesday	*4*	*4*	*3.9*	*4*
Tuesdays	*4*	*4*	*3.9*	*4*
Friday	*3.7*	*3.7*	*3.9*	*3.5*
Saturday	*3.5*	*3.5*	*3.9*	*3.5*
Sunday	*3*	*3*	*\3.5*	*3.5*

(Dye samples expose in sunlight 10am to 5 pm.)

When the samples were subjected to sunlight test, the results proved that all Colures had well to fair fastness .Sample were exposed to sunlight 10am to 5pm .

COST ESTIMATION OF DEVELOP COLOURS

The cost estimation of dyeing material was calculated for dyeing per 100 gm. Silk fabric material. Dyeing of silk fabric in yellow, Ochre was less expensive then Red and pink color due to the cost of Alum potassium dichromate.

Conclusion:-

Thus From the above findings, It Can be concluded that dyes extracted from Tamarind leave dye have a range of bright, soft, even and lustrous Colures. Tamarind dye can be used to dye silk yarn for weaving of silk saris, Apparel and dyers, and craft men to increase the color range to add verity to the products can use finishing material dye. This important advantage of this dyes is, it is applicability to small scale and cottage industries for this the high technology and machinery is not necessary and easy adaptability at the procedure is possible.

BIBLIOGRAPHY

1. Booth j.e. (1968) "Principle of textile testing"3rd edition, Publication Buherworth, London, p.290-340.
2. Joseph m. l. (1986)"Color development and introductory textile scince"5th edition, publication-Halt poinhart, USA, p 69-89
3. Jaycee and storey,(1974)"Dyeing Method "publication-themes and hudoon,London,pn-57-66.
4. Neharasampat.(2007)" Economic Boteny," 1st edition, Pointer Publisher's Jaipur, p-106-128.
5. PandeyB.P(1978)," Economic Boteny," 3rdedition, Publication, S.Chand&Company.

****

E-commerce In India - Present And Future With The Real Challenges

Dr. D.L. AHIR
Govt. College , Jawad

Dr. L.N. SHARMA
Govt. P.G. College , Neemuch

ASHISH SHARMA
R.R.M. College, Neemuch

E-Commerce In India

India has an internet user base of about 137 million as of June 2012. The penetration of e-commerce is low compared to markets like the United States and the United Kingdom but is growing at a much faster rate with a large number of new entrants. The industry consensus is that growth is at an inflection point with key drivers being:

- Increasing broadband Internet (growing at 20% MoM) and 3G penetration.
- Rising standards of living and a burgeoning, upwardly mobile middle class with high disposable incomes
- Availability of much wider product range (including long tail and Direct Imports) compared to what is available at brick and mortar retailers
- Busy lifestyles, urban traffic congestion and lack of time for offline shopping
- Lower prices compared to brick and mortar retail driven by disintermediation and reduced inventory and real estate costs
- Increased usage of online classified sites, with more consumer buying and selling second-hand goods
- Cash on Delivery as a preferred payment method. India has a vibrant cash economy as a result of which 80% of Indian e-commerce tends to be Cash On Delivery
- Evolution of the online marketplace model with sites.

Concept Of E-Commerce

Electronic commerce or e-commerce consists primarily of the distributing, buying, selling, marketing, and servicing of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks. The information technology industry might see it as an electronic business application aimed at commercial transactions. It can involve electronic funds transfer, supply chain management, e-marketing, online marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), automated inventory management systems, and automated data collection systems. It typically uses electronic communications technology such as the Internet, extranets, email, e-books, databases, and mobile phones.

In last two years many e-commerce websites have mushroomed online and giving tough competition to one another with striking deals like free shipping, coupons, free gifts, easy return policy, and many more. As per Alexa.com:-Flipkart.com, EBay. in, Snapdeal.com, Jabong.com , Home Shop18.com, Yebhi.com, Myntra.com, Naaptol.com, Tradus.com, yatra.com, makemytrip.com and Fashionandyou.com are the top e-commerce websites in India. These Indian E-commerce portals provide goods and services in a variety of categories. To name a few:

1. Apparel and accessories for men and women
2. Health and beauty products
3. Books and magazines
4. Computers and peripherals
5. Vehicles
6. Collectibles
7. Software
8. Consumer electronics
9. Household appliances
10. Jewelry

11. Audio/video entertainment goods
12. Gift articles
13. Real estate and services
14. Business opportunities
15. Employment
16. Travel tickets
17. Matrimony
18. Pets…and more.

E-Commerce Market Size And Growth In India

India's e-commerce market was worth about $2.5 billion in 2009, it went up to $6.3 billion in 2011 and to $14 billion in 2012. About 75% of this is travel related (airline tickets, railway tickets, hotel bookings, online mobile recharge etc.). Online Retailing comprises about 12.5% ($300 Million as of 2009). India has close to 10 million online shoppers and is growing at an estimated 30% CAGR vis-à-vis a global growth rate of 8-10%. Electronics and Apparel are the biggest categories in terms of sales.

Ecommerce in India- Statistics, Trends & Insights

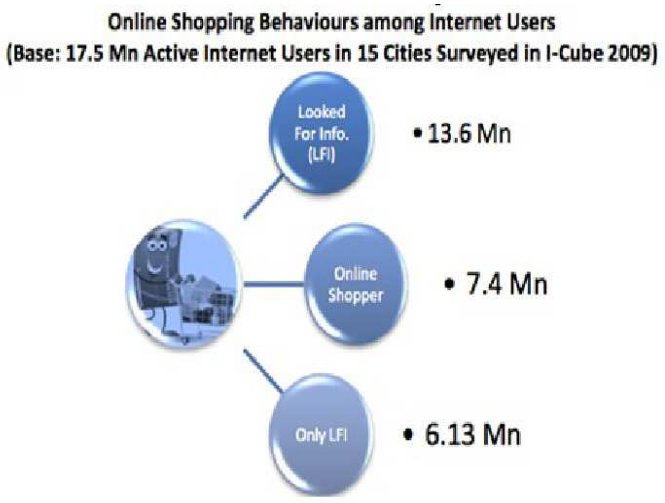

According to a report released by IMRB and IAMAI, the e-commerce market in India is expected to be a 31,598 crore valuation by end of 2010. A growth of almost 4 times of the market size back in 2007, the e-commerce industry is picking on the trend of the increasing number of Internet subscribers in India. Clearly the growth in the e-commerce industry has been tremendous with a larger audience accepting the ease of online payments.

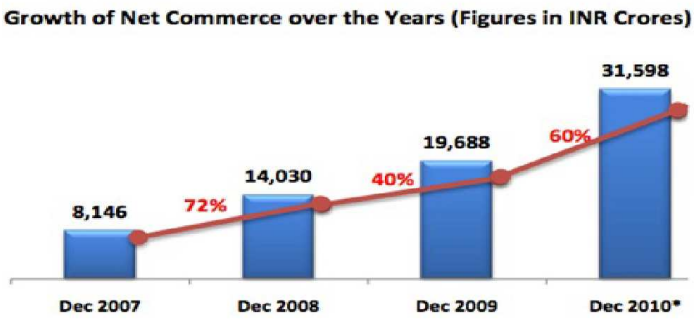

The e-commerce market is projected to grow to 46,520 crore by 2011, which then will be a 400% growth in the last 5 years. What is more interesting is the breakup of the market, which is primarily skewed towards the online travel industry.

The Enclosed chart lays out the market size and breakup of the e-commerce industry in India from 2007 to 2010. **(See Chart Backside)**

The above figure clearly states that the online travel industry accounted for 76% of the total e-commerce market in India in 2009. Although skewed since 2007, the non-travel industry is slowly capturing the market share percent by percent. The study states that e-Tailing is one the primary growth drivers and will remain so in the near future too.

The growth in the e-commerce sales is a clear indicator of the growing number of people using Internet to make purchases. But again, the online purchases are limited to a certain category of buying like travel purchases, electronic items, online classifieds, buying movie tickets, food delivery, gaming subscriptions, etc.

Inspite of such growth in the industry, not many people amongst the total online audience is making online purchases as of now. The trend of hunting for information online and then being followed by a physical purchase is still prevalent.

According to I Cube 2009, 13.6 million Internet users looked for information (LFI) while planning a purchase online. Of these, only 7.47 million actually purchased a product online. Thus only 50% of the users who look for information online end up buying too.

Major Challenges Faced By Ecommerce Industry In India

- **Poor Knowledge and Awareness:** When it

comes to ratio of internet consumers, scenario is not so admirable one. Majority of Indian rural population are unaware of internet and it uses. Surprisingly, most of internet savvies or urban population are also suffering from poor knowledge on online business and its functionalities. Very few are aware of the online corruption and fraud and thus darkness still exists. A reliable survey reveals that 50% of Indian online users are unaware of the solution of online security.

- **Online Transaction**: Most of Indian customers do not possess plastic money, credit card, debit card and net banking system, which is one of the prime reasons to curtail the growth of ecommerce. Nevertheless, in recent years, some of the nationalized banks have started to issue debit cards to all its account holders. This is undoubtedly a positive sign for Indian online entrepreneurs.

- **Cash On Delivery:** Cash on Delivery (COD) has evolved out of less penetration of credit card in India. Most of Indian E-commerce companies are offering COD as one of mode of payment for the buyers. 30%-50% of buyers are also taking advantage of this mode of payment while making purchase of any product and service over internet. COD has been introduced to counter the payment security issues of online transaction, but this mode has been proving to be loss and expensive to the companies. It is seen that majority of the customers denied to make the payment at the time of delivery of the product. Hence, companies tend to lose the sale along with product transit fees. In order to curb the problem of COD, online companies should take some judicial steps; otherwise basic logic behind the ecommerce business will be at risk.

- **Online Security** : In case of start up and small business, Business owners are ignoring the importance of authentic software due to budget constraints. They are even failing to take the initial steps to secure and protect their online business through installation of authentic protection services like antivirus and firewall protection, which indeed a crucial step for successful online business players. In India, maximum number of business entrepreneurs used unauthorized software in their server, which usually does not come with upgraded online security. Such pirated software leaves room for virus, malwares and Trojan attacks and it is highly risky task to make online transactions in the systems, which may disclose or leak sensitive details of credit cards and online banking of the users. These kinds of droopiness should be banned in Indian ecommerce sectors. Affiliation to SSL certificate should be imposed as a mandatory action for every owner.

- **Logistics and Shipment Services:** In India, logistics and courier services required lots of improvement. While, perfect and strong logistics service is one of the key reasons behind the success of any online company, India is lagging far behind in this sector as most of the town and small villages are still not covered under serviceable area of many of the courier and logistic companies. Ecommerce is hampered in a big way owing to the limited services offered by the courier service companies.

- **Tax Structure:** Tax rate system of Indian market is another factor for lesser growth rate of ecommerce in India in comparison to other developed countries like USA and UK. In those countries, tax rate is uniform for all sectors whereas tax structure of India varies from sector to sector. This factor creates accounting problems for the Indian online business companies.

- **Fear factor:** Fear of making online payment is a universal psychological factor of Indian customers. With the spread of knowledge on online transactions and its reliability, some percentages of customers have overlooked this fear and they are fearlessly engaging themselves in online shopping. But still, majority of customers are not aware of online transactions and its security. They often reluctant to disclose their credit card and bank details and preferred to stay away from online world of shopping.

- **'Touch and Feel' factors:** Indian customers are more comfortable in buying products physically. They tend to choose the product by touching the product directly. Thereby, Indian buyers are more inclined to do ticketing and booking online in Travel sectors, books

and electronics. Companies dealing with products like apparel, handicrafts, jewelry have to face challenges to sell their products as the buyers want to see and touch before they buy these stuffs.

Conclusion

The e-commerce is one of the biggest thing that has taken the business by a storm. It is creating an entire new economy, which has a huge potential and is fundamentally changing the way businesses are done. It has advantages for both buyers as well as sellers and this win-win situation is at the core of its phenomenal rise. Though there are some weak links, with improvements in technology, they will be ironed out, making the e-commerce easy, convenient and secure. The ecommerce is certainly here to stay.

REFERENCES:-

1. www.wikipedia .com and www.Google.com
2. Emerging Trend Of E-Commerce In India - Dr. S. Sudalaimuthu And J Lilly (Department Of Commerce Department Of Commerce Bharathiar University Bharathiar University Coimbatore)
3. Trends In India's Ecommerce Market -By Zia Daniell Wigder And Manish Bahl.

Net Commerce Market Size from 2007 to 2011
(Figures in Crores. Percentages indicate share of the overall market size)

Year	Dec 2007	Dec 2008	Dec 2009	Dec 2010+
Total Market Size	8,146	14,030	19,688	31,598
Online Travel Industry	6,250 (77%)	10,500 (75%)	14,953 (76%)	25,258 (80%)
Online Non-Travel Industry	1,896 (23%)	3,530 (25%)	4,735 (24%)	6,340 (20%)
- eTailing	*978*	*1,120*	*1,550*	*2,050*
- Digital Downloads or Paid Content Subscription	*238*	*290*	*435*	*680*
- Financial Services *		*1,200*	*1,540*	*2,000*
- Other Online Services (incl. Online Classifieds)	*680*	*920*	*1,210*	*1,610*

*: Financial Services were not calculated in the years prior to 2008. +: Estimated Figures

Net Commerce Market Size from 2007 to 2011
(Figures in Crores. Percentages indicate share of the overall market size)

Year	Dec 2007	Dec 2008	Dec 2009	Dec 2010+
Total Market Size	8,146	14,030	19,688	31,598
Online Travel Industry	6,250 (77%)	10,500 (75%)	14,953 (76%)	25,258 (80%)
Online Non-Travel Industry	1,896 (23%)	3,530 (25%)	4,735 (24%)	6,340 (20%)
- eTailing	*978*	*1,120*	*1,550*	*2,050*
- Digital Downloads or Paid Content Subscription	*238*	*290*	*435*	*680*
- Financial Services *		*1,200*	*1,540*	*2,000*
- Other Online Services (incl. Online Classifieds)	*680*	*920*	*1,210*	*1,610*

*: Financial Services were not calculated in the years prior to 2008. +: Estimated Figures

Green Marketing - New Initiatives With Challenges

Dr. G.K. Kumawa
Govt. College, Manasa (M.P.)

INTRODUCTION

According to the American Marketing Association, green marketing is the marketing of products that are presumed to be environmentally safe. Thus green marketing incorporates a broad range of activities, including product modification, changes to the production process, packaging changes, as well as modifying advertising. Yet defining green marketing is not a simple task where several meanings intersect and contradict each other; an example of this will be the existence of varying social, environmental and retail definitions attached to this term. Other similar terms used are Environmental Marketing and Ecological Marketing. Thus "Green Marketing" refers to holistic marketing concept wherein the production, marketing consumption an disposal of products and services happen in a manner that is less detrimental to the environment with growing awareness about the implications of global warming, non-biodegradable solid waste, harmful impact of pollutants etc., both marketers and consumers are becoming increasingly sensitive to the need for switch in to green products and services. While the shift to "green" may appear to be expensive in the short term, it will definitely

prove to be indispensable and advantageous, cost-wise too, in the long run.

Why Green Marketing?

It is really scary to read these pieces of information as reported in the Times recently: "Air pollution damage to people, crops and wildlife in the US totals tens of billions of dollars each year". "More than 12 other studies in the US, Brazil Europe , Mexico , South Korea and Taiwan have established links between air pollutants and low birth weight premature birth still

birth and infant death".

As resources are limited and human wants are unlimited, it is important for the marketers to utilize the resources efficiently without waste as well as to achieve the organization's

objective. So green marketing is inevitable.

There is growing interest among the consumers all over the world regarding protection of environment. Worldwide evidence indicates people are concerned about the environment and are changing their behavior. As a result of this, green marketing has emerged which speaks for growing market for sustainable and socially responsible products and services.

Thus the growing awareness among the consumers all over the world regarding protection of the environment in which they live, People do want to bequeath a clean earth to their offspring. Various studies by environmentalists indicate that people are concerned about the environment and are changing their behavior pattern so as to be less hostile towards it. Now we see that most of the consumers, both individual and industrial, are becoming more concerned about environment-friendly products. Most of them feel that environment-friendly products are safe to use. As a result, green marketing has emerged, which aims at marketing sustainable and socially-responsible products and services. Now is the era of recyclable, non-toxic and environment-friendly goods. This has become the new mantra for marketers to satisfy the needs of consumers and earn better profits.

Green marketing is the process of developing products and services and promoting them to satisfy the customers who prefer products of good quality, performance and convenience at affordable cost, which at the same time do not have a detrimental impact on the environment. It includes a broad range of activities like product modification, changing the production process, modified advertising, change in packaging, etc., aimed at reducing the detrimental impact of products and their consumption and disposal on the environment. Companies all over the world are striving to reduce the impact of products and services

on the climate and other environmental parameters. Marketers are taking the cue and are going green.

Green marketing was given prominence in the late 1980s and 1990s after the proceedings of the first workshop on Ecological marketing held in Austin, Texas (US), in 1975. Several books on green marketing began to be published thereafter. According to the Joel makeover (a writer, speaker and strategist on clean technology and green marketing), green marketing faces a lot of challenges because of lack of standards and public consensus to what constitutes "Green". The green marketing has evolved over a period of time. According to Peattie (2001), the evolution of green marketing has three phases. First phase was termed as "Ecological" green marketing, and during this period all marketing activities were concerned to help environment problems and provide remedies for environmental problems. Second phase was "Environmental" green marketing and the focus shifted on clean technology that involved designing of innovative new products, which take care of pollution and waste issues. Third phase was "Sustainable" green marketing. It came into prominence in the late 1990s and early 2000.

Green marketing is a vital constituent of the holistic marketing concept. It is particularly applicable to businesses that are directly dependent on the physical environment; for example, industries like fishing, processed foods, tourism and adventure sports. Changes in the physical environment may pose a threat to such industries. Many global players in diverse businesses are now successfully implementing green marketing practices.

MARKETING MIX OF GREEN MARKETING

When companies come up with new innovations like eco friendly products, they can access new markets, enhance their market shares, and increase profits. Just as we have 4Ps product prices, place and promotion in marketing, we have 4ps in green marketing too, but they are a bit different. They are buttressed by three additional Ps, namely people, planet and profits.

A. PRODUCT:

The products have to be developed depending on the needs of the customers who prefer environment friendly products. Products can be made from recycled materials or from used goods. Efficient products not only save water, energy and money, but also reduce harmful effects on the environment. Green chemistry forms the growing focus of product development. The marketer's role in product management includes providing product designers with market-driven trends and customer requests for green product attributes such as energy saving, organic, green chemicals, local sourcing, etc., For example, Nike is the first among the shoe companies to market itself as green. It is marketing its Air Jordan shoes as environment-friendly, as it has significantly reduced the usage of harmful glue adhesives. It has designed this variety of shoes to emphasize that it has reduced wastage and used environment-friendly materials.

B. PRICE

Green pricing takes into consideration the people, planet and profit in a way that takes care of the health of employees and communities and ensures efficient productivity. Value can be added to it by changing its appearance, functionality and through customization, etc. Wal Mart unveiled its first recyclable cloth shopping bag. IKEA started charging consumers when they opted for plastic bags and encouraged people to shop using its "Big Blue Bag".

C. PLACE

Green place is about managing logistics to cut down on transportation emissions, thereby in effect aiming at reducing the carbon footprint. For example, instead of marketing an imported mango juice in India it can be licensed for local production. This avoids shipping of the product from far away, thus reducing shipping cost and more importantly, the consequent carbon emission by the ships and other modes of transport.

D. PROMOTION

Green promotion involves configuring the tools of promotion, such as advertising, marketing materials, signage, white papers, web sites, videos and presentations by keeping people, planet and profits in mind. British petroleum (BP) displays gas station which its sunflower motif and boasts of putting money into solar power. Indian Tobacco Company has introduced environmental-friendly papers and boards, which are free of elemental chlorine. Toyota is trying to push gas/ electric hybrid technology into much of its product line.

It is also making the single largest R&D investment in the every-elusive hydrogen car and promoting itself as the first eco-friendly car company. International business machines Corporation (IBM) has revealed a portfolio of green retail store technologies and services to help retailers improve energy efficiency in their IT operations. The center piece of this portfolio is the IBM SurePOS 700, a point-of-sale system that, according to IBM, reduces power consumption by 36% or more. We even see the names of retail outlets like "Reliance Fresh", Fresh Namdhari Fresh and Desi, which while selling fresh vegetables and fruits, transmit an innate communication of green marketing.

Green marketer can attract customers on the basis of performance, money savings, health and convenience, or just plain environmental friendliness, so as to target a wide range of green consumers.

Consumer awareness can be created by spreading the message among consumers about the benefits of environmental-friendly products. Positing of profiles related to green marketing on social networks creates awareness within and across online peer groups. Marketing can also directly target the consumers through advertisements for product such as energy saving compact fluorescent lamps, the battery â•œpowered Reva car, etc.

WHY IS GREEN MARKETING CHOSEN BY MOST MARKETERS?

Most of the companies are venturing into green marketing because of the following reasons:

a. Opportunity

In India, around 25% of the consumers prefer environmental-friendly products, and around 28% may be considered healthy conscious. Therefore, green marketers have diverse and fairly sizeable segments to cater to. The Surf Excel detergent which saves water and the energy-saving LG consumers durables are examples of green marketing. We also have green buildings which are efficient in their use of energy, water and construction materials, and which reduce the impact on human health and the environment through better design, construction, operation, maintenance and waste disposal. In India, the green building movement, spearheaded by the Confederation of Indian industry (CII) - Godrej Green business Center, has gained tremendous impetus over the last few years. From 20,000 sq ft in 2003, India's green building footprint is now over 25 million sq ft.

b. Social Responsibility

Many companies have started realizing that they must behave in an environment-friendly fashion. They believe both in achieving environmental objectives as well as profit related objectives. The HSBC became the world's first bank to go carbon-neutral last year. Other examples include Coca-Cola, which has invested in various recycling activities. Walt Disney World in Florida, US, has an extensive waste management program and infrastructure in place.

c. Governmental Pressure

Various regulations rare framed by the government to protect consumers and the society at large. The Indian government too has developed a framework of legislations to reduce the production of harmful goods and by products. These reduce the industry's production and consumers' consumption of harmful goods, including those detrimental to the environment; for example, the ban of plastic bags in Mumbai, prohibition of smoking in public areas, etc.

d. Competitive Pressure

Many companies take up green marketing to maintain their competitive edge. The green marketing initiatives by niche companies such as Body Shop and Green & Black have prompted many mainline competitors to follow suit.

e. Cost Reduction

Reduction of harmful waste may lead to substantial cost savings. Sometimes, many firms develop symbiotic relationship whereby the waste generated by one company is used by another as a cost-effective raw material. For example, the fly ash generated by thermal power plants, which would otherwise contributed to a gigantic quantum of solid waste, is used to manufacture fly ash bricks for construction purposes.

BENEFITS OF GREEN MARKETING

Today's consumers are becoming more and more conscious about the environment and are also becoming socially responsible. Therefore, more companies are responsible to consumers' aspirations for environmentally less damaging or neutral products.

Many companies want to have an early-mover advantage as they have to eventually move towards becoming green. Some of the advantages of green marketing are,

- It ensures sustained long-term growth along with profitability.
- It saves money in the long run, thought initially the cost is more.
- It helps companies market their products and services keeping the environment aspects in mind. It helps in accessing the new markets and enjoying competitive advantage.
- Most of the employees also feel proud and responsible to be working for an environmentally responsible company.

PROBLEMS OF GREEN MARKETING

Many organizations want to turn green, as an increasing number of consumers' ant to associate themselves with environmental-friendly products. Alongside, one also witnesses confusion among the consumers regarding the products. In particular, one often finds distrust regarding the credibility of green products. Therefore, to ensure consumer confidence, marketers of green products need to be much more transparent, and refrain from breaching any law or standards relating to products or business practices.

PATHS TO GREENNESS

Green marketing involves focusing on promoting the consumption of green products. Therefore, it becomes the responsibility of the companies to adopt creativity and insight, and be committed to the development of environment-friendly products. This will help the society in the long run. Companies which embark on green marketing should adopt the following principles in their path towards "greenness."

- Adopt new technology/process or modify existing technology/process so as to reduce environmental impact.
- Establish a management and control system that will lead to the adherence of stringent environmental safety norms.
- Using more environment-friendly raw materials at the production stage itself.
- Explore possibilities of recycling of the used products so that it can be used to offer similar or other benefits with less wastage.

Marketing Strategies

The marketing strategies for green marketing include:-

* Marketing Audit (including internal and external situation analysis)

* Develop a marketing plan outlining strategies with regard to 4 P's

* Implement marketing strategies

* Plan results evaluation

CONCLUSION

A clever marketer is one who not only convinces the consumer, but also involves the consumer in marketing his product. Green marketing should not be considered as just one more approach to marketing, but has to be pursued with much greater vigor, as it has an environmental and social dimension to it. With the threat of global warming looming large, it is extremely important that green marketing becomes the norm rather than an exception or just a fad. Recycling of paper, metals, plastics, etc., in a safe and environmentally harmless manner should become much more systematized and universal. It has to become the general norm to use energy-efficient lamps and other electrical goods.

Marketers also have the responsibility to make the consumers understand the need for and benefits of green products as compared to non-green ones. In green marketing, consumers are willing to pay more to maintain a cleaner and greener environment. Finally, consumers, industrial buyers and suppliers need to pressurize effects on minimize the negative effects on the environment-friendly. Green marketing assumes even more importance and relevance in developing countries like India.

REFERENCES:-

1. www.wikipedia .com and www.google.com
2. green marketing in india pavan mishra* & payal sharma**
3. green marketing by susan ward, about.com guide
4. jacquelyn ottman on www.greenmarketing.com
5. green marketing in india- mrs. r. sudha ,coimbatore
6. www.greenmarketing.net/stratergic.html
7. www.epa.qld.gov.au/sustainable_ industries

THE ROLE OF MARKETING INFORMATION SYSTEM IN RECENT MARKETING MANAGEMENT

Dr. V.K. Jain
Govt. P.G. College , Neemuch (M.P.)

Dr. Anil Jain
Govt. College, Manasa (M.P.)

INTRODUCTION

Marketing information is the lifeblood of marketing process, marketing decision won't be taken in the absence of marketing information. Marketing decisions are affected by many internal and external environmental variables, so the marketing decision maker needs a great deal of information related to these variables, to find out and determine the nature of the markets and their trends, needs and changes that occur in these markets, as well as trying to know the competitors, prices, options and other marketing information which is the key to success for any marketing decision.

The components of marketing information system (internal records, marketing research, and marketing intelligence) are the most important sources in obtaining marketing information.

The responses on marketing information system (MKIS) by the managers was immediate, enthusiastic, and widespread, especially in the large firms such as the Fortune 500, where most of the data processing problems had been solved. For some reason that is still unclear, marketing academicians chose to specially tailor the MIS concept to the marketing function of the firm.

These efforts were labeled the marketing information system (MKIS). By 1970, the structure of such systems had been documented in the literature from various perspectives. But as the marketers increased their interest level, a strange thing happened. The rest of the functional areas became disenchanted with the information system concept, primarily because of difficulties encountered in implementing it, and a new application, called the decision support system (DSS), captured the attention of managers and computer scientists alike. Although there are several distinctions between the MIS and DSS concepts, a key feature of the DSS has been its aim at information needs of specific managers rather than entire organizational units or subunits. Perhaps because of this more specific focus, the DSS concept escaped the criticisms that had marked the early MIS efforts, and has endured as the primary computer based application for management support during the 1970s and 1980s.

The marketers followed the other functional areas in jumping on the DSS bandwagon, but never gave up on the idea of an information system dedicated to their own needs. The MKIS continues to receive attention from academicians, computer scientists, and marketing managers in spite of attention being directed at other, more recent applications such as artificial intelligence and office automation.

Will this interest persist? One approach to answering this question is to trace the trends that have characterized the MKIS as it evolved, identify the current and expected influences on computer use in the firm, and project whether the trends are strong enough to withstand the influences. Several previous studies have followed this approach to project the trends in the 1970s and 1980s. Following these studies, the authors set out to survey the use of MKIS in Fortune 500 firms. The results from this study along with those from the previous studies provide a basis for projecting the future of MKIS in the 1990s.

"A Marketing Information System (MIS) is a continuing and interacting structure of people, equipment and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute pertinent, timely and accurate information for

use by marketing decision makers to improve their marketing planning, implementation, and control".

A marketing information system can be used operationally, managerially, and strategically for several aspects of marketing.

The total information needs of the marketing department can be specified and satisfied via a marketing intelligence network, which contains three components.

1. Continuous monitoring is the procedure by which the changing environment is regularly viewed.
2. Marketing research is used to obtain information on particular marketing issues.
3. Data warehousing involves the retention of all types of relevant company records, as well as the information collected through continuous monitoring and marketing research that is kept by the organization.

Depending on a firm's resources and the complexity of its needs, a marketing intelligence network may or may not be fully computerized. The ingredients for a good MIS are consistency, completeness, and orderliness. Marketing plans should be implemented on the basis of information obtained from the intelligence network.

An Marketing Information System offers many advantages:

1. Organized data collection.
2. A broad perspective.
3. The storage of important data.
4. An avoidance of crises.
5. Coordinated marketing plans.
6. Speed in obtaining sufficient information to make decisions.
7. Data amassed and kept over several time periods.
8. The ability to do a cost-benefit analysis.

The disadvantages of a Marketing information system are high initial time and labor costs and the complexity of setting up an information system. Marketers often complain that they lack enough marketing information or the right kind, or have too much of the wrong kind. The solution is an effective Marketing Information System.

The Information Needed By Marketing Managers Comes From Three Main Sources:

1) **Internal company information -** E.g. sales, orders, customer profiles, stocks, customer service reports etc.

2) **Marketing intelligence -** This can be information gathered from many sources, including suppliers, customers, and distributors. Marketing intelligence is a catchall term to include all the everyday information about developments in the market that helps a business prepare and adjust its marketing plans. It is possible to buy intelligence information from outside suppliers (e.g. IDC, ORG, MARG) who set up data gathering systems to support commercial intelligence products that can be profitably sold to all players in a market.

(3) Market research - Management cannot always wait for information to arrive in bits and pieces from internal sources. Also, sources of market intelligence cannot always be relied upon to provide relevant or up-to-date information (particularly for smaller or niche market segments). In such circumstances, businesses often need to undertake specific studies to support their marketing strategy - this is market research. **(See market research chart backside)**

The MKIS Model

In retrospect, the very first descriptive model of MKIS proposed almost thirty years ago may be attributed to Philip Kotler. Since then, many more models have been proposed, however there is none that is widely accepted in industry. In fact, an MKIS is like a decision support system (DSS): it is generally unique to the company it serves. For the purpose of this study, we adapted the MKIS model of McLeod and Rogers as shown in Figure 1. In this, there are two general

subsystems which are fairly consistent with the others: they are the input and output subsystems. The input subsystems are internal accounting, marketing intelligence, and marketing research. They gather internal and environmental data for the databases. The output subsystems utilize the databases to produce marketing management information.

Marketing managers will not only receive routine reports, they can also inquire interactively to produce ad hoc reports. Through this information, marketing managers can make their decisions on pricing, products, advertising/promotion, distribution, and packaging, under the constraints imposed by economics, the government, competitors, and the customer needs. This process should be integrated into organizational strategies and decision-making processes to support all levels of marketing functions - planning, organizing, staffing, directing, and controlling.

Some Of The Areas Of Applications Of MIS In Marketing Are As Given Below:

- Order Processing System: Computerized order processing system captures sales orders from customers and processes the orders for further action. It checks the inventory availability, pending orders, production details etc., before accepting the customer order. Computerized sales order processing generates control report daily on orders processed, details of back orders, etc.
- Sales Management System: Computerized sales management system uses the data from sales order processing system to generate various sales related reports. This system supports accounts management, direct marketing, sales forecasting and sales Presentations.
- Logistics Management: The physical distribution is a major activity of marketing function. It uses computer based OR models to find optimum location of warehouses, shipment routes, quantity to be transported and stocked etc.
- Consumer Research: Computerized transaction processing systems capture huge quantity of data about customers and their buying patterns etc. It is used to generate vital information about consumer behavior.
- Sales Forecasting: Computer based mathematical and operations research models are used to forecast sales and marketing expenses.

Marketing information systems are intended to support management decision making. Management has five distinct functions and each requires support from an MIS. These are: planning, organizing, coordinating, decisions and controlling.

Information systems have to be designed to meet the way in which managers tend to work. Research suggests that a manager continually addresses a large variety of tasks and is able to spend relatively brief periods on each of these. Given the nature of the work, managers tend to rely upon information that is timely and verbal (because this can be assimilated quickly), even if this is likely to be less accurate then more formal and complex information systems.

Summary

Marketing information systems are intended to support management decision making. Management has five distinct functions and each requires support from an MIS. These are: planning, organising, coordinating, decisions and controlling.

Information systems have to be designed to meet the way in which managers tend to work. Research suggests that a manager continually addresses a large variety of tasks and is able to spend relatively brief periods on each of these. Given the nature of the work, managers tend to rely upon information that is timely and verbal (because this can be assimilated quickly), even if this is likely to be less accurate then more formal and complex information systems.

Managers play at least three separate roles: interpersonal, informational and decisional. MIS, in electronic form or otherwise, can support these roles

in varying degrees. MIS has less to contribute in the case of a manager's informational role than for the other two.

Three levels of decision making can be distinguished from one another: strategic, control (or tactical) and operational. Again, MIS has to support each level. Strategic decisions are characteristically one-off situations. Strategic decisions have implications for changing the structure of an organisation and therefore the MIS must provide information which is precise and accurate. Control decisions deal with broad policy issues and operational decisions concern the management of the organisation's marketing mix.

A marketing information system has four components: the internal reporting system, the marketing research systems, the marketing intelligence system and marketing models. Internal reports include orders received, inventory records and sales invoices. Marketing research takes the form of purposeful studies either ad hoc or continuous. By contrast, marketing intelligence is less specific in its purposes, is chiefly carried out in an informal manner and by managers themselves rather than by professional marketing researchers.

Key words:

marketing information system, internal company information, market research, marketing intelligence, marketing decision-making, marketing strategy.

REFERENCES:-

1. www.wikipedia .com and www.Google.com
2. Marketing Information System In Marketing Decision-Making in Jordanian Shareholding Medicines Production Companies - Dr. Sultan 'Mohammadsaid' Sultan Freihat Assistant Professor of Marketing-Al Isra University-Amman-Jordan
3. Marketing Information Systems in the Top U.S. Companies: A Longitudinal Analysis - Eldon Y. Li Graduate Institute of Information Management, National Chung Cheng University 160, San-Hsing, Ming-Hsiung, Chia-Yi 621, Taiwan, R.O.C. and College of Business, California Polytechnic State University San Luis Obispo, California 93407.

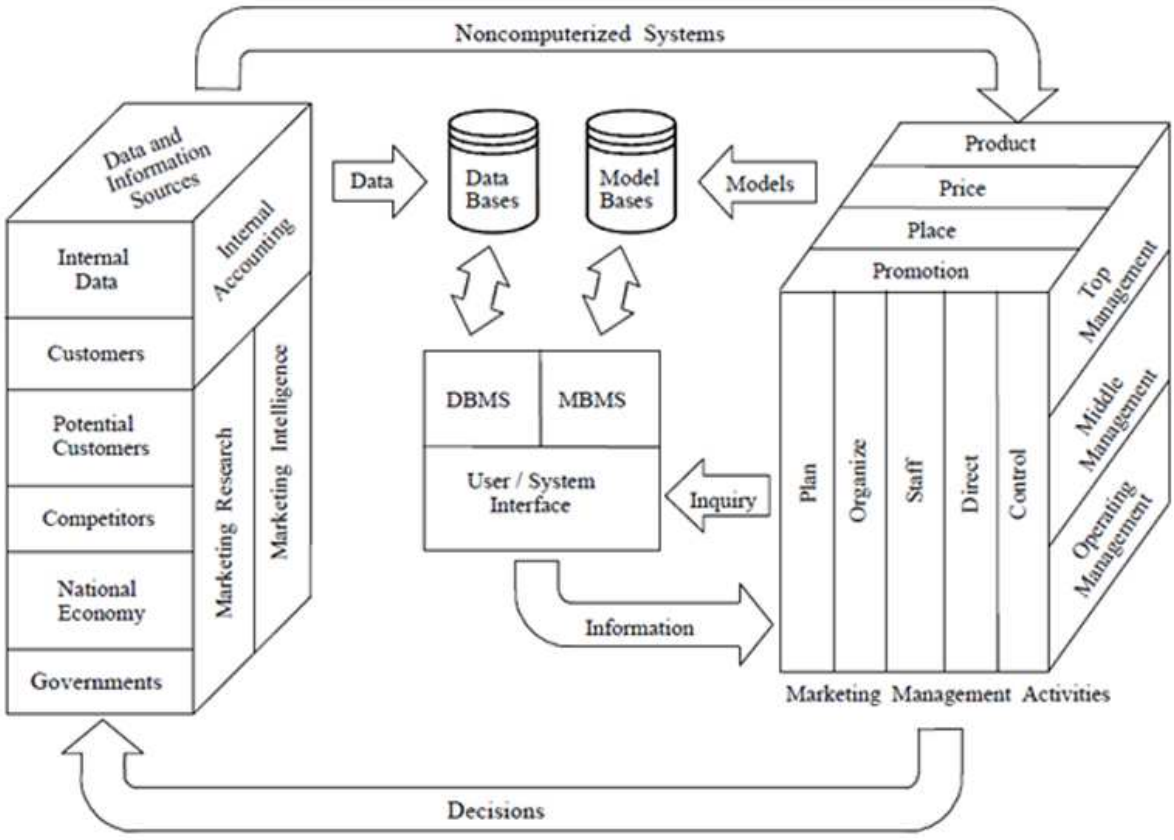

Figure 1. Framework of a Marketing Information System

The Impact of Modern living and technology on Daily life and Human Health.

Dr. Smriti Agarwal
Resarch Supervisor

Abstract:-

Modern living impacts us in many ways, destroying of moral values, Health aspects, physical, mental, moral developments, environment and cultural values. In my views, people are becoming more Technologically advanced but some disadvantages that are because of pollution ,pollution is increasing adversely, global worming, people are suffering from a lot of diseases, especially are respiratory diseases, heart diseases, skin etc. There is Increase high-level of stresses in daily life living. Mobile phone cause harm to human brain activity .

Researchers found that human brain is sensitive to the magnetic field of the phones antenna .They found that the brain activity was affected after the use of mobile phone. And although there are clear and calculated implications that this may have for health, study shows definitively that exposure to electromagnetic radiation emitted by mobile phones have direct and measurable effect on the brain.

So from this study we can come to a conclusion that, modern living, modernisation , westnigation, and high technological development has made the people of our country unhealthy, weak destroying of moral values and disease prone.

Key words:- Modernisation Bisophenol A(BPA), Radiation, Abnormalities, Heart Disease. Materialistic.

Modern living and technologies influence us in many ways; these are both advantages and disadvantages. Advantages are modern life ,people are becoming more technologically advanced and they can come to know about many things which they didn't know before advancement some disadvantages are there because of pollution ,global warming ,people are suffering from a lot of diseases such as -heart disease, high cholesterol, brain cancer ,asthma, allergy etc.

The present day generation like buying vehicles, the vehicles pollute the air and are dangerous for the environment and human health. Exhaust fumes contain dangerous molecules that threaten human health ,such as carbon monoxide ,which impairs oxygen flow to the brain, and sulphur oxides ,which can cause respiratory illnesses ,The increase global warming produces nitrogen oxide, which can cause acid rain ,and ozone also increase noise pollution ,air pollution, or worsen other existing conditions causing chest congestion and brevities.

Next to emphasis is consumption of drugs, alcoholic beverages ,celebrations, eating more fast food in open garden ,hotels are also prevalent in modern living ,reducing health awareness and sociocultural values of Indians.

The National Institute of health in the United States keep dictating that the mobile phones, plastic bottles, computer use amplified brain activity is more than earlier investigated, reason remains the various innovations in the technology driven world.

India is a land of various cultures, traditions, religious and art, live together. Indian society is considered as one of the most cultured in the world. Impacts of westernisation can be seen in the changing life styles of Indians. Well, this is no harm in adopting lifestyles from other culture but forgetting our own moral values is something wrong and could have a negative impact in the long run.

When the people of the society get enhance and advanced in all aspects like education ,relationship, attitude ,thinking ,clothing, food, media, fashion, everything seem to have got affected by the advent of western culture. West irrigation has promoted the

single families .marriages is breaking up at a fast rate. Even the teenager's tent to have pre marital sex, they believe to choose their own life partners rather going with parent's choice.

Modern living has mainly affected physical, mental, moral environmental and health aspects. In the year 2009-2010 when we randomly surveyed on fifty families, of Gujarat and madhya-predesh.

Physical	Mental	Moral	Environmental	Healthiness
40%	78%	98%	60%	80%

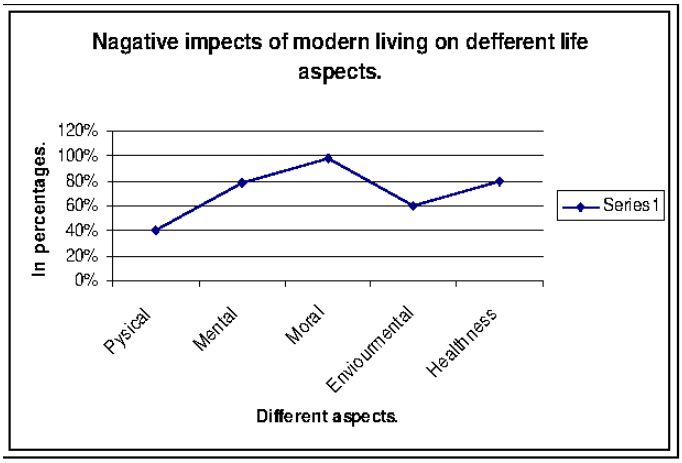

On the effects of five aspects ,physical ,mental, moral, environmental and health aspects the result found were shocking which proved the effects of modernisation and westernisation increase which dominate ,the different negative effects on different life aspects of Indian families.

The study will be presented - American Heart Association scientific session 2010 in Chicago- The majority of people who adopted healthy lifestyles behaviours in young adulthood maintained a low cardiovascular risk profile in middle age .cardiovascular risk health is due primarily to lifestyle factors (modernisation ,westernisation ,technological) and healthy behaviour, not heredity. The five healthy lifestyles ignore Indian people not smoking an alcohol intake, weight control, physic al activity and a healthy diet, by the age of as low as 25-30 years.

Due to the modernisation there are different types of advanced medicines, and treatments develop for pregnancy test and saves many foetus from the hands of death, but some time in this stage the unborn baby faces many threats from the radiation received by the mother during pregnancy,in most cases foetuses exposed to excessive radiation tend to be born with abnormities .So, from this study we can come to conclusion that technological development impacts on human healthy life.

In Washington, one research study calculated that plastic bottles and polybags are very harmful for human health, but modern living people used to for, Bisopenol A the primary chemical used to produced hard plastics like bottles, politeness can be a potential risk factor for metabolic syndrome, A new research from the university of Cincinnati (UC) using fresh human fat tissues in their study .the UC team found that BPA suppresses a key hormone, adiponectin. Adiponacting is responsible for regulating insulin sensitively in the body and puts people at a substantially higher risk for metabolic syndrome .According to estimates, over 80% of people tested have measurable BPA in their bloodstream.

Major factors of BPA on human health

- Increase testosterone level in men.
- Reduce sense quality.
- Increase heart disease, asthma, and diabetes risk.
- Worsening male sexual functions.
- Harm testis function in adulthood.
- Cause male impotency.
- Fertility problems in female raise breast cancer.
- Damage egg quality in woman.

The National Institute of Health in the United States, Keep dictating that the, mobile phone us amplified brain activity than earlier investigated, Reason remains the various innovations in the technology drive world .the study by the institute has it that a considerable amount of sugar level rises in the brain thus increasing the brain activities when phone calls are powered on and used by cell phone users for several minutes of call made .Various study indicate that the emission from a

cell phone can be extremely harmful and cause genetic damage ,Increased brain cancer and metabolic disorder . In addition, although these are clear and concluded implications that this may have for health, Study shows definitively that exposure to electromagnetic radiation (in the fome of microwaves) emitted by mobile phones have direct and measurable effect on the brain.

The study conducted in 2010-11 on the disadvantages of mobile phones prone that it causes maximum mental stress in about 80% of people, leads to family complications up to 72%and is the main reason of about 64%of accidents.

Family complication	Mental stress	Accidents
72%	80%	64%

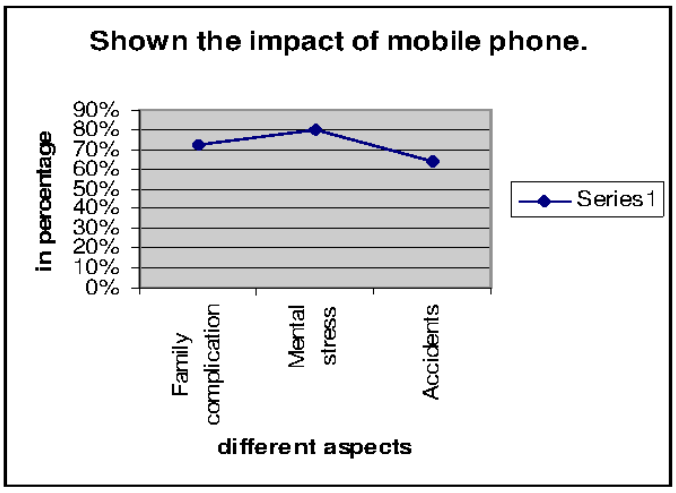

Therefore, by all this avoidances shows modernisation, westernisation, and technological developments impacts on human health and daily living life made complicated, and unhealthy

References:-

1. http;//aipworld .worderess.com
2. Home>blog>special report-changing schools: the impact on life styles.
3. Turner syndrome society -united state (UD) Resource and research life with asthma.
4. Healthy life style has bigger impact on cardiovascular health than genetics ,Special report home>blog
5. Dr.Kal,Marile,1995 living a life of impact Ned book (UN)

- UNICEF, 1994 Health aspects Policy Review, UNICEF programme Booth j.e. (1968) "Principle of textile testing"3rd edition, Publication Buherworth, London, p.290-340.
- Joseph m. l. (1986)"Color development and introductory textile scince"5th edition, publication-Halt poinhart, USA, p 69-89
- Jaycee and storey,(1974)"Dyeing Method "publication-themes and hudoon,London,pn-57-66.
- Neharasampat.(2007)"EconomicBoteny,"1st edition, Pointer Publisher's Jaipur, p-106-128.
- Pandey B.P (1978)," Economic Boteny, "3rdedition, Publication,S.Chand&Company
- Booth j.e. (1968) "Principle of textile testing"3rd edition, Publication Buherworth, London, p.290-340.
- Joseph m. l. (1986)"Color development and introductory textile scince"5th edition, publication-Halt poinhart, USA, p 69-89
- Jaycee and storey,(1974)"Dyeing Method "publication-themes and hudoon,London,pn-57-66.
- Neharasampat. (2007) "Economic Botany," 1stedition, Pointer Publisher's Jaipur, p-106-128.
- PandeyB.P(1978),"EconomicBotany," 3rd edition, Publication, S.Chand & Company, pn-345-374.
- . http://www.straw.com
- . india_resource@tripod.com
- http://dhar.nic.in.
- committee.

****

Better execution plan for Kisan Credit Card in India

Dr. L.N. SHARMA
Govt. P.G. College , Neemuch

ASHISH SHARMA
R.R.M. College, Neemuch

Agriculture plays an important role in the development of the Indian economy. It accounts for about 19 per cent of GDP and about two thirds of the population is dependent on the sector. The modern agriculture has increased the use of inputs specially for seed, fertilizers, irrigational water, machineries, implements, feeds for cattle's etc. which has increased demand for agricultural credit. The adoption of modern technology, which is capital intensive, has commercialized agricultural production in India. Besides, the farmer's income is seasonal while his working expenses are spread over time. In addition, farmer's inadequate savings require the uses of more credit to meet the increasing capital requirements. Furthermore, credit is a unique resource, since it provides the opportunity to use additional inputs and capital items now and to pay for them from future earnings.

In India most of the Indian farmers are not able to invest huge amount of money for the betterment of agriculture and thus remain marginal throughout their life. In order to solve this problem, Government of India, Reserve Bank of India (RBI), and National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) launches Kisan Credit Card Scheme in1998-99 with an objective to provide appropriate amount of credit to the farmers

The Kisan Credit Card is a pioneering credit delivery innovation for providing adequate and timely credit to farmers under single window, with flexible and simplified procedure, adopting whole farm approach, including the short-term credit, medium term and long term credit needs of the borrowers for agriculture and allied activities and a reasonable component for consumption needs.

The KCC allows farmers to have cash credit facilities without going through time-consuming bank credit screening processes repeatedly. Repayment can be rescheduled if there is a bad crop season, and extensions are offered for up to five years. The card is valid for three years and subject to annual renewals. With drawals are made using slips, cards, and a passbook. As per scale of finance specific to the crop and KCC norms. The interest rate is 7% (SI), out of which 3% subsidy is given by Government of India if aggregate credits are more than aggregate debits in a year.

Details of KCC:-

The card is valid for five years, of which crop loan and working capital components have to be renewed annually.

Maximum limits: Rs. 50000/- for Rabi Crops. Rs. 50000/- for Kharif Crops.

Eligibility: Individual/society.

Repayment period: Kharif 31 January Rabi 31July. 5

Collateral Security Charge on land in case loan is above Rs. 10000/- and two sureties if loan is below Rs. 10000/-.

Salient features of the Kisan Credit Card (KCC) Scheme

- Eligible farmers to be provided with a Kisan Credit Card and a pass book or card- cum-pass book.
- Revolving cash credit facility involving any number of drawals and repayments within the limit.
- Limit to be fixed on the basis of operational land holding, cropping pattern and scale of finance.
- Entire production credit needs for full year plus ancillary activities related to crop production to be considered while fixing limit.
- Sub-limits to cover short term, medium term as well as term credit are fixed at the discretion of banks.
- Card valid for 3 to 5 years subject to annual review. As incentive for good performance, credit limits could be enhanced to take care of increase in costs, change in cropping pattern, etc.
- Each drawal to be repaid within a maximum period of 12 months.
- Conversion/reschedulement of loans also permissible in case of damage to crops due to natural calamities.
- Security, margin, rate of interest, etc. as per RBI norms.
- Operations may be through issuing branch (and also PACS in the case of Cooperative Banks) through other designated branches at the discretion of bank.
- Withdrawals through slips/cheques accompanied by card and passbook.
- Crop loans disbursed under KCC Scheme for

notified crops are covered under Rashtriya Krishi Bima Yojna (National Crop Insurance Scheme), a crop insurance scheme introduced at the behest of Government of India to protect the interest of the farmer against loss of crop yield caused by natural calamities, pest attacks etc.

Advantages of the Kisan Credit Card Scheme to the farmers

- Access to adequate and timely credit to farmers.
- Full year's credit requirement of the borrower taken care of.
- Minimum paper work and simplification of documentation for drawal of funds from the bank.
- Flexibility to draw cash at any time and buy inputs as per the need of the farmer and also to repay as and when surplus fund is available.
- Assured availability of credit at any time enabling reduced interest burden for the farmer.
- Sanction of the facility for 3 years subject to annual review and satisfactory operations and provision for enhancement.
- Flexibility of drawals from a branch other than the issuing branch at the discretion of the bank.

Benefits of the Scheme to the Banks

- Reduction in work load for branch staff by avoidance of repeat appraisal and processing of loan papers under Kisan Credit Card Scheme.
- Minimum paper work and simplification of documentation for drawal of funds from the bank.
- Improvement in recycling of funds and better recovery of loans.
- Reduction in transaction cost to the banks.
- Better Banker - Client relationships.

The National Sample Survey Organization (NSSO) in the country surveyed the extent of indebtedness among farmers in its 59th round of surveys as far back as 2003.

The survey indicated that nearly half (48.6%) of farmer households were indebted and 61 per cent of them were small farmers holding less than one hectare. Of the total outstanding amount, 41.6 per cent was taken for purposes other than the farm related activities. About 30.6 per cent of the total loan was for capital expenditure purposes and 27.8 per cent was for current expenditure in farm related activities. The other important fact was that 42.3 per cent of the outstanding amounts are from informal sources like moneylenders and traders.

All KCC borrowers upto the age of 70 years are eligible to be covered under personal Accident Insurance Scheme. The insurance cover is to the extent of 50,000.00 against death or permanent total disability. The annual premium @ 15/- per KCC holder to be borne by the borrower and the bank on the ratio of 1 : 2.

NABARD study revealed that the role of credit under KCC scheme in influencing fertilizer consumption and crop yield was quite positive and significant and also scale neutral. The study also highlighted that the average productivity of paddy grown by KCC farmers was 13.3 per cent higher than non-KCC farmers and also the per hectare yield of KCC farmers was 18 to 34

quintals in comparison to 14 to 26 quintals of non-KCC farmers. The main reasons of higher yield was due to augmented use of inputs like fertilizer, manure, pesticide, labour, irrigation etc. by KCC farmers. The results of several studies have indicated the share of non-institutional sources of credit has come down due to availability of KCC facilities. The cost of borrowing of credit has shown a marked decrease among KCC holders. Due to paucity of available published data and report of the study the number of poor KCC borrowers like marginal farmers, tenant farmers, share croppers, oral lessees etc. in each state and totality in the country who have crossed poverty line through enhancement of production and productivity since the inclusion of these groups under the scheme are not known.

The marginal farmers as they have documented land records as collateral are eligible to have access to KCC facilities without any restrictions. But the different marginalized social groups like share croppers, tenant farmers, oral lessees who are in the bottom of the pyramid of the rural society are still deprived of the access to KCC facilities in the absence of documented records.

Total 90.64 million credit cards were issued by the agencies at the end of February, 2010. But it seems from the personal enquiry from the few bank branches no substantial progress has been made in issuing the KCC.

The reason for non-adoption of KCC scheme by the targeted groups/banks are many. The reasons/problems are :-

1. Fear factor of non-repayment of loan.
2. Lack of awareness of benefits of institutional (KCC) credit.
3. Bad experience with institutional sources of credit especially with cooperative banks and inefficient.
4. Farmers reported that the overhead cost of borrowing under KCC is very high.
5. Non-transparent operational system of credit delivery under KCC scheme due to exploitation of brokers and apathetic attitude of the officials of the bank.
6. The existing borrowers and prospective borrowers of KCC alleged that without the services of brokers

to obtain the loan under the KCC scheme is very difficult and their unauthorized charges are very high.

7. Even the shadow transaction cost or shadow borrowing cost including the interest charges are not less than the interest charges of indigenous bankers.
8. The interest rate at which the individual gets the loan is decided by the policies of the agency that gives the loan. Herein it is seen that the co-operatives continue to charge a higher rate of interest.
9. Commercial and co-operatives banks are not interested to provide KCC scheme in order to avoid the risk of recovery.
10. The fake farmers due to ownership of their cultivable land avail KCC facilities and subsequently they either re-lend it at higher rate of interest or misuse it for different purposes other than the assigned purposes.
11. Lender Banks also reported that the repayment performance of KCC borrowers are not satisfactory.

SUGESSTION FOR IMPROVEMENT IN KCC

1. Create awareness of benefits of institutional (KCC) credit in all villages by lender banks with the help of gram panchayat throughout year and gram panchayat also help to farmer to out of fear of unpaid loan and motivate them to utilize this credit scheme.
2. Create more transparency in whole process of KCC scheme in lender banks with more cooperative banks officers and make sure about no brokers/bankers can do malpractice.
3. Give some subsidy/incentive plan to lender banks for encouraging them to do best practice in KCC scheme or when they didn't recover their loans.
4. Introduction of biometric cards, deployment of Banking Correspondence (BCs), simplification of procedure, financing through Joint Liability Groups (JLGs) mode, Weather-based Crop Insurance Scheme with Cyclical credit may go a long way in providing more relief to the distressed farmers. At this juncture, there is a need for more proactive initiatives by the commercial banks, state governments in promotion of JLGs, SHGs, Farmers' Club and Innovative Insurance Products, etc., and adoption of "Mission Mode" approach to make KCC into a farmers' friendly efficient instrument for credit delivery system accompanied by appropriate institutional mechanism.
5. The achievement of targets in the agricultural sector which covers production of food and essential raw material like cotton, Jute and oilseeds, ought not to be allowed to suffer for want of adequate credit has, however, to be related to specific items of productive work rates of interest has, therefore, to be considered as an integral part of the Plan. For providing these facilities all the existing agencies e.g. money lenders, commercial banks, co-operatives and the State have to be integrated and harnessed to a common purpose.
6. The banks should concentrate more on poor performing zones in terms of coverage of holdings such as north zone, north eastern zone and eastern zone. There the institutions should increase the issue of Kisan credit cards.
7. Commercial banks and co-operatives banks branches are very high in all states. So encourage them to cover more areas and to issue more KCC.
8. Lander banks can user different types of repayment plans to encourage kisan for KCC like:-
   a. Amortized decreasing repayment plan - Here the principal component remains constant over the entire repayment period and the interest part decreases continuously. As the principal amount remains fixed and the interest amount decreases, the annual installment amount decreases over the years. loans advanced for machinery and equipment will fall under this category. As the assets do not require much repairs during the initial years of loan repayment, a farmer can able to repay larger installments.
   b. Variable repayment plan or Quasi-variable repayment plan - As the name indicates that, various levels of installments are paid by the borrower over the loan period. At times of good harvest a larger installment is paid and at times of poor harvest smaller installment is paid by the borrower.

REFERENCES:-

1. www.wikipedia .com and www.Google.com
2. National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)
3. "Agricultural Finance and Co-operation" Compiled by Dr. P.RAGHURAM Professor and University Head Department of Agricultural Economics S.V. Agricultural College TIRUPATI & Dr.S.Hymajyoti Assistant professor Agricultural College RAJAHMUNDARY
4. KISAN CREDIT CARD SCHEME - a dynamic intervention for reduction in rural poverty --B.B. BARIK
5. Kisan Credit Card - A Study -SAMIR SAMANTARA ,Department of Economic Analysis and Research National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai

Gyanodaya

BALKAVI BAIRAGI MAHAVIDHYALAYA

Approved by NCTE, Affiliated to Vikram University, Ujjain and Higher Education (M.P.)

Courses

Management
- MBA
- BBA
- B.Com (Plane)
- B.Com. (Comp.)

Bio- Sciences
- B.Sc. (Biotech)
- B.Sc. (Micro Biology)
- B.Sc. (Agriculture)
- B.Sc. (Plane)

Computer
- M.C.A.
- B.C.A. PGDCA
- B.Sc. (Comp. Sc.)

Education
- B.Ed., D.Ed.

Nursing
- B .Sc. Nursing
- G.N.M. Nursing

Social Services M.S.W.

Poposed Courses
- * M.Ed. * B. Pharma
- * Dip. in Fashion Design
- * Paramedical Courses
- * A.N.M.

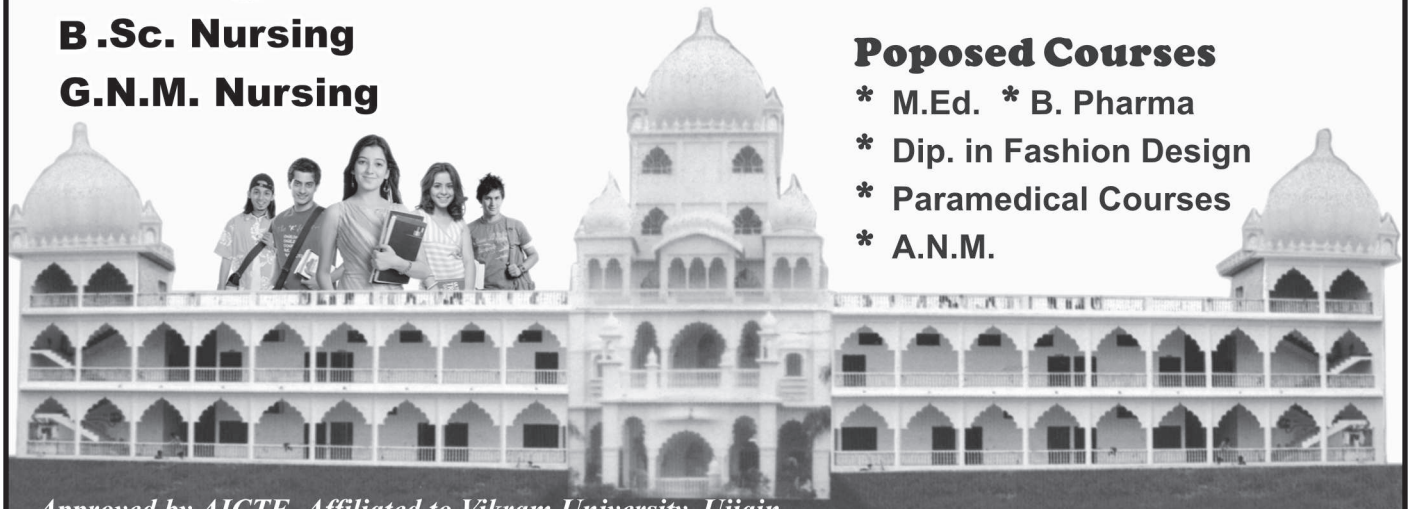

Approved by AICTE, Affiliated to Vikram University, Ujjain

GYANODAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Gyanodaya Institute of Nursing App. by INC, Aff. to Vikram University, Ujjain

Gyanodaya Institute of Management & Technology GIMT The Gateway of Success...

Mhow-Nasirabad Highway, Gram Kanawati, Distt, Neemuch (M.P.),
Ph.- 07423-230030, 230810, 225885, Fax: 07423-230810, 225885
Email:- abhinav_gssnmh@rediffmail.com; Website : www.gyanodayanmh.com

अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका

नवीन शोध संस्कार

के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत

सतीश प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स

वाणिज्य साहित्य के प्रकाशक

209/1, महात्मा गाँधी मार्ग (खजूरी बाजार) इन्दौर (म.प्र.)

लेखक – प्रो. श्रीपाल सकलेचा द्वारा वाणिज्य एवं कर सम्बन्धी विषयों पर प्रामाणिक एवं सरलीकृत रूप में लिखित हमारें गौरव शाली प्रकाशन (हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम)

* आयकर (INCOME TAX)
* अप्रत्यक्ष कर (INDIRECT TAXES)
* केन्द्रीय विक्रयकर एवं म.प्र. मूल्य वर्द्धित कर (CENTRAL SALES TAX & M.P. VAT)
* उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (EXCISE DUTY & CUSTOM DUTY)
* धनकर सेवाकर एवं व्यवसाय कर (WEALTH TAX, SERVICE TAX & PROFESSIONAL TAX)
* कर नियोजन एवं प्रबन्ध (TAX PLANNING & MANAGEMENT)
* भारतीय कर प्रणाली (INDIAN TAX SYSTEM)

आधारभूत पाठ्यक्रम एवं वाणिज्य के सभी विषयों पर सेमेस्टर प्रणाली के अनुरुप

कॉलिज सरल अध्ययन माला

बी.कॉम. एवं एम.कॉम हेतु प्रश्नोत्तर रुप में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रकाशित

The Place of All Computers

Laptops & Accoseries

(Old & New)

Sales + Service + Spares

Computer Planet

(A Multibrand Computer & Laptop Showroom)

Hemu Kalani Chouraha, Sindhi Colony, Neemuch (M.P.)
Cell - 9406640647, 9406640637 Tel.- 07423-403346

Email - computerplanet786@gmail.com

सादर नमन्

परम श्रृद्धैय स्व. श्री रामेश्वरलालजी शर्मा

महामहिम जगद्गुरू शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर
अनन्त श्री स्वामी दिव्यानन्दजी तीर्थ महाराज
के श्री चरणों में सादर समर्पित